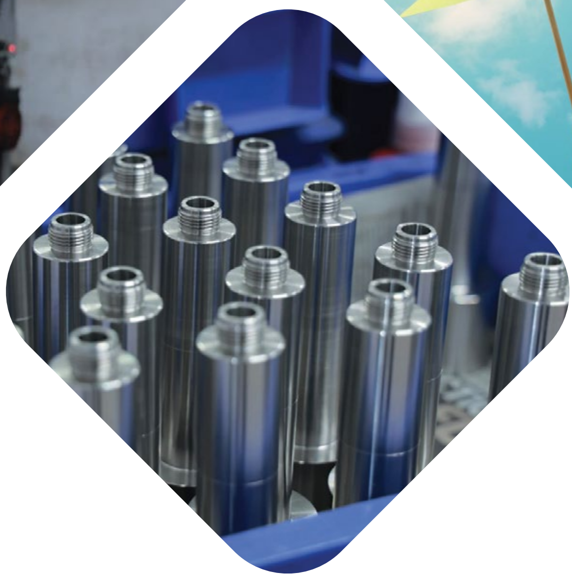

उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को अलग ढंग से हरा-भरा बनाना

सिडबी

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 (भाग-I)

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल यथा 31 अगस्त 2024

श्री मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/ कार्यपालक निदेशक

श्री प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/ कार्यपालक निदेशक

डॉ. रजनीश
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक / सरकार के नामिती

श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक / सरकार के नामिती

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल
गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (एसबीआई नामिती) निदेशक

श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (एलआईसी नामिती) निदेशक

श्री मणिकुमार एस.
गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/शेयरधारक (नाबार्ड नामिती) निदेशक

श्रीमती नुपुर गर्ग
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

श्री अमित टंडन
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

श्री जितेन्द्र कालरा
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

सिडबी

कार्यनिष्पादन - एक दृष्टि में
(वित्तवर्ष 2023-2024 के दौरान)

₹4,026 crore
शुद्ध लाभ

₹8,428 crore
शुद्ध ब्याज आय

₹31,942 crore
कुल आय

(यथा 31 मार्च 2024)

₹28,900 crore
निवल मालियत

₹5,22,521 crore
कुल एकल आस्तियां

₹4,56,015 crore
कुल अग्रिमराशियाँ

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री अजित नाथ झा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संजय जैन	मुख्य जोखिम अधिकारी
श्री यलंगी वेणुगोपाल राव	मुख्य अनुपालन अधिकारी
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	प्रमुख, लेखापरीक्षा उद्भाग
श्री पंकज कुमार साहु	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कॉर्पोरेट जानकारी

प्रधान कार्यालय

सिडबी टॉवर, 15 - अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
एलईआई: 3358003NTGA2D7D31E14; सीआईएन: एनए

मुंबई कार्यालय:

स्वावलंबन भवन, प्लॉट नंबर सी -11, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.sidbi.in; ईमेल: compliance_officer@sidbi.in, erdav@sidbi.in

निक्षेपागार: नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स (एफआरएन: 118769W)
पता: 504, रेनबो चेम्बर्स, एस वी रोड, एमटीएनएल एक्सचेंज के निकट, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र 400067

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस: 5652)
पता: ए-603, मारुति भुवन, पारसी पंचायत रोड, सोना उद्योग इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400069

बैंकर:

भारतीय रिजर्व बैंक | भारतीय स्टेट बैंक । पंजाब नैशनल बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया । सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया । आईडीबीआई बैंक लिमिटेड । केनरा बैंक लिमिटेड । इंडियन ओवरसीज बैंक । बैंक ऑफ बड़ौदा । कर्नाटक बैंक । साउथ इंडियन बैंक । बैंक ऑफ इंडिया । यूको बैंक । भारतीय निर्यात-आयात बैंक । पंजाब एंड सिंध बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता: सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083; दूरभाष: 022-49186000; फैक्स: 022-49186060, वेबसाइट: www.linkintime.co.in

डिबेंचर ट्रस्टी:

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122 दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट मुंबई - 400 020 संपर्क: श्री अर्धेन्दु मुखोपाध्याय फोन : (91) (22) 4325555 ईमेल: corporate@sbicaptrustee.com वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड (आईटीएसएल) एशियन बिल्डिंग, भूमि तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001 संपर्क: श्री रितोब्रत मित्रा फोन (सीधा) : +91 22 4080 7023 मोबाइल: +91 98922 58709 फैक्स: +91 022 6631 1776 ईमेल: iitl@idbitrustee.com प्रत्युत्तर: idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com

सिडबी की समूह संरचना

यथा 31 मार्च, 2024

क. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)
- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
- सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

ख. सहयोगी संस्थाएँ

- एक्युटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्युटे) (पूर्ववर्ती स्मेरा) (35.73% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क) (15% शेयरधारिता)
- रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (30% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (22.73% शेयरधारिता)

तथापि, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुपालन में प्रकटन किया जाना अपेक्षित है, सिडबी की 10% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले संगठन (उपर्युक्त को छोड़कर) निम्नलिखित हैं:

- बिहार राज्य वित्तीय निगम (48.43% शेयरधारिता)
- दिल्ली राज्य वित्तीय निगम (23.66% शेयरधारिता)
- गुजरात राज्य वित्तीय निगम (28.41% शेयरधारिता)
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (39.99% शेयरधारिता)
- पंजाब राज्य वित्तीय निगम (25.92% शेयरधारिता)
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (24.18% शेयरधारिता)
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (20% शेयरधारिता)
- किटको लिमिटेड (49.77% शेयरधारिता)
- बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (49.25% शेयरधारिता)
- राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- हैदराबाद इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- साइबराबाद ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (14.02% शेयरधारिता)
- असम वित्त निगम (13.71% शेयरधारिता)
- ओडिशा वित्त निगम (15.33% शेयरधारिता)
- राजस्थान वित्त निगम (19.90% शेयरधारिता)
- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (10% शेयरधारिता)
- हार्डिकॉन लि. (12.5% शेयरधारिता)
- हिमाचल परामर्श संगठन लि. (14.78% शेयरधारिता)
- राजस्थान परामर्श संगठन लि. (12% शेयरधारिता)
- निटकॉन लि. (14.26% शेयरधारिता)
- गुजरात औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि. (12.5% शेयरधारिता)
- जेकिटको लि. (11.65% शेयरधारिता)

ग. सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन

धारा 8 कंपनी, गारंटी द्वारा लिमिटेड

घ. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ट्रस्ट)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही गिरावट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि दर्ज की। सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति और सुदृढ़ हुई है। वैश्विक वृद्धि दर 2023 के 2.6% के स्तर से घटकर 2024 में 2.4% रही होने का अनुमान है, जबकि भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 के 7.0% के स्तर से तीव्र रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 8.2% रही होने का अनुमान किया गया है।

आर्थिक वृद्धि, नवोन्मेष और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था ने समुत्थानशीलता दर्शाई और वैश्विक आर्थिक आघातों से खुद को बचाए रखा। यह समुत्थानशीलता मजबूत बुनियादी कारकों जैसे नियंत्रित मुद्रास्फीति, दुहरी तुलनपत्र अनुकूलता (बैंकों और कॉर्पोरेट्स के तुलनपत्रों में सुधार), राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सही दिशा, बजट संचालित पूँजीगत व्यय, कारोबारी सुगमता बढ़ाने वाले संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की उन्नति का परिणाम थी। वर्ष 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत की यात्रा में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र ज्यादा बड़ी भूमिका संभालने के लिए उद्यत है।

जनता तक सेवाएँ पहुँचाने, कारोबार को सुगम बनाने और वित्तीय परिदृश्य के रूपांतरण के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण के स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जैसे - अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर, यूपीआई/क्यूआर कोड की तेजी से बढ़ती पैठ, ओएनडीसी, ओसीईएन प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला जीएसटी सहाय,और ऐसे ही अन्य डिजिटल ऋण हामीदारी साधन।

जनता तक सेवाएँ पहुँचाने, कारोबार को सुगम बनाने और वित्तीय परिदृश्य के रूपांतरण के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण के स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जैसे - अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर, यूपीआई/क्यूआर कोड की तेजी से बढ़ती पैठ, ओएनडीसी, ओसीईएन प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला जीएसटी सहाय,और ऐसे ही अन्य डिजिटल ऋण हामीदारी साधन।

वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी संचालित तीव्र विकास को देखते हुए, सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सरोकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में गहनतापूर्वक कार्य करता है। निरंतर सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनकी सतत सफलता और समुत्थानशीलता के लिए सहायता को बढ़ावा देता है। इस तरह भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समर्थकारी और सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करना और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए उनका सशक्तीकरण करना सिडबी का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है।

सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय समाधान प्रदान करने के क्षेत्र में खुद को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखे हुए है। उदाहरण के लिए, सिडबी की प्रयास योजना में फिजिटल यात्रा के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को ₹50,000 और ₹5,00,000 के बीच सहायता प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत अब तक संचयी रूप से ₹2500 करोड़ के ऋण के जरिए 2 लाख से अधिक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई। इसके लाभार्थियों में 85% से अधिक महिलाएँ थीं।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने मार्च 2024 में समाप्त एक वर्ष से कुछ ही अधिक की छोटी अवधि में 1.6 करोड़ रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि उक्त प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उद्यम प्रमाणपत्र जारी कर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराना और ऋणदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है । बैंकों से लेकर प्रौद्योगिकी निकायों और नियामकों तक फैले हुए हितधारकों के निरंतर सहयोग से यह प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी भंडार बन गया है। यह एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा और उसे मौजूदा चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए सज्जित करेगा।

सिडबी नवीनतम प्रौद्योगिकी साधनों का लाभ उठाकर अपने जोखिम निवारण तथा निगरानी ढाँचों को निरंतर सुदृढ़ बना रहा है। साथ ही, सरकार के संधारणीय और हरित प्रयासों के अनुरूप इसने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हरित वित्तपोषण के क्षेत्र में भी अपने प्रयासों को बढ़ाया है। सिडबी के प्रयास और योजनाएँ सरकार के संधारणीयता और जलवायु परिवर्तन संबंधी बहुआयामी दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसमें ऊर्जादक्ष मशीनरी, सौर ऊर्जा, विद्युत वाहन और बायोगैस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है।

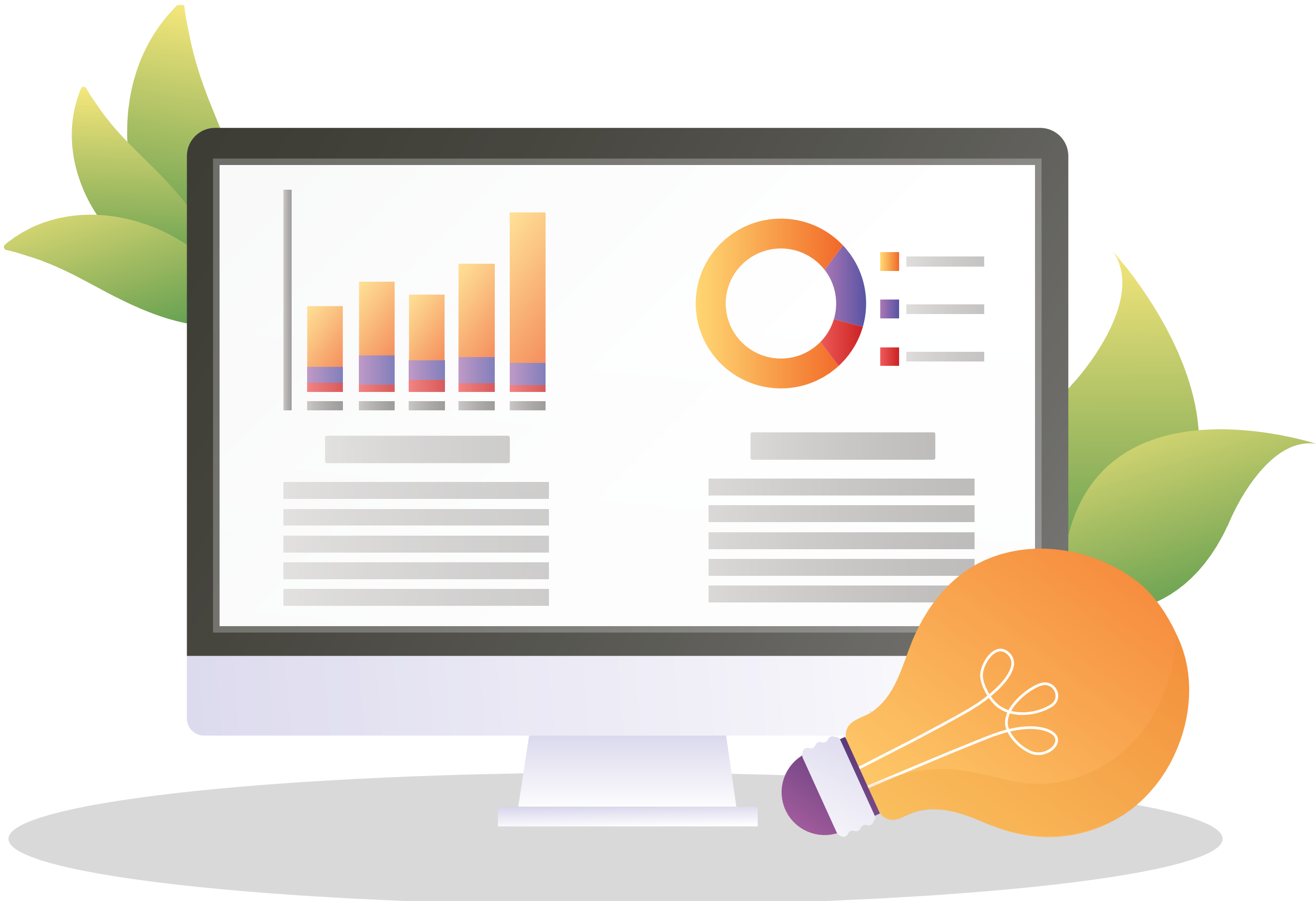

व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

प्रत्यक्ष वित्त संविभाग के अंतर्गत, सिडबी ने प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों के आद्योपांत डिजिटलीकरण का लाभ उठाया। साथ ही, 96 शाखाओं तक बैंक के नेटवर्क के विस्तार तथा अन्य प्रत्यक्ष ऋण प्रयासों के विस्तार, जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ सह-ऋण, प्रयास योजना और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर भुनाई आदि के फलस्वरूप सिडबी ने प्रत्यक्ष ऋण बकाया में 46% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की और यह 31 मार्च 2024 को ₹ 26,826 करोड़ हो गया। प्रत्यक्ष ऋण में वृद्धि डिजिटल और कागजरहित ऋण व्यवस्था प्लेटफॉर्म, विभिन्न साधनों और आसूचना रिपोर्टों के उपयोग, मौजूदा उत्पादों के उन्नयन और वित्तीय मध्यवर्तियों के समूह के विस्तार का परिणाम थी।

बैंक के ऋण और अग्रिमों में संस्थागत वित्त का हिस्सा 94% रहा। इसके अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त में 65% तथा अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त में 79% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023-2024 के अंत तक, संस्थागत वित्त के तहत बकाया ऋण ₹ 4,27,078 करोड़ रुपये था, जिससे 72.84 + लाख लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान, सिडबी ने विद्युत वाहन वित्तपोषकों को वित्त देना भी आरंभ किया, छोटी/ निम्नतर रेटिंग वाली गैरं-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नए उत्पाद शुरू किए और साथ ही विभिन्न क्रेडिट प्लस प्रयास भी किए जैसे - एनबीएफसी ग्रोथ एक्सिलरेटर कार्यक्रम तथा अल्प वित्त संस्थाओं पर क्षेत्रगत अध्ययन। इन प्रयासों से सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र में अपनी पहुँच का विस्तार किया और प्रतिस्पर्धी दर पर ऋण के और अधिक प्रवाह को सुगम बनाया।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, सिडबी ने अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किए, जैसे - आद्योपांत उर्जा दक्षता वित्तपोषण (4ई) और प्रोजेक्ट ग्रिट (जिसमें एमएसएमई समूह और ग्रामीण गतिशीलता मे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, नेचर टू नर्चर, और मिशन सोलर जैसे प्रयास शामिल हैं)। इन सुचिंतित प्रयासों के फलस्वरूप, सिडबी के हरित वित्त संविभाग में समीक्षाधीन वर्ष मे 4.5 गुने का उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

भारत के स्टार्टअप पारितंत्र का पोषण करने के लिए भी सिडबी ने स्वयं को भली भांति भारत सरकार के अनुरूप ढाला है। है। इसने ₹ 10,000 करोड़ रुपये फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स की स्थापना की है और उक्त संपूर्ण राशि की वचनबद्धता 138 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को कर दी गई है। इस प्रकार, इसने देश में शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप निधीयन पारितंत्र के लिए पूरा परिदृश्य बदल देने वाली अपनी भूमिका पर बल देना जारी रखा।

सिडबी ने टियर-2 तथा 3 के शहरों में लगातार स्टार्टअप संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए, जहां उद्यम पूँजी जगत के वैचारिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन किया गया, ताकि वे संधारणीय व्यवसाय विकसित कर सकें । इसके अलावा, एआईएफ वित्तपोषण के दो दौर के बीच स्टार्टअप्स के समक्ष आने वाली अस्थायी तरलता बाधाओं को पहचानते हुए, सिडबी ने स्टार्टअप्स को उद्यम ऋण देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। यह ऋण उद्यम पूँजी,वैकल्पिक निवेश निधियों से सहायताप्राप्त

उन एमएसएमईज़ तथा स्टार्टअप्स को प्रदान किया जाएगा, जो पारंपरिक ऋण सहायता हेतु पात्र नहीं हैं। सिडबी ने देश के अग्रणी संवर्द्धन (इनक्यूबेशन) केंद्रों के साथ सहयोग करने और इन संवर्द्धन केंद्रों के व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर ले जा सकने योग्य स्टार्टअप में निवेश हेतु उपयुक्त बीज पूँजी प्रदान करने के लिए भी प्रयास आरंभ किए है।

विकास और प्रभाव कार्यक्रम

मिशन स्वावलंबन, जो उद्यमिता संवर्द्धन और विकास को बढ़ावा देता है, बैंक का एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, सिडबी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विभिन्न खंडों, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमियों के इर्दगिर्द केंद्रित खंडों को लक्ष्य करते हुए कई नए कार्यक्रम शुरू किए। प्रायोगिक रूप से 2019 में आरंभ किए गए स्वावलंबन कनेक्ट केंद्रों (एससीके) का विस्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार, झारखंड और नागालैंड के 67 जिलों में किया गया।

वर्ष के दौरान, सिडबी ने युवाओं के लिए उद्यमिता शिक्षा को भी मजबूत किया, जिसका नाम स्टेम यानी 'स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल' है। यह पाठ्यक्रम युवाओं के लिए एक मिश्रित कार्यक्रम है जिसमें अनुभवात्मक और 'करके सीखें' के घटक हैं, और उसके बाद अपने-अपने उद्यम स्थापित करने के लिए गहन हैंडहोल्डिंग और पथ प्रदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इन संपर्क कार्यक्रमों को आयोजित और निष्पादित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में, सिडबी ने 3 भारतीय प्रबंध संस्थानों सहित कुल 10 संस्थानों / विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन किए।

वैचारिक नेतृत्वकर्ता और सुगमकर्ता की भूमिका

सिडबी ने भारत में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने हेतु परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन जारी रखा। ऋण सूचना ब्यूरोज़ के सहयोग से एमएसएमई पल्स, माइक्रोफाइनेंस पल्स, फिनटेक पल्स तथा एसपेक्स आदि के प्रकाशन का प्रयोजन नीति निर्माताओं और हितधारकों को मूलभूत डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई डिजिटल और गैर-डिजिटल प्रयासों को आगे बढ़ाया है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

जोकाटा संपूर्ण सूचकांक

सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर वित्तीय संस्थाओं से ऋण पाने का प्रयास कर रहे ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जीएसटी बिक्री डेटा से संपूर्ण सूचकांक विकसित किया है, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी है। सूचकांक एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में डेटा-समर्थित जानकारी और परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और व्यापार और जोखिम प्रमुखों को सहयोग देना है, ताकि वे एमएसएमई के लिए समय पर ऋण प्रयासों को निर्देशित कर सकें।

वर्षों से एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही संस्थाओं में से एक है - सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), जो अब नए स्वरूप में तथा पूर्णतः डिजिटल है ।

वित्तीय वर्ष 2024 में, सीजीटीएमएसई ने गारंटी राशि के ₹ 2 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया, जो वर्ष-दर-वर्ष 94% की वृद्धि दर्शाता है। 31 मार्च, 2024 तक संचयी रूप से 6.29 लाख करोड़ रुपये की गारंटी राशि के साथ 87.96 लाख इकाइयों के लिए गारंटी को मंजूरी दी गई है, जिसने लगभग 230 लाख रोजगार पैदा करने में योगदान किया है। यह उपलब्धि सिडबी, एमएसएमई मंत्रालय और सीजीटीएमएसई द्वारा इस क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई विभिन्न रणनीतिक पहलों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। यह अन्य लाभ भी प्रदान करता है, जैसे- गारंटी शुल्क में कमी, गारंटी के लिए ऋण की पात्रता सीमा में वृद्धि, दावा निपटान के लिए पूर्व-शर्त में शिथिलता, परिचालनों का आद्योपांत डिजिटलीकरण आदि

आगे की राह

सिडबी एमएसएमई क्षेत्र का पोषण करना जारी रखेगा, ताकि यह क्षेत्र अपनी पूरी संभावनाओं को साकार कर सके और राष्ट्र के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनने की इसकी यात्रा को बल मिले। केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र पर बल दिया गया है और नवोन्मेषी उपायों के जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता की व्यवस्था कर इनकी संवृद्धि को प्रोत्साहित किया गया है। इन नवोन्मेषी उपायों में नया ऋण मूल्यांकन मॉडल, कठिन समय में छोटे व्यवसायों को ऋण सहायता प्रदान करना, मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि और अनिवार्य ट्रेड्स ऑनबोर्डिंग के लिए दायरे का विस्तार शामिल हैं। सिडबी विभिन्न उल्लेखनीय प्रयासों के जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, जैसे -

1. अपनी प्रत्यक्ष पहुँच का विस्तार करने के लिए 24 नई शाखाएँ खोलना, जो 41 अतिरिक्त क्लस्टरों को कवर करेंगी। इसके साथ ही, बैंक की सेवा के दायरे का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टर तक हो जाएगा।
2. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ अल्प वित्त संस्थाओं/ क्लस्टर स्तरीय परिसंघों को प्रयास योजना के अंतर्गत लाना
3. बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करना तथा नए भागीदारो और उत्पादों के जरिए ग्राहक आधार को विस्तृत करना
4. दूर-दराज के इलाकों में असेवित और अल्पसेवित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभार्थियों को सह-ऋण, क्रेडिट डिलेवरी व्यवस्था के जरिए ऋण प्रदान कर रहीं वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ भागीदारी कर मौजूदा ग्राहक आधार का विस्तार करना

सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक प्रभावी रूप से पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंध प्रणालियों के प्रभावी उपयोग करने, उपर्युक्त विषय-आधारित अभिनव प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए रणनीतिक प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा।

[1] World Bank Global Economic Prospects | January 2024
[2] MOSPI

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दृष्टिकोण

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसमें आगे भी वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 में 8.2% की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाह्य परिवेश की अनिश्चितताओं का सामना किया और नीतिगत प्रयास संधारणीय आजीविका को सहयोग देने तथा अधिक समावेशी एवं गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहे। पिछले तीन वर्षों से 7% से अधिक की वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान करता है और इसे देश की सतत वृद्धि में योगदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र और सरकार के मेक इन इंडिया मिशन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। औपचारीकरण पर सरकार द्वारा निरंतर दिए जा रहे बल के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पैठ बढ़ रही है।

कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता होने के नाते एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और राष्ट्रीय आर्थिक ढाँचे की रीढ़ है जो वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाव के लिए समुत्थानशीलता देता है। यह क्षेत्र प्रमुख उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन, निर्यात संवर्द्धन और साथ ही ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के विकास के जरिए आर्थिक असंतुलन को दूर करने हेतु उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है।

नजदीकी दृष्टि से देखने पर एमएसएमई क्षेत्र के रूपाकार को तय करने वाले कुछ महत्वपूर्ण रुझानों का पता चलता है:

- **वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद निरंतर वृद्धि**
  जोकाटा द्वारा सिडबी के सहयोग से प्रकाशित एक एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक - `संपूर्ण सूचकांक'के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में कमजोर विदेशी मांग के बावजूद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बिक्री में वृद्धि जारी रही। सूचकांक 0.53 और 0.60 के बीच रहा।

यद्यपि वैश्विक प्रतिकूलताओं ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के समग्र निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, परंतु एमएसएमई क्षेत्र ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 के 43.60% से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष में 45.73% हो गई। पुनः, वित्तीय वर्ष 2025 के पहले दो माह में भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई संबंधी निर्यात का हिस्सा बढ़कर 45.79% हो गया।

संपूर्ण - एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक

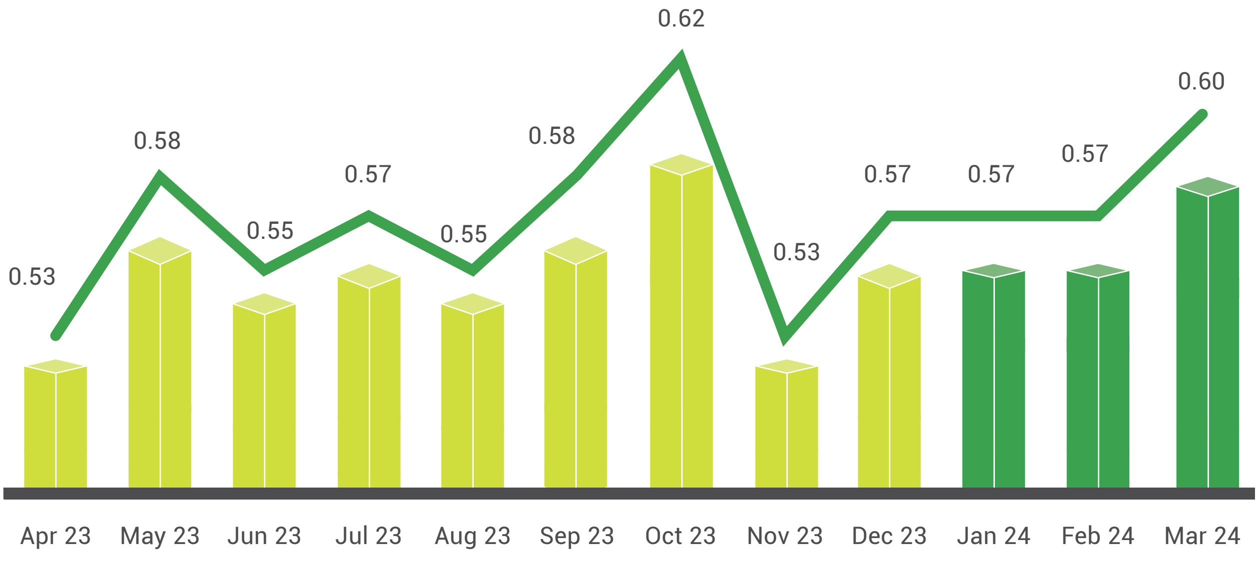

नोट: सूचकांक की 0.5 से ऊपर की रीडिंग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बिक्री में विस्तार का संकेत देती है

अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई संबंधी उत्पादों के निर्यात का % हिस्सा

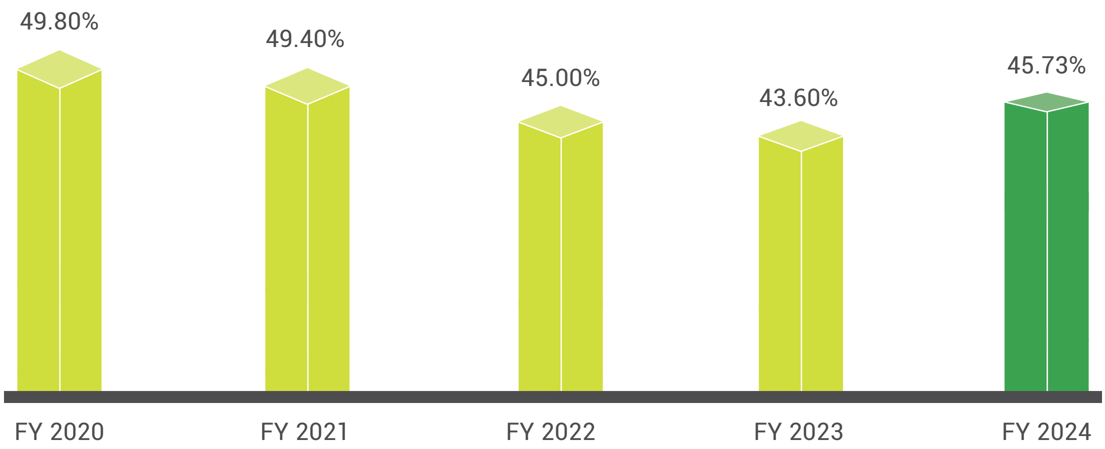

- **औपचारिक क्षेत्र के वित्त की माँग में वृद्धि**

वित्त वर्ष 2024 में, एमएसएमई क्षेत्र ने अपने व्यवसाय वृद्धि की गति को संबल देने के लिए निधियों के औपचारिक स्रोतों का आक्रामक रूप से उपयोग किया। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा प्राप्त बकाया ऋण वित्त वर्ष 2024 में 24.1% बढ़कर ₹ 28.04 लाख करोड़ हो गया।

अल्पवित्त संविभाग में वित्तीय वर्ष 2024 में 18.4% की वृद्धि हुई। इस संविभाग में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- अल्प वित्त संस्थाओं का योगदान 41% था और उसके बाद 31% हिस्से के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे।

प्राथमिक पूँजी बाजार में, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड 196 इक्विटी निर्गम (आईपीओ) जारी किए। इन आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई राशि ₹ 6,095 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2023 में जुटाई गई राशि की 2.6 गुना थी।

- **चूक में कमी**

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एमएसएमई ऋण संविभाग की गुणवत्ता में वित्तीय वर्ष 2024 में सुधार हुआ और सकल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात बेहतर होकर मार्च 2024 में 4.5% हो गया, जबकि मार्च 2023 में यह 6.8% और मार्च 2022 में 9.3% था। यह लाभ निष्पादन में भी अंतर्निहित सुधार को दर्शाता है। अल्प वित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अल्प वित्त संविभाग का भी चूक अनुपात बेहतर हुआ।

- **तेजी से औपचारीकरण और डिजिटलीकरण**

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की व्यवसाय क्षमता को बढ़ाने और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि के लिए औपचारीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में कई प्रयास किए हैं। इनके अंतर्गत उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) जैसे कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान करने और उन्हें औपचारिक दायरे में लाने के लिए सरकार के अभियान में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म कर्षण होने से वित्त वर्ष 2024 में तेजी आई।

चुनौतियाँ

भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अल्पकालिक वृद्धि संभावनाएँ आशाजनक दिखती हैं, परंतु यह क्षेत्र वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बड़े उद्योगों की तुलना में आर्थिक उथल-पुथल के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के जरिए बड़ी संख्या में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (आईएमई) औपचारिकता के दायरे में लाए गए हैं। फिर भी, (2015-16 में हुए एनएसएसओ सर्वेक्षण के 73 वें चक्र के अनुसार) 6.3 करोड़ एमएसएमई का एक बड़ा प्रतिशत नीतिगत दायरे से बाहर है, और कई उद्यमों के पास सस्ती पूँजी तक पहुँच नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि पूँजी प्रवाह संबंधी बाधाओं के साथ-साथ, सीमित बाजार पहुँच और प्रतिस्पर्द्धा, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, कुशल श्रमिकों की कमी, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी, तीव्र जलवायु परिवर्तन जोखिमों और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर संक्रमण से प्रभावित हो रही है।

जोखिम निवारण रणनीतियाँ

स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख सरकारी प्रयासों ने श्रमिकों का कौशल-उन्नयन सुगम बनाकर और कारोबारी सुगमता बढ़ाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण करके एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति को बढ़ावा देने में मदद की है। श्रम और डिजिटल पूँजी के अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता में सुधार करने की दिशा में भी सरकार के प्रयास जारी हैं।

प्रमुख एमएसएमई वित्तपोषण प्रयासों और क्रेडिट गारंटी योजनाओं, जैसे - सीजीटीएमएसई द्वारा प्रबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस), एनसीजीटीसी द्वारा प्रबंधित सूक्ष्म इकाइयों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू), मुद्रा द्वारा प्रबंधित प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसन) आदि से उत्कृष्ट परिणाम मिल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024 में, सीजीटीएमएसई ने एक नया मुकाम हासिल किया और इसकी गारंटियाँ ₹ 2.03 लाख करोड़ तक पहुँच गईं। यह वित्त वर्ष 2023 में हासिल किए गए ₹ 1.04 लाख करोड़ की गारंटियों के आंकड़े से 94% की जोरदार वृद्धि है।

सीजीटीएमएसई गारंटी (₹ लाख करोड़).

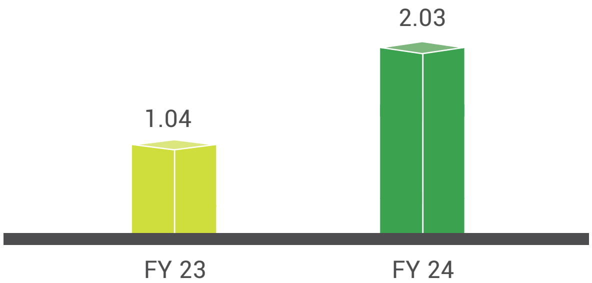

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मंजूर ऋण वर्ष के दौरान 18.5% बढ़ कर ₹ 5.4 लाख करोड़ हो गए, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 4.6 लाख करोड़ थे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (₹ लाख करोड़)

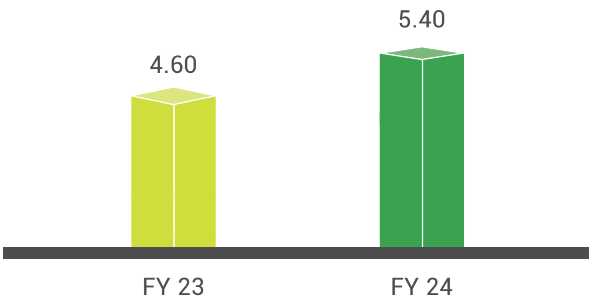

वित्तीय प्रौद्योगिकी या फिनटेक वित्तपोषण के मुद्दों को हल करने में क्रांतिकारी सिद्ध हुए हैं और एमएसएमई डिजिटलीकरण में प्रतिमान बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया स्टैक, जो अधिक डिजिटल और नकदीरहित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया डिजिटल बुनियादी ढांचा है, ने नागरिकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच को व्यापक बना दिया है। आज, फिनटेक कुशल समाधान प्रदान करते हैं जो छोटे व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने, परिचालनों को सुव्यवस्थित करने और सस्ती और प्रभावी वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। फिनटेक समाधानों में यह क्षमता है कि वे बाधाओं से पार पाने और व्यवसाय विस्तार के नए अवसरों को भुनाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की मदद कर सकते हैं।

एमएसएमई के लिए वित्तपोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के साथ-साथ एक अन्य समाधान है व्यापार की प्राप्यराशियों की प्राप्ति में लगने वाले दिनों को कम करना। भारत में संचालित 4 ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों अर्थात रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), इनवॉइसमार्ट और एम1 एक्सचेंज तथा सी2एफओ के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपने व्यापार प्राप्यराशियों के वित्तपोषण/भुनाई के लिए इन प्लेटफार्मों का अधिक आक्रामक रूप से उपयोग करना शुरू कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में मदद करने के लिये सरकार ने दिसंबर 2023 में तीन योजनाएँ - एमएसएमई गिफ्ट योजना, एमएसई स्पाइस और एमएसएमई स्किप शुरू कीं। इसके अलावा, एमएसएमई चैंपियंस योजना के छत्र के तहत एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड), एमएसएमई इन्नोवेटिव (इनक्यूबेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजाइन के लिए) और एमएसएमई कंपटीटिव (लीन) जैसे अभिनव प्रयास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, अपशिष्ट को कम करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को तीव्र करने और घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में उनकी पहुँच बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

सरकार उद्योगों के लिए एक और लक्ष्य लेकर चल रही है और वह है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और इसके लिए सरकार एक ओर विभिन्न वैचारिक केंद्रों के साथ समन्वय कर रही है, तो दूसरी ओर अपनी नजर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर टिकाए हुए है। एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग ने मार्च 2024 में एक भावी योजना जारी की, जिसमें उसने बेहतर वित्तपोषण की आवश्यकता को दोहराया और निर्यातकों के लिए एकल सूचना डेटा आसूचना पोर्टल की वकालत की। यह पोर्टल भावी निर्यातकों की बाजार से संबंधित पृच्छाओं जैसे - शुल्क, अपेक्षित कागजी काम, वित्त के स्रोत, सेवा प्रदाता, उपलब्ध प्रोत्साहन और संभावित ग्राहक विषयक उत्तर देगा। एक अन्य रूपांतरकारी पहल है - एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)। आशा की जाती है कि यह पहल सीमा पार ई-कॉमर्स व्यापार को प्रोत्साहित करेगी, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को अपनी वास्तविक निर्यात संभावनाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

भावी दृष्टिकोण

सुदृढ़ घरेलू अनुकूलताओं के समर्थन से एमएसएमई क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि की राह पर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उद्यत है। सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद, मुद्रास्फीति में नरमी और कॉर्पोरेट और बैंकों के मजबूत तुलनपत्रों के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में 7% या उससे अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है और एसएमएमई को इससे लाभ मिलने की आशा है। तथापि, भारत की निर्यात संभावनाएँ उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार सुस्त बनी हुई है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वैश्विक पण्य व्यापार में वर्ष 2024 में मात्र 2.6% की वृद्धि होने की संभावना है। यह पूर्वानुमान भारत के एमएसएमई क्षेत्र के कार्यनिष्पादन और इसके पण्य निर्यातों पर असर डाल सकता है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहयोग के जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, विशेषकर श्रम गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में एमएसएमई को 4 मुख्य संक्रेद्रण क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है। इस संकेंद्रण को एमएसएमई क्षेत्र के अस्तित्व और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सहायता के रूप में देखा जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपनी समुत्थानशीलता, नवोन्मेष और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की नियति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

सरकार के अभिनव प्रयासों, नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों और बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन करने की एमएसएमई की चाह के बीच सहक्रियाएं इन उद्यमों के उल्लेखनीय और तेज उन्नयन एवं विस्तार में मदद कर रही हैं और यही एमएसएमई क्षेत्र की भावी वृद्धि की कुंजी है।

यह क्षेत्र महत्वपूर्ण संभावनाएँ दर्शा रहा है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की भारी क्षमता है, जिससे यह तीन वर्ष में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर और 2030 तक 7 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राष्ट्र की वृद्धि के इंजन हैं और इनमें उपयुक्त और समावेशी समाज की रचना की क्षमता है और भारत के भविष्य के स्वरूप को ये दूर तक प्रभावित करेंगे। नवोन्मेष, रोजगार और वृद्धि की धुरी होने के नाते सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक परिदृश्य और वृद्धि संभावनाओं को रूपांतरित करने की सही स्थिति में हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के शेयरधारकों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक 25 सितंबर 2024 को भारतीय समय के अनुसार पूर्वाह्न 11.00 बजे बोर्ड रूम, सिडबी प्रधान कार्यालय अर्थात् सिडबी टावर, 15-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 में निम्नलिखित कामकाज के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कामकाज:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी') के लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र और लाभ - हानि लेखा और सिडबी के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदित करना और उसे अंगीकर करना ।

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प किया गया कि यथा 31 मार्च 2024 को सिडबी का लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु सिडबी का लाभ - हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि के लिए सिडबी के निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र और लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, एतद्द्वारा अंगीकृत की जाती है।"

2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2024) के लिए सिडबी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सिडबी की पूर्णतः चुकता इक्विटी पूँजी पर ₹ 2 प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाए जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को सदस्य-रजिस्टर में हैं।"

3. वित्त वर्ष 2025 के लिए और उसके बाद अंतरिम अवधि के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने पर विचार करना और सिडबी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प किया गया कि मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाए।"

   यह भी संकल्प किया गया कि मैसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, जिन्हें बैंक की पिछली 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु और यदि भारतीय रिजर्व बैंक से लेखापरीक्षकों की सूची प्राप्त होने में और विलंब हो, तो बाद की तिमाहियों हेतु भी बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाए।

   यह भी संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति नियुक्ति के नियमों और शर्तों को अनुमोदित करने और परिवर्तिन या संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत हैं।

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना

   "यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के परंतुक के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (ए) (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो), के अनुसार, एतद्द्वारा श्री मनोज मित्तल (डीआईएन:01400076) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2024 की अधिसूचना सं.17/04/2020-आईएफ-II के जरिए 27 जुलाई 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था और जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना

   "यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के परंतुक के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (बी) (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो), के अनुसार, एतद्द्वारा श्री प्रकाश कुमार (डीआईएन:06758416) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार ने 06 नवंबर 2023 की अधिसूचना सं. एफटी-17/6/2023-आईएफ-II के जरिए 07 नवंबर 2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए

उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था और जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) और 17 (1 सी) के परंतुक के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (सी) (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो), के अनुसार, एतद्द्वारा श्री मनोज मुत्तथिल अयप्पन (डीआईएन:10733238) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार ने 06 अगस्त 2024 की अधिसूचना सं.एफटी-1/12/2022-आईएफ-II के जरिए 06 अगस्त 2024 से निदेशक नामित किया था और जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) और 17 (1 सी) के परंतुक के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो) के अनुसार, एतद्द्वारा श्री अनिंद्य सुंदर पॉल (डीआईएन:10272439) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 03 अगस्त 2023 से निदेशक नामित किया था और जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) और 17 (1 सी) के परंतुक के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो), के अनुसार, एतद्द्वारा श्री मणिकुमार एस (डीआईएन:08956660) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 01 जनवरी 2024 से निदेशक नामित किया गया था और जो रोटेशन द्वारा निवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

9. सुश्री नूपुर गर्ग को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में जारी रखा जाना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 डी) के अनुसार यथा 31 मार्च 2024 को सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से शेयरधारकों के अनुमोदन के बिना कार्यरत व्यक्ति को जारी रखा जाना 31 मार्च 2024 के बाद होने वाली पहली वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। सिडबी के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो तत्समय लागू हो), के अनुसार सुश्री नूपुर गर्ग को 04 फरवरी 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में सहयोजित किया था। तदनुसार, सुश्री नूपर गर्ग (डीआईएन:03414074) को शेष कार्यकाल हेतु स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में जारी रखने हेतु एतद्द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

10. श्री जितेन्द्र कालरा की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) और 25(2ए) के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो), के अनुसार, एतद्द्वारा श्री जितेंद्र कालरा (डीआईएन:08722638) की नियुक्ति को सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में 13 फरवरी, 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, और जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

प्रधान कार्यालय
सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग,
लखनउ-226001
दिनांक: 02 सितंबर 2024
स्थान: लखनऊ

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

ह0/-
(प्रकाश कुमार)
उप प्रबंध निदेशक

टिप्पणी:

1. 26 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में किए जाने वाले सामान्य कामकाज की मद सं. 3 से संबंधित एक स्पष्टीकरण इसके साथ अनुबंध में दिया गया है।

2. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 61(2) के अनुसार, सिडबी का जो शेयरधारक किसी सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, उसे स्वयं के बजाय किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा; लेकिन इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 62(2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सिडबी की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक में विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सहभागिता या मतदान नहीं करेगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित, सिडबी के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार स्पष्ट दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

4. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 63 (3) के अनुसार, प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के साथ अनुबंध में दिए गए फॉर्म बी में विधिवत प्राधिकृत न हो।

5. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 59(1) के अनुसार, बैठक में मतदान के लिए रखे गए संकल्प पर हाथ उठाकर निर्णय किया जाएगा, जब तक कि मतदान की मांग न की जाए। इसके अलावा, हाथ उठाकर किसी भी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव से मतदान का आदेश दिया जा सकता है और इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित किसी भी शेयरधारक या शेयरधारकों, जिनकी इतनी शेयरधारिता हो कि उन्हें संकल्प पर मतदान का अधिकार हो और जो उक्त संकल्प के संबंध में मतदान शक्ति के पांचवें हिस्से से कम न हो, द्वारा माँग किए जाने पर, अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जाएगा।

6. शेयरधारक 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक में होने वाले कामकाज के संबंध में प्रश्न अपने पंजीकृत ईमेल पते से, अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अग्रिम रूप से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से दो कार्य दिवस पहले तक सिडबी की ईमेल आईडी compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in पर भेज सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए ईमेल-आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

7. यथा 31 मार्च 2024 का सिडबी का लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु सिडबी का लाभ-हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि के लिए सिडबी के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलनपत्र और लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना सहित ('वार्षिक रिपोर्ट') को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रदर्शित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है जिनका ई-मेल पता सिडबी या निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं जो विशेष रूप से इसके लिए अनुरोध करते हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति डिबेंचर ट्रस्टी को भी भेजी जाती है और उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी उसी दिन प्रस्तुत किया जाता है, जिस दिन उसे सिडबी के शेयरधारकों को भेजा जाता है।

8. अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करें। ई-मेल पते को पंजीकृत करने के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई होने पर सदस्य ईमेल आईडी compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न पूछने/स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया:

9. बैठक के सुचारु संचालन के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in पर अग्रिम रूप से अपने विचार व्यक्त करें/ प्रश्न भेजें। वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से दो कार्य दिवस पहले तक प्राप्त प्रश्नों /पृच्छाओं पर ही सिडबी द्वारा विचार किया जाएगा और वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान उनका जवाब दिया जाएगा।

10. जो सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना हाथ उठा सकते हैं। तथापि, सिडबी को वार्षिक सामान्य बैठक के सुचारु संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा।

सामान्य सूचना:

1. वोटिंग अधिकार निर्दिष्ट तिथि, जो कि 26 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि है, को शेयरधारक (कों) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे।

2. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹2 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की संस्तुति की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

3. यदि निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश को वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इसका भुगतान घोषणा की तारीख से तीस

दिन के भीतर उन सभी लाभार्थी स्वामियों/सदस्यों को धारित शेयरों के संबंध में कर दिया जाएगा, जिनके नाम सिडबी के सदस्य- रजिस्टर में हैं।

4. सिडबी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के हकदार शेयरधारकों को चिह्नित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा।

5. वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, लाभांश आय लागू दरों पर 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और इस प्रकार सिडबी को किसी लाभांश वितरण कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

6. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित निक्षेपागार खातों के प्रति पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग सिडबी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। सिडबी बैंक विवरण या बैंक अधिदेशों में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारक सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी को ही दी जानी चाहिए।

7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि सिडबी के इक्विटी शेयरों से संबंधित किसी भी मामले के लिए बोर्ड प्रभाग, (दूरभाष संख्या 022-67221561 / 67531247, मोबाइल नंबर 9821243327, 8142569992, 9968018849 ईमेल: boarddiv_lho@sidbi.in या compliance_officer@sidbi.in) से संपर्क करें।

मद संख्या 3 से संबंधित स्पष्टीकरण कथन

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश सिडबी पर लागू होते हैं। सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सूची में से सांविधिक लेखा परीक्षक की नियक्ति/पुन: नियुक्ति करनी होती है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 सितंबर 2023 के पत्र डीओएस. एआरजी. सं. एस 4842/08:03 :008/2023-24 के जरिए प्रेषित सूची में से मेसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट, को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सिडबी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सिडबी ने 24 मई 2024 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि वे सिडबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करें।

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन में समय लग रहा है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से नियुक्ति की शर्तें / पारिश्रमिक सहित अनुमोदन प्राप्त होने तक मेसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सनदी लेखाकार के रूप में जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान करें।

इसके अतिरिक्त, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा कर सकते हैं, जो कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के यथासमय अनुमोदन के अधीन होगा। उल्लेखनीय है कि 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा मैसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स द्वारा की गई थी।

इसलिए, आपका निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद सं. 3 में दिए गए सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

सिडबी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

नोटिस का अनुबंध

मद संख्या 6 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (सी) के अनुसरण में श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2024 की अधिसूचना सं एफटी-1/12/2022 - आईएफ-II के जरिए गैर-कार्यपालक निदेशक नामित किया गया है।

श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों सहित, तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है।

निदेशक मंडल की राय में, श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वे गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (ए) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा; तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को 06 अगस्त, 2024 से बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक" के रूप में पद ग्रहण हेतु नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे।

श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को छोड़कर, सिडबी के अन्य कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारो किसी भी रूप में उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 7 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अनुसरण में श्री अनिंद्य सुंदर पॉल को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 03 अगस्त, 2023 से गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों सहित, तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है।

बोर्ड की राय में, श्री अनिंद्य सुंदर पॉल के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वह गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र/नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (ए) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा; तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री अनिंद्य सुंदर पॉल अय्यप्पन को 03 अगस्त, 2023 से बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक" के रूप में पद ग्रहण हेतु नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे।

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल को छोड़कर, सिडबी के अन्य कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 8 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अनुसरण में श्री मणिकुमार एस को 01 जनवरी, 2024 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री मणिकुमार एस का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों सहित, तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है।

बोर्ड की राय में, श्री मणिकुमार एस के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वह गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र/नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (ए) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा; तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री मणिकुमार एस को 01 जनवरी, 2024 से बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक" के रूप में पद ग्रहण हेतु नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे।

श्री मणिकुमार एस को छोड़कर, सिडबी के अन्य कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 9 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसरण में सुश्री नूपुर गर्ग को बोर्ड द्वारा गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में 04.02.2019 से सहयोजित किया गया है और से 04.02.2023 पुनर्नियुक्त किया गया है।

सुश्री नूपुर गर्ग का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों सहित, तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है।

बोर्ड की राय में, सुश्री नूपुर गर्ग के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वह गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र/नामिती निदेशक के पद पर बने रहने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (ए) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा ।

सेबी विनियम, (1डी) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से, किसी सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में सेवारत निदेशक की निरंतरता उनकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, की तारीख से कम से कम पांच वर्ष में एक बार शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदन के अधीन होगी

यह भी कि पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से शेयरधारकों की मंजूरी के बिना 31 मार्च 2024 को सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में सेवारत निदेशक की निरंतरता 31 मार्च 2024 के बाद आयोजित होने वाली पहली सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।

तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से सुश्री नूपुर गर्ग को 04.02.2023 से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक" के रूप में बनाए रखने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त के अधीन नहीं होंगी।

सुश्री नूपुर गर्ग को छोड़कर, सिडबी के किसी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 10 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसरण में श्री जितेन्द्र कालरा को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार से पुष्टि के आधार पर बोर्ड द्वारा गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में 13.02.2024 से सहयोजित किया गया है।

श्री जितेन्द्र कालरा का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों सहित, तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है।

बोर्ड की राय में, श्री जितेंद्र कालरा के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वे गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (ए) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री जितेन्द्र कालरा को 13 फरवरी 2024 से बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक" के रूप में पद ग्रहण हेतु नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे।

श्री जितेन्द्र कालरा को छोड़कर, सिडबी के अन्य कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

प्रधान कार्यालय
सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001
दिनांक: 02 सितंबर, 2024
स्थान: लखनऊ

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

ह0/-
(उप प्रबंध निदेशक)

अनुबंध

उन निदेशकों का विवरण, जिनकी नियुक्ति लिस्टिंग विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की छब्बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपेक्षित है।

31 मार्च, 2024 के बाद नियुक्त निदेशक

I. श्री मनोज मित्तल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक:

श्री मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पूर्व, वे 3 वर्ष तक आईएफसीआई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान, आईएफसीआई ने नई व्यवसाय रणनीति अपनाई और वित्तीय वर्ष 2024 में लाभ दर्ज किया और पिछले वर्षों में दर्ज की जा रही वार्षिक हानि की प्रवृत्ति को उलट दिया। इससे पहले अपने करियर में, वे 5 वर्ष सिडबी में उप प्रबंध निदेशक रहे और सिडबी विजन 2.0 के विकास और कार्यान्वयन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता की। संगठनात्मक विकास को गति देने और रणनीतिक नेतृत्व के माध्यम से प्रभाव एवं लाभप्रदता, दोनों में वृद्धि करने की दृष्टि से श्री मनोज मित्तल का 3 दशक से भी अधिक का उतकृष्ट कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड रहा है। सिडबी में करियर विकास बैंकर के रूप में, श्री मित्तल ने एमएफआई आंदोलन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसमें 2010 में आंध्रप्रदेश अल्प वित्त संस्था संकट के दौरान अल्प वित्त संस्थाओं पर बैंकों की देयराशियों की पुनःसंरचना और उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण प्रयासों का कार्यान्वयन शामिल है। उन्हें बहुपक्षीय एजेंसियों/भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न संधारणीय और विकासपरक कार्यक्रमों के अभिकल्पन, प्रबंधन और प्रभाव मूल्यांकन का विशद अनुभव भी है। वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के समग्र विकास के लिए क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण के एक प्रबल पक्षधर हैं। उनके पास एमएसएमई/स्टार्टअप इकाइयों, वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं - बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अल्प वित्त संस्थाओं, वैकल्पिक निवेश निधियों आदि को सहायता प्रदान करने का व्यापक अनुभव है। प्रशिक्षण से इंजीनियर, श्री मित्तल ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

II. श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन

श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को 6 अगस्त, 2024 को भारत सरकार द्वारा सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया। उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री (एमबीए) है और उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम, केरल से बी.एससी. किया था। वर्तमान में, वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। इससे पहले, उन्होंने करूर वैश्य बैंक में बिजनेस हैड, एमएसएमई (स्मार्ट बिजनेस सेगमेंट) के रूप में कार्य किया था। उन्होंने उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में भी बिजनेस हेड (एमएसएमई) के रूप में कार्य किया है। उनके पास एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, व्यापार वित्त, जोखिम प्रबंधन, दबावग्रस्त खाता प्रबंधन और ऋण परिचालनों का 25 वर्ष से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक से पहले, उन्होंने एक्सिस बैंक लिमिटेड में सर्कल हैड - वाणिज्यिक बैंकिंग के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक्सेंच्योर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंफोसिस बीपीओ और बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड में भी कार्य किया था।

* यथा 31 मार्च, 2024 को, अन्य निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त और अन्य विवरण, वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध में द्रष्टव्य है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

फॉर्म बी
प्रॉक्सी का फॉर्म

[सिडबी अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सिडबी सामान्य विनियम 2000 के विनियम 63 का उप-विनियम (3) की अनुसूची VI फॉर्म बी देखें]

मैं/हम, ...राज्य के .... जिले में स्थित ....के निवासी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री.................................. जो ....राज्य के .... जिले में स्थित ....के निवासी है, अथवा उनके विफल रहने पर श्री .... जो ....राज्य के .... जिले में स्थित ....के निवासी हैं को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारकों की दिनांक .... को प्रस्तावित बैठक अथवा उसके किसी स्थगन के फलस्वरूप होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

दिनांक__________ को ____________________ द्वारा हस्ताक्षरित

मार्ग मानचित्र

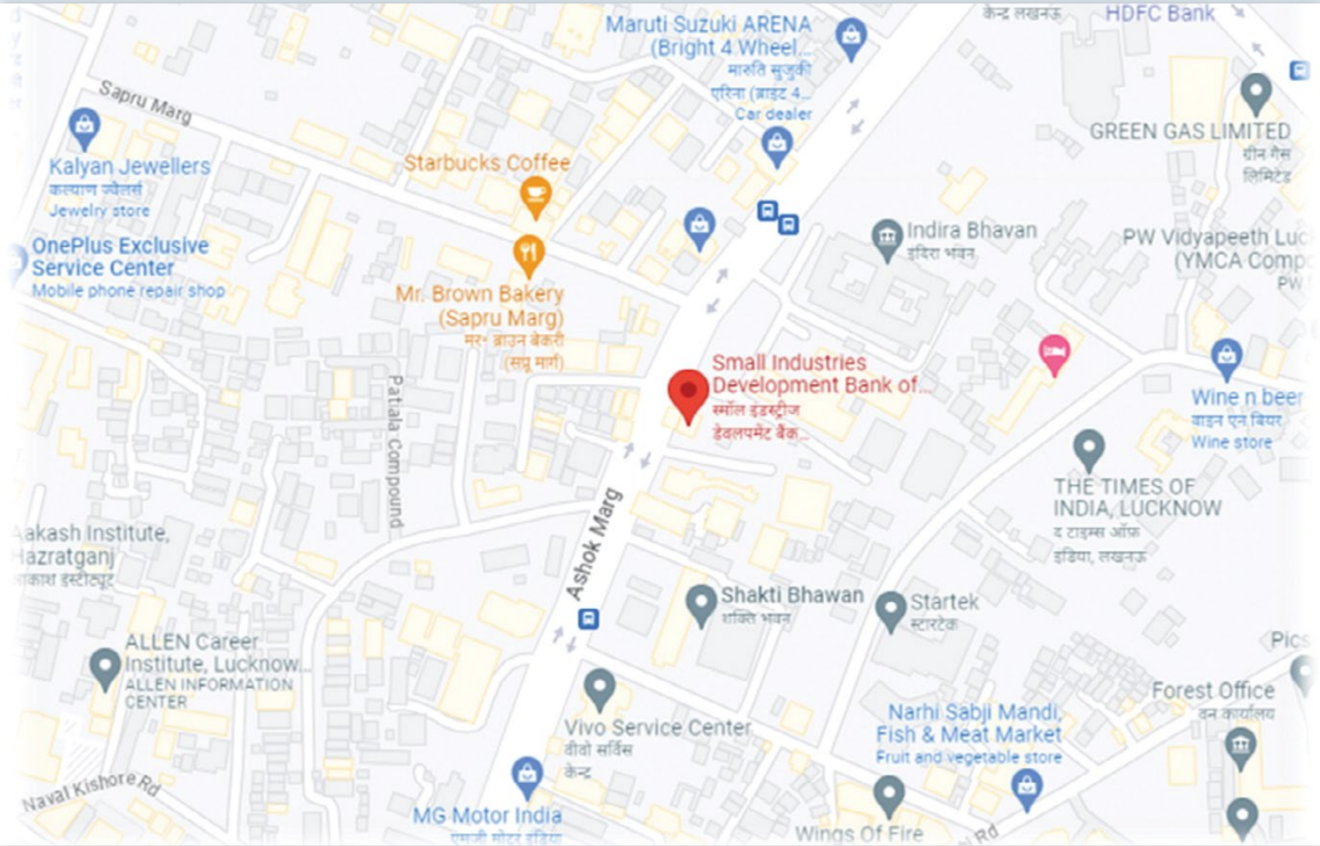

सिडबी प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001 हेतु मार्ग मानचित्र

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

सदस्यों के प्रति,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित, प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन - एक दृष्टि में:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समेकित		एकल	
	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023
देयताएँ				
पूँजी	568.54	568.54	568.54	568.54
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	33,578.10	28,876.87	31,147.97	27,240.70
जमाराशियाँ	2,41,415.80	1,99,945.60	2,06,384.21	1,65,036.15
उधारियाँ	2,70,545.48	2,00,657.92	2,70,545.48	2,00,657.92
अन्य देयताएं और प्रावधान	14,478.12	9,203.25	13,874.75	8,879.42
कुल	**5,60,586.04**	**4,39,252.18**	**5,22,520.96**	**4,02,382.73**
आस्तियाँ				
नकदी और बैंक शेष	33,543.56	28,603.91	23,308.60	12,108.82
निवेश	34,752.88	27,413.44	36,409.91	29,088.66
ऋण और अग्रिम	4,84,933.05	3,77,995.54	4,56,015.07	3,56,439.07
स्थिर आस्तियाँ	286.91	297.52	286.19	296.39
अन्य आस्तियाँ	7,069.64	4,941.78	6,501.20	4,449.79
कुल	**5,60,586.04**	**4,39,252.18**	**5,22,520.96**	**4,02,382.73**
कुल आय	**34,231.78**	**20,001.43**	**31,942.09**	**18,484.82**
कुल व्यय	**27,876.73**	**14,852.23**	**26,652.06**	**14,087.34**
कर-पूर्व लाभ	6,355.05	5,149.20	5,290.04	4,397.48
कर व्यय	1,542.32	1,251.54	1,263.74	1,053.91
कर-पश्चात लाभ	4,822.34	3,931.47	4,026.30	3,343.57
प्रति शेयर मूल/तनुकृत अर्जन	84.82	69.15	70.82	58.81

क. एकल:

i. **लाभ:** बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 2024 में 20% बढ़कर ₹ 4,026.30 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 3,343.57 करोड़ था।

II. **निवल लाभ मार्जिन:** वित्त वर्ष 2024 में निवल लाभ मार्जिन घटकर 12.61% रह गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 18.09% था।

III. **कुल आय और व्यय:** कुल आय वित्त वर्ष 2024 में 73% बढ़कर ₹ 31,942.09 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 18,484.82 करोड़ थी और कुल व्यय वित्त वर्ष 2024 में 89% बढ़कर ₹ 26,652.06 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष2023 में ₹ 14,087.34 करोड़ था।

IV. **निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन:** निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 2024 में 52% बढ़कर ₹ 8,428 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 5,548 करोड़ थी। निवल ब्याज़ मार्जिन में भी वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 16 आधार अंको का सुधार हुआ और यह 1.84% हो गया।

V. **परिचालनगत व्यय और लागत आय अनुपात :** वित्त वर्ष 2024 हेतु परिचालनगत व्यय ₹ 1,865.07 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान यह ₹ 823.54 करोड़ था। इस प्रकार यह 126% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

VI. **आस्तियाँ और ऋण तथा अग्रिम:** कुल आस्तियाँ वित्त वर्ष 2024 में 30% बढ़कर ₹ 5,22,520.96 करोड़ हो गईं, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 4,02,382.73 करोड़ थीं। कुल आस्तियों का 87% ऋण और अग्रिम थे जो ₹ 4.50 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 4,56,015.07 करोड़ रुपये हो गए थे, जबकि 31 मार्च, 2023 को ये ₹ 3,56,439.07 करोड़ थे। इस प्रकार इनमें वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 28% की वृद्धि हुई।

ऋण और अग्रिम (₹ करोड़)

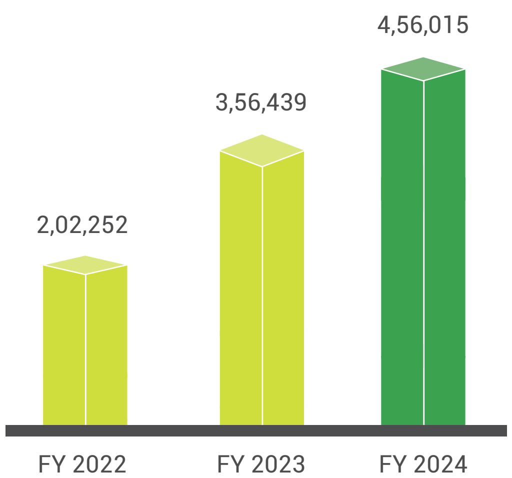

आस्ति आधार(₹ करोड़)

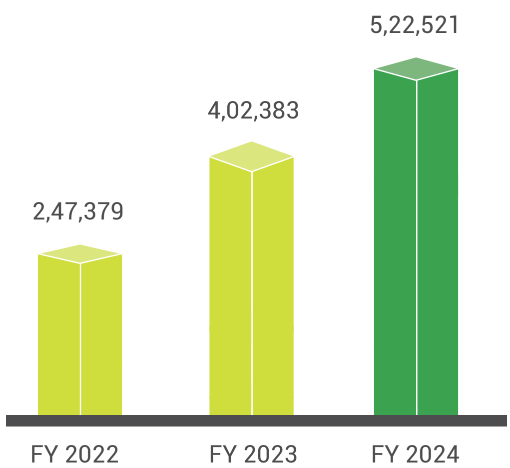

VII. जमा राशियाँ: वित्त वर्ष 2024 में जमा राशियाँ 25% बढ़कर ₹ 2,06,384.21 करोड़ हो गईं, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 1,65,036.16 करोड़ थीं।

VIII. उधारियां : उधारियां 35% बढ़कर ₹ 2,70,545.49 करोड़ हो गईं।

IX. शेयरधारकों को प्रतिफल: बैंक का प्रति शेयर अर्जन वित्त वर्ष 2024 में ₹ 70.82 रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹ 58.81 था। आस्तियों पर प्रतिफल (कर-पश्चात) 1.00% से घटकर 0.87% हो गया। इक्विटी पर प्रतिफल (कर-पश्चात) 12.91% से बढ़कर 13.67% हो गया।

प्रति शेयर अर्जन (₹)

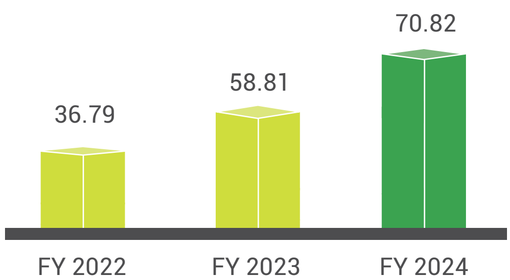

X. **शेयर पूँजी:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की शेयर पूँजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। यथा 31 मार्च 2024 को चुकता शेयर पूँजी दस-दस रुपये के 56,85,41,169 इक्विटी शेयर थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने विभेदक मताधिकार वाले कोई शेयर जारी नहीं किए हैं और न ही कोई स्टॉक विकल्प या स्वीट इक्विटी प्रदान की है। बैंक के किसी भी निदेशक के पास बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

XI. **लाभांश:** सिडबी के निदेशक मंडल ने सहर्ष वित्त वर्ष 2024 हेतु दस-दस रुपये के अंकित मूल्य के 56,85,41,169 करोड़ इक्विटी शेयरों पर ₹2 (यानी 20%) के लाभांश की संस्तुति शेयरधारकों के विचारार्थ की है (जो वित्त वर्ष 2023 के लिए भी ₹2 प्रति शेयर था)। लाभांश वितरण के परिणामस्वरूप ₹ 113.71 करोड़ का नकदी बहिर्गमन होगा।

XII. **आस्ति गुणवत्ता मैट्रिक्स:** 31 मार्च, 2024 को बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ और निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.02% और 0.00% थी.

XIII. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्त वर्ष 2024 की समाप्ति पर 100% था, जो वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति पर भी 100% था।

XIV. पूँजी पर्याप्तता अनुपात वित्त वर्ष 2024 की समाप्ति पर 15.94% था, जबकि वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति पर यह 19.29% था।

ख. समेकित :

i. बैंक की कुल आय वित्त वर्ष 2024 में 71% बढ़कर ₹34,231.78 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹20,001.43 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024 में बैंक का निवल लाभ 23% बढ़कर ₹4,822.34 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹3,931.47 करोड़ था।

ii. बैंक की प्रति शेयर आय पिछले वित्त वर्ष में ₹69.15 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर ₹84.82 हो गई।

ग. भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन की प्रगति:

आरबीआई द्वारा सिडबी को जारी दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए भारतीय लेखांकन मानक का कार्यान्वयन अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों को आईजीएएपी के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. व्यवसाय निष्पादन:

क मुख्य परिचालन - एक दृष्टि में :

(₹ करोड़ में)

उत्पाद खंड	वित्त वर्ष 2024			वित्त वर्ष 2023			बकाए की संवृद्धि %
	मंजूरी	संवितरण	बकाया राशि	मंजूरी	संवितरण	बकाया राशि	
प्रत्यक्ष ऋण	16,183	12,476	26,826	8,780	6,500	18,409	46%
बैंकों को पुनर्वित्त	2,43,211	2,43,211	3,63,101	2,42,054	2,42,054	2,98,173	22%
एनबीएफसी को पुनर्वित्त	33,025	32,420	55,205	22,037	22,980	33,415	65%
एमएफआई को पुनर्वित्त	8,765	6,172	8,771	4,120	3,812	4,900	79%
क्लस्टर विकास निधि योजना	1,406	663	2,111	4,458	1,409	1,542	37%
कुल	**3,02,590**	**2,94,942**	**4,56,015**	**2,81,449**	**2,76,755**	**3,56,439**	**28%**

I. संस्थागत वित्त:

संस्थागत वित्त बैंक के ऋण और अग्रिमों का लगभग 94% है। वित्त वर्ष 2024 की समाप्ति पर संस्थागत वित्त के अंतर्गत बकाया ₹ 4,27,078 करोड़ था।

बैंकों को पुनर्वित्त -

बैंक एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। बैंकों के लिए पुनर्वित्त बकाया संविभाग 31 मार्च, 2024 को ₹ 3,63,101 करोड़ था, जबकि यह वित्त वर्ष 2023 में ₹ 2,98,179 करोड़ था, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹ 2,43,211 करोड़ के नए संवितरण के मूल में 22% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई थी। 31 मार्च, 2024 तक कुल बकाए में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 28% थी। पुनर्वित्त संविभाग में 50 ऋणदात्री संस्थाएं शामिल थीं।

बैंकों की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उधारियों की कमी में से आरबीआई द्वारा एमएसई पुनर्वित्त निधि कोष के अंतर्गत आवंटित संचयी संवितरण ₹ 3,45,308 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, एमआरएफ में से कुल संवितरण ₹ 63,769 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5,074 करोड़ चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में अवस्थित अंतर्निहित आस्तियों से संबंधित थे।

एनबीएफसी को पुनर्वित्त -

यथा वित्त वर्ष 2024 की समाप्ति पर सिडबी के एनबीएफसी संविभाग का बकाया पिछले वर्ष के दौरान ₹ 33,415 करोड़ की तुलना में ₹ 55,205 करोड़ था, जिसमें 65% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान संवितरण ₹ 32,420 करोड़ थे, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 41% की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी परिव्याप्ति में कम रेटिंग वाली और छोटी एनबीएफसी को शामिल करके बड़ी संख्या में एनबीएफसी तक अपने अभिगम को व्यापक बनाया। वित्त वर्ष 2024 के अंत में, बैंक के पास 78 एनबीएफसी से संबंधित बकाया संविभाग था, जिसमें 48 (वित्त वर्ष2023 के दौरान 34) एनबीएफसी को ए / बीबीबी रेट किया गया था तथा कतिपय एनबीएफसी अनरेटेड थे। बैंक ने वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सहायता के साथ 25 नए एनबीएफसी को भी शामिल किया और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) मार्ग के माध्यम से 10 एनबीएफसी और द्विस्तरीय मध्यवर्तन चैनल के अंतर्गत 32 एनबीएफसी को सहायता प्रदान की, जिनमें से सभी को बीबीबी और उससे निम्नतर रेटिंग दी गई थी, कतिपय अनरेटेड भी थे। इस प्रकार, सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल एनबीएफसी की सं. 120 तक तक पहुंच गई, जिसके परिणामस्वरूप इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज हो पाई।

बैंक ने छोटे और कम रेटिंग वाले एमएफआई/ एनबीएफसी/फिनटेक के लिए बॉन्ड बाजार विकसित करने हेतु आरबीआई के अनुमोदन से ₹ 1,000 करोड़ की एक विशेष कोष स्थापित किया था। उक्त कोष ने मार्च 2022 में ₹ 300 करोड़ की समूह निधि के साथ अपने पहले चरण के परिचालन आरंभ किए, जिसमें सिडबी की प्रतिबद्धता ₹ 225 करोड़ थी, और यह 'प्रॉमिसिंग लेंडर्स

फंड' (पीएलएफ -1) के उत्पाद-शीर्षक के अंतर्गत परिचालित हुई। पीएलएफ-1 के तहत ₹300 करोड़ संपूर्ण निधि पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे बीबीबी और उससे कम रेटिंग वाले 16 एमएफआई/एनबीएफसी/फिनटेक में निवेशित किया गया है, जिससे पिरामिड के निचले पायदान पर अवस्थित 4,000 से अधिक एमएसई और 40,000 महिला उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। पीएलएफ -1 के सफल कार्यान्वयन पर बैंक ने ₹400 करोड़ के कुल कोष के साथ 'प्रॉमिसिंग लेंडर्स फंड II (पीएलएफ -2)' के नाम से दूसरे चरण का प्रवर्तन किया, जिसमें सिडबी की प्रतिबद्धता ₹300 करोड़ रुपये है। निधि का 14 छोटे एमएफआई/एनबीएफसी/फिनटेक में निवेश किया गया है, जिन्हें बीबीबी या उससे कम की रेटिंग प्राप्त है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, सिडबी ने निम्नलिखित नई पहलकदमियां की हैं :

यूके सिन्हा के नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति और वित्त संबंधी 46वीं स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप अनरेटेड / बीबीबी से नीचे की रेटिंग वाली एनबीएफसी संस्थाओं के लिए एक नई सहायता योजना का प्रवर्तन किया गया।

इलेक्ट्रिक गतिशीलता में संक्रमण की आसन्न आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंक ने ईवी क्षेत्र को पूरा करने वाली छोटी/कम रेटेड/अनरेटेड एनबीएफसी को वित्तीय सहायता हेतु एक प्रायोगिक योजना का प्रवर्तन किया है।

बड़ी/उच्च रेटिंग वाली एनबीएफसी के माध्यम से एमएसई इकाइयों हेतु ऋण वितरण में अभिवृद्धि के लिए, एए रेटेड/उन्नत स्तर के एनबीएफसी के लिए जोखिम आधारित एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत और अधिक ऋण सीमाओं का परिचालन आरंभ किया गया, जिसमें ऐसी एनबीएफसी को वार्षिक एक्सपोजर सीमा दी गई है, ताकि वे आवश्यकतानुरूप निधियां प्राप्त कर सकें।

एनबीएफसी क्षेत्र हेतु विकासपरक पहलकदमियां -

बैंक ने छोटे/कम रेटिंग वाले एनबीएफसी के क्षमता निर्माण के लिए एनबीएफसी ग्रोथ एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (एनजीएपी) के प्रवर्तन हेतु ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (गेम) के साथ भागीदारी की। पहले समूह में 17 एनबीएफसी को शामिल किया गया था।

एनबीएफसी पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंक ने मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एनबीएफसी पर एक सलाहकार समिति भी गठित की है, जिसमें उद्योग व्यवसायी, उद्योग संघ के प्रतिनिधि, क्षेत्र-विषेश के विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

एमएफआई हेतु पुनर्वित्त -

सिडबी कतिपय हस्तक्षेपों के माध्यम से अल्पवित्त पारितंत्र का समर्थन करता है, जिसमें इक्विटी ऋण, सावधि ऋण, अनुदान आदि के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है। साथ ही इसमें, 'जिम्मेदार' उधार प्रथाओं का संवर्द्धन और कार्यान्वयन भी शामिल है।

बैंक ने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से अल्पवित्त संस्थाओं के नैगम अभिशासन और परिचालनगत दक्षता को गति प्रदान की है, जिससे इस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण का सहज प्रवाह संभव हुआ है। भारत के अल्पवित्त क्षेत्र में सिडबी द्वारा निदर्शित विशेष महत्व के फलस्वरूप कई एमएफआई संस्थाएं सार्वभौमिक बैंकों या लघु वित्त संस्थानों में रूपांतरित हो गई हैं।

सिडबी की अल्पवित्त पहलकदमियों के अंतर्गत, 31 मार्च, 2024 तक संवितरित संचयी सहायता कुल ₹33,443 करोड़ रही, जिससे लगभग 5.15 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं।

31 मार्च, 2024 को निवल बकाया संविभाग ₹8,771 करोड़ (वित्त वर्ष 2023 में ₹4,900 करोड़) था, जिसमें वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 79% की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, संवितरण ₹6,172 करोड़ था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 94% की वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष 2024 की समाप्ति तक सहायता प्राप्त एमएफआई की कुल संख्या 41 थी।

II. प्रत्यक्ष उधार:

शाखा नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण संविभाग में विभिन्न संरचनात्मक और उत्पाद-स्तर के हस्तक्षेपों पर केंद्रित समय से निष्पादित प्रयासों के फलस्वरूप 35% की वृद्धि हुई है, जिसमें ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, जोखिम प्रबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्लेषणपरक टूल के अनुप्रयोग, नए उत्पादों के प्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी एमसीएलआर-लिंक्ड दरें आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख पहलकदमियां :

1

साझेदारी और सहयोग: बैंक ग्राहक अधिग्रहण पर ध्यान देने के साथ ही, एमएसएमई में नए क्षेत्रों तक पहुंचने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी की प्रक्रिया अपना रहा है।

- उद्योग संघों और समान हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन: ये निकाय अपने सदस्यों की वित्तीय जरूरतों के लिए सिडबी के साथ अभीष्ट स्रोतों को साझा करता है। बैंक ने प्रतिष्ठित निकायों के साथ सहयोग किया है और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख उद्योग निकायों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान की है।
- ओईएम के साथ समझौता ज्ञापन: सिडबी ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ओईएम और अंतरराष्ट्रीय ओईएम की सहायक संस्थाओं /वितरकों के साथ समझौते निष्पादित किए हैं।
- ऋण आवेदनों की प्राप्ति के लिए संदर्भ व्यवस्था: बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और प्रभूत एमएसएमई संविभाग के साथ अन्य प्रमुख ऋणदाताओं के परिचालनों के आधार पर, ऋण आवेदनों की प्राप्ति हेतु वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंक द्वारा एक संदर्भ व्यवस्था का सृजन किया गया है।

2

नए /पुनर्निमित उत्पाद:

- "स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)" के दायरे का विस्तार करने हेतु बैंक ने एमएसएमई की मशीनरी/उपकरण संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया उत्पाद आरंभ किया।
- उन्नत हामीदारी अंकन की प्रथाओं को अपनाने की पृष्ठभूमि में एक सरलीकृत मूल्यांकन प्ररूप में शाखा कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से सभी मशीनरी/उपकरण संबंधी वित्तपोषण प्रस्तावों के संसाधन हेतु मौजूदा स्पीड योजना को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया गया। तदनुसार, शाखा कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से संसाधित अन्य सभी त्वरित/सरल वितरण मॉडल अर्थात स्पीड प्लस, प्रथम, एआरआईएसई आदि का युक्तिसंगत स्पीड योजना में विलय कर दिया गया।
- प्रत्यक्ष ऋण संविभाग को बढ़ाने के लिए बैंक ने नए ओवरड्राफ्ट उत्पाद, जैसे 'एकीकृत वित्तीय साधनों का उपयोग करके कार्यशील पूंजी हेतु सिडबी सहायता (स्विफ्ट)' और स्विफ्ट फास्ट ट्रैक (स्विफ्ट एफटी) प्रवर्तित किए गए थे। स्विफ्ट और स्विफ्ट एफटी की योजनाएं मौजूदा एमएसएमई इकाइयों को एकल आधार पर कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थीं, जो किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी/ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ नहीं उठा रही थीं।
- डिजिटल प्रयोक्ता के अनुभव उन्नत बनाने के लिए ग्राहक मोबाइल ऐप 'सिडबी 4यू' विकसित किया गया है, जिसमें ग्राहक वेब पोर्टल संबंधी प्रकार्य शामिल हैं।

3

हरित वित्तपोषण:

सिडबी ने अपने विकासपरक और वित्तीय प्रयोजनों के साथ एमएसएमई पारितंत्र में हरित संकल्पना के पोषण के लिए अतिसक्रिय कदम उठाए हैं।

हरित वित्त दृष्टिकोण में तीन भाग शामिल हैं: एमएसएमई परियोजनाओं के लिए हरित वित्त योजनाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलवायु-शामक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित वातावरण का सृजन करना और ऊर्जा-दक्ष परियोजनाओं को निधि देने के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व करना और उन्हें प्रेरित करना।

वर्ष की हरित पहलकदमियां :

1 »

हरित वित्तपोषण पारितंत्र

वर्तमान में बैंक के हरित परिचालन में दो हरित उत्पाद/योजनाएं शामिल हैं - (i) मौजूदा एमएसएमई के लिए एंड टू एंड ऊर्जा दक्षता (4ई) योजना और (ii) हरित वित्तपोषण योजना (जीएफएस) - ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों उद्यमों के लिए।

4ई वित्तपोषण योजना और जीएफएस के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य उन एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो ऊर्जा दक्ष मशीनरी /प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सौर, पवन आदि जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं में निवेश के साथ जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से कार्यरत हैं।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, सिडबी ने 100 से अधिक औद्योगिक समूहों में लगभग 4,400 एमएसएमई उद्यमों को लगभग ₹ 8,200 करोड़ रुपये का हरित ऋण प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 1.3 बिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत हुई है। बैंक का हरित संविभाग वर्तमान में वित्त वर्ष 2024 के अंत में ₹ 7,376 करोड़ है, अर्थात् वित्त वर्ष 2023 से 4.5 गुना अधिक।

2 »

गिफ्ट और स्पाइस योजना (एमओएमएसएमई) :

सिडबी को एमएसई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (एमएसई गिफ्ट) और एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी (एमएसई -स्पाइस) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना है, जिसके लिए उनके परिचालनों में हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश हेतु ब्याज सहायता/ सब्सिडी के रूप में रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

3 »

मिशन-सोलर :

एमएसएमई द्वारा सोलर रूफटॉप में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने सोलर ओईएम के साथ भागीदारी की है, जिसमें शुल्क-अधित्याग और प्रतिस्पर्धी ब्याज दर जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

4. उद्यम ऋण /पोषण केंद्रों के माध्यम से बीज निधि :

स्टार्ट-अप उद्यम ऋण योजना

वित्त वर्ष 2023 में बैंक द्वारा शुरू किए गए एमएसएमई/स्टार्ट-अप के लिए उद्यम ऋण ढांचे में वित्त वर्ष 2024 के दौरान प्रभूत वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023 में 7 एमएसएमई/स्टार्ट-अप के लिए मंजूरी ₹ 36.50 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के दौरान 37 एमएसएमई/स्टार्ट-अप हेतु ₹ 262.25 करोड़ कर हो गई, जिससे संचयी प्रतिबद्धताएं लगभग ₹ 300 करोड़ हो गईं। बकाया संविभाग बढ़कर लगभग ₹ 200 करोड़ हो गया।

उदीयमान भारत का समर्थन - पोषण-केंद्रों के माध्यम से बीज निधि

भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र बन गया है और यथेष्ट बीज पूंजी की व्यवस्था के साथ इसमें और भी अधिक उन्नत होने की क्षमता है। पोषण केंद्रों के साथ साझेदारी में प्रभावशाली/उत्पाद/आईपी संचालित स्टार्ट-अप हेतु बीज निधियन के लिए बैंक के अनूठे मॉडल में 14 नई व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं, जिसमें 16 पोषण केंद्रों के लिए कुल मंजूर बीज निधि की समूह राशि ₹ 121 करोड़ हो गई। रक्षा क्षेत्र के स्टार्ट-अप के लिए ₹ 50 करोड़ का अतिरिक्त कोष भी निर्धारित किया, जिसमें से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 5 इनक्यूबेटरों के लिए ₹ 25 करोड़ की समूह निधि मंजूर की गई थी।

III. भागीदारों के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण :

सिडबी ने एनबीएफसी, एमएफआई, फिनटेक, बीसी आदि चैनल भागीदारों की विशेषज्ञता और तत्संबंधी बड़े नेटवर्क से लाभान्वित होते हुए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर आईएमई पर ध्यान केंद्रित करके एमएसएमई के बीच अपनी पहुंच के विस्तार के लिए भागीदार ऋण उद्-भाग (पीएलवी) की स्थापना की।

मुख्य परिचालनों में निम्नलिखित शामिल थे:

1. भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए प्रयास योजना

   - वित्त वर्ष 2024 के दौरान, भागीदार संस्थानों और सिडबी के बीच सहज प्रक्रिया एकीकरण के साथ, संपूर्ण ऋण प्रदायगी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रयास के अंतर्गत परिचालन को बढ़ाया गया था। वित्त वर्ष 2024 के दौरान 1,26,107 लाभार्थियों को ₹ 2,390 करोड़ की कुल मंजूरी और ₹ 2,188 करोड़ के कुल संवितरण किए गए। कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त संचयी लाभार्थियों की संख्या 2,07,657 थी। 31 मार्च, 2024 तक बकाया ₹ 2,502 करोड़ था। वर्तमान में यह योजना 25 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 25 भागीदार संस्थानों के माध्यम से परिचालित हो रही है।

   - प्रायोगिक योजना - एसएचजी सदस्यों को ऋण देने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के माध्यम से एनआरएलएम/एसआरएलएम व्यवस्था के अंतर्गत प्रयास 2.0 के तहत एक नई योजना अर्थात व्यक्तिगत उद्यम योजना (आईईएस) शुरू की गई।

2. **सह-उधार परिचालन**

   - बैंक ने छोटे एमएसएमई उद्यमियों को किफायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से दिसंबर, 2022 में एनबीएफसी के साथ सह-उधार की व्यवस्था शुरू की, विशेष रूप से जो ऋण के लिए नए हैं। यह अल्प-सेवित /असेवित एमएसएमई तक पहुंचने के लिए बैंक के प्रयास का एक हिस्सा है।
   - 31 मार्च, 2024 तक 8 एनबीएफसी के साथ सह-उधार भागीदारी के माध्यम से कुल ₹ 290 करोड़ के 1,532 ऋण संचयी रूप से संवितरित किए गए।

3. **प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से एनबीएफसी से ऋण आस्तियों की खरीद**

   बैंक ने एनबीएफसी के साथ अपनी पहुंच में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष समनुदेशन की प्रक्रिया से जुड़कर अपनी सेवाओं का विस्तार किया। परिचालन की शुरुआत 3 एनबीएफसी/एचएफसी को ₹ 1,000 करोड़ के कुल अनुमोदित समूह आधारित खरीद में से ₹ 49 करोड़ के एमएसएमई-समूह की खरीद के साथ की गई।

IV. सिडबी क्लस्टर विकास निधि

- क्लस्टर विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सिडबी ने एमएसएमई क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को कम लागत पर निधियन की व्यवस्था सुलभ कराने हेतु ₹ 7,000 करोड़ के कोष के साथ साथ क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) की स्थापना की। दिसंबर 2021 में प्रवर्तित इस योजना में (1) औद्योगिक और कृषि-संबद्ध क्षेत्र, (2) सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं, और (3) एमएसएमई समूहों से संयोजकता शामिल हैं। सिडबी 7 वर्षों के लिए राज्य सरकारों को सुलभ ऋण के रूप में सहायता प्रदान करेगा।

> वर्ष के दौरान, एससीडीएफ के अंतर्गत एमएसएमई क्लस्टर अवसंरचना विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शामिल किया गया है। मार्च 31, 2024 को ₹ 2,252 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया और मार्च 31, 2024 तक बकाया ₹ 2,111 करोड़ था। इससे कुल 1.72 लाख एमएसएमई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं और 14.61 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुए।

- 31 मार्च, 2024 तक 11 राज्यों (2 केंद्र शासित प्रदेशों सहित) ने एससीडीएफ के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है।

सिडबी क्लस्टर मध्यक्षेप कार्यक्रम (सीआईपी)

- सिडबी एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विनिर्माण, सेवाओं और नवाचार के चुनिंदा समूहों में क्लस्टर मध्यक्षेप कार्यक्रम (सीआईपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।
- इस कार्यक्रम से एमएसएमई उद्यमों, व्यवसाय विकास सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों, शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों के क्षमता निर्माण संबंधी उद्देश्य सफलतापूर्वक फलीभूत हुए हैं।
- वित्त वर्ष 2022 में इसे पांच क्लस्टर (जेऐण्डके में पर्यटन, जोधपुर में लकड़ी के फर्नीचर, एनसीआर में नवाचार, बारगढ़ में हथकरघा और चेन्नई में चमड़ा) में एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। वित्त वर्ष 2024 में सीआईपी भारत भर में 20 अतिरिक्त क्लस्टर तक विस्तारित हो गया।

V. इक्विटी वित्त

स्टार्ट-अप /निधियों की निधि के लिए उद्यम वित्त : निधियों की निधि के अंतर्गत, सिडबी सेबी पंजीकृत उद्यम निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों की निधि में अंशदान करता है। योजना के अधिदेश के अनुसार एमएसएमई/स्टार्टअप्स में इन्हें अपनी निधि की निर्दिष्ट राशि का निवेश करना आवश्यक है।

निधियों की निधि के परिचालन :

1. स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि: स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि में कुल ₹ 10,000 करोड़ की निधि मौजूद है। यह सेबी पंजीकृत उद्यम निधि / वैकल्पिक निवेश निधि में योगदान करती है। स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि (एफएफएस) की 138 एआईएफ के लिए ₹ 10,805 करोड़ रुपये की सकल प्रतिबद्धताएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2026 की मूल रूप से परिकल्पित समय-सीमा से पहले ₹ 10,000 करोड़ की कुल समूह राशि आवंटित की गई।
2. भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एस्पायर निधि: सिडबी ₹ 310 करोड़ की एस्पायर निधि का प्रबंध कर रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में स्टार्ट-अप का समर्थन करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में, 4 एआईएफ को ₹ 115 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे, जिससे योजना के तहत कुल वचनबद्धताएं ₹ 217.50 करोड़ हो गईं।
3. उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप निधि : उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 1,000 करोड़ की स्टार्ट-अप निधि का आरंभ किया, जिसका प्रबंध सिडबी द्वारा किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, यूपी सरकार ने विभिन्न एआईएफ को योगदान की सुविधा के लिए अतिरिक्त ₹ 100 करोड़ जारी किए, ताकि उन्हें स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे जारी की गई निधि की कुल राशि ₹ 225 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2024 के

दौरान, योजना के तहत 6 एआईफ के लिए ₹ 215 करोड़ की प्रतिबद्धता की गई। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक जारी की गई निधियों की समूची राशि की प्रतिबद्धता पूरी हो गई है।

4. वर्ष के दौरान शामिल किए गए नए राज्यों की निधियों की निधि: जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष 2024 के दौरान तीन नए राज्यों की निधियों की निधि को शामिल किया गया:

   - ओडिशा स्टार्ट-अप संवृद्धि निधि: निधि को वित्त वर्ष 2024 के दौरान आरंभ किया गया था और ₹ 100 करोड़ के वर्तमान आवंटन/समूह राशि के संबंध में सिडबी ने पहले ही 4 एआईएफ को ₹ 75 करोड़ की प्रतिबद्धता पूरी कर ली है।
   - बिहार स्टार्टअप स्केल-अप फाइनेंसिंग फंड : वर्ष के दौरान ₹ 50 करोड़ के आवंटन के साथ ही, इसका भी शुभारंभ किया गया।
   - महाराष्ट्र हेतु निधियों की निधि : ₹ 100 करोड़ की समूह निधि के साथ, महाराष्ट्र स्थित स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि की वित्त वर्ष 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।

इंडिया अल्पवित्त इक्विटी फंड (आईएमईएफ) के तहत परिचालन:

भारत सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत छोटे अल्पवित्त संस्थाओं को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया अल्पवित्त इक्विटी निधि का प्रवर्तन किया। बैंक ने सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया और उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे स्थानों में कार्यरत छोटे अल्पवित्त के संस्थापकों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 10 एमएफआई को ₹ 19 करोड़ की सहायता मंजूर की गई।

प्रौद्योगिकीय प्रयास /नवोन्मेष :

डीपीआईआईटी के सहयोग से सिडबी ने एक निवेशक कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया था। पोर्टल निधियन के इच्छुक स्टार्ट-अप्स के लिए एआई संचालित मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है। उक्त पोर्टल पर भावी निवेशकों के साथ स्टार्टअप से जुड़ने की उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है।

ख. जोखिम प्रबंध

बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंध, बाजार जोखिम प्रबंध, परिचालनगत जोखिम प्रबंध, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और व्यवसाय सातत्य प्रबंध जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित की गई है।

बैंक की जोखिम प्रबंध समिति अपनी उधारियों और कोषागार संबंधी परिचालनों के साथ ही, तुलनपत्र से इतर मदों में शामिल जोखिमों की निगरानी और प्रबंध करती है।

वर्ष के दौरान पहलकदमियां:

- बेसल-III कार्यान्वयन: बैंक की नीतियों की समीक्षा की गई है और उन्हें आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरूप आशोधित किया गया है। साथ ही, सीआरएआर की गणना हेतु सिस्टम का सृजन किया गया है। बैंक दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से बासेल III के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तैयार है।
- ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा सूचना विनिमय का विकास: सिडबी ने वास्तविक समय अपरिवर्त्य डाटा और ऋण आस्तियों की ट्रैकिंग की पेशकश के लिए सुरक्षा सूचना (एसआई) विनिमय हेतु एक ब्लॉकचेन आधारित पारितंत्र स्थापित किया है, जिससे गलत प्रस्तुतीकरण की संभावना कम हो गई है। गैर-बैंकिंग प्रतिभागियों (एनबीपी) - एनबीएफसी / एमएफआई आदि और संस्थागत प्रतिभागियों (आईपी - बैंक / एफआई आदि) में पारितंत्र केंद्रित दृष्टिकोण इस प्रकार अपनाया जाता है कि यह सभी ऋणदाता प्रतिभागियों में सुरक्षा जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक मानक आधार बन जाता है और एनबीपी के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए सहायता के प्रवाह में अभिवृद्धि की सुविधा प्राप्त हो जाती है।
- बीआरई का उपयोग करते हुए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के तहत प्रस्तावों की स्वचलित मंजूरी के लिए पुनरीक्षित एक्सप्रेस मॉडल का प्रवर्तन।
- स्मार्ट 2.0 के तहत प्रस्तावों के वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग के लिए डीपीआई/डिजिटल पारितंत्र से उपलब्ध डेटा (जैसे जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, क्रेडिट ब्यूरो, आदि) को शामिल करके पुनरीक्षित स्मार्ट2.0 की शुरुआत। मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्मार्ट की सीमा बढ़ाकर ₹ 7.50 करोड़ कर दी गई।
- निम्नलिखित को शामिल करके पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) में परिष्कार -
  - o प्रयोक्ताओं के लिए एकल साइन-ऑन,
  - o उद्दिनांकित आवृत्ति / सीमा (थ्रेसहोल्ड) / तर्कसंगत सचेतन।
  - o चलते-फिरते अभिगम की सुगमता के लिए नया आईओएस और एंड्रॉइड मोबाइल ऐप।

ग. एनपीए की निगरानी

सिडबी संविभाग की गुणवत्ता बनाए रखने और एनपीए खातों से वसूली पर अत्यधिक बल दे रहा है। ₹ 5 करोड़ तथा इससे अधिक के मूल बकाया मूलधन वाले सभी अलग-अलग एनपीए मामलों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड स्तरीय वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित की गई है। इसके अलावा, बैंक ने वसूली से संबंधित मामलों के प्रबंध के लिए आस्ति वसूली उद्-भाग की इकाइयों की स्थापना की है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹ 277 करोड़ की वसूली की गई, (नए एनपीए से ₹ 21.23 करोड़ की वसूली से इतर)। वित्त वर्ष 2024 के अंत में बैंक का सकल एनपीए ₹ 84 करोड़ था (वित्त वर्ष 2023 में ₹ 29 करोड़ की तुलना में), निवल एनपीए शून्य था (वित्त वर्ष2023 में ₹ 9 करोड़ की तुलना में)।

घ. प्रकाशन और पहुंच

बैंक क्रेडिट ब्यूरो आदि की मदद से ज्ञानपरक उत्पादों के प्रकाशन के साथ सूचना-विषमता को कम करने और नीति निर्माताओं की निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उन्हें कई भारतीय भाषाओं में जारी करने की दिशा में कार्यरत है।

एमएसएमई पल्स: सिडबी का उद्देश्य सूचना विषमता को कम करना और कई भारतीय भाषाओं में क्रेडिट ब्यूरो आदि के साथ प्रकाशित ज्ञान उत्पादों के माध्यम से नीति निर्माताओं का समर्थन करना है।

माइक्रोफाइनेंस पल्स: सिडबी-इक्विफैक्स के माध्यम से अल्पवित्त के क्षेत्र में ऋण संबंधी रुझानों पर त्रैमासिक रिपोर्ट सुलभ होता है। यह इक्विफैक्स डेटाबेस पर आधारित है और डेटा-आधारित नीतिगत निर्णयों पर प्रकाश डालता है।

फिनटेक पल्स: यह फिनटेक ऋण संबंधी एक अर्ध-वार्षिक सिडबी-इक्विफैक्स रिपोर्ट है, जो नव युगीन फिनटेक पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसेवित या असेवित आबादी हेतु ऋण प्रदायगी की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

स्पेक्स: डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ साझेदारी में सिडबी-डीऐंडबी संधारणीय दृष्टिकोण सूचकांक क्लस्टर-केंद्रित एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएसएमई की दीर्घकालिकता की धारणा और तत्परता का आकलन करता है। यह संघों और नीति निर्माताओं के लिए एक मात्रात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, ताकि व्यावसायिक इकाइयों को अपनी कार्यनीतियों के भीतर ईएसजी ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

जोकाटा संपूर्ण: सिडबी और जोकाटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक - संपूर्ण तैयार किया है। यह एमएसएमई संबंधी विशिष्ट उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के विकास इंजन, इसके एमएसएमई की आर्थिक गतिविधि को रेखांकित करता है।

इको लेंस: जनवरी 2024 को प्रवर्तित किया गया। यह एक घरेलू मासिक बुलेटिन है, जो सिडबी के परिचालनों से संबंधित प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सारांश: एमएसएमई पारितंत्र की बेहतरी और उत्थान के लिए सिडबी द्वारा संवर्द्धनशील, विकासपरक और वित्तीय पहलकदमियों को समाहित करने वाला एक मासिक प्रकाशन।

सिडबी की पुनर्निमित वेबसाइट का शुभारंभ: 01 जनवरी, 2024 को बैंक ने उपयोगकर्ता के अनुभव और सहजता को ध्यान में रखते हुए अपनी पुनर्निमित वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप और क्षेत्र-विशेष के आधार पर ऋण योजनाओं को प्रोत्साहित करती है।

च. एमएसएमई क्षेत्र के लिये डिजिटल प्रयास:

सिडबी द्वारा विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बैंक अपने निर्णय लेने और उधार देने की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के साथ-साथ इस पारितंत्र में डिजिटल हस्तक्षेपों को लागू कर रहा है। बैंक द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- **जीएसटी सहाय**

  सिडबी ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (ओपीएल) और स्पीरिट (आईएसपीआईआरटी) ने ओपन क्रेडिट एन्हांसमेंट नेटवर्क (ओसीएएन) और अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए एक जीएसटी सहाय का संदर्भ ऐप विकसित किया। ऐप सूक्ष्म उद्यमों को जीएसटीएन से व्यापार डेटा, एए के माध्यम से बैंक की जानकारी, क्रेडिट ब्यूरो की स्थिति, ई-साइन, ई-स्टाम्पिंग, ई-एनएसीएच, आदि का उपयोग करके पुनर्भुगतान तक एक गैर-दस्तावेजी निष्पादन के रूप में सूक्ष्म उद्यमों को 'ऑन टैप' चालान-आधारित (नकदी प्रवाह आधारित) छोटे मूल्य के ऋण की सुविधा को सुलभ कराता है।

  वर्ष के दौरान, सिडबी ने सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करने वाले जन औषधि केंद्रों (जेएके) को चालान आधारित वित्तपोषण और लघु अवधि के ऋण प्रदान करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग के फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया। 10,000 जेएके हैं और अन्य 15,000 स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जीएसटी सहाय के माध्यम से इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।

- **एमएसएमई औपचारिकीकरण परियोजना:** उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म

  - कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी के साथ उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का उद्घाटन 11 जनवरी, 2023 को एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) अर्थात् जीएसटी शासन के तहत अ-पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को पंजीकृत करने के लिए किया गया था।

  - वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई आदि जैसी विनियमित संस्थाओं वाली 100 से अधिक नामित एजेंसियों (डीए) ने यूएपी को शामिल किया, जिससे यूएपी पर उनकी कुल संख्या 166 से भी अधिक हो गई।

    - FY2024 के दौरान, यूएपी के माध्यम से 150 लाख से अधिक विशिष्ट आईएमई पंजीकृत किए गए, जिससे यूएपी पर पंजीकृत विशिष्ट आईएमई की कुल संख्या 166.48 लाख से अधिक हो गई।

    - अपने आईएमई ग्राहकों को सहयोजित करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष रूप से एमएफआई के साथ अभिगम आधारित कतिपय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

- **फिट रैंक**

  सिबिल ने सिडबी के संरक्षण में ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड (ओपीएल) के सहयोग से, जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न (ईटीआर) की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए वित्त, आय और व्यापार पर आधारित त्रिकोणीय स्तर पर एमएसएमई ऋण के लिए एफआईटी रैंक की शुरुआत की है। इस मॉडल में अगले 12 महीनों में एमएसएमई के एनपीए बनने की संभावना के आकलन हेतु

यांत्रिक अध्ययन के लाभ का समावेश है, जिससे जोखिम विभेदन और ऋण हामीदारी अंकन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। सिडबी एक्सप्रेस लोन के लिए एफआईटी रैंक का उपयोग करता है, और कतिपय वित्तीय संस्थाएं इसे कार्यशील पूंजी ऋण, जीएसटी सहाय, व्यवसाय ऋण, संपत्ति-ऋण, और अन्य योजनाओं के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं।

- **टीआरईडीएस (ट्रेड्स)**

  आरबीआई ने एमएसएमई को चालान अपलोड करने, स्वीकृत करने, छूट देने, व्यापार करने और संबंधित निपटान में उनकी प्राप्तियों को तत्काल प्राप्त करने में मदद करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का प्रवर्तन किया। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई विक्रेताओं, नैगम संस्थाओं और सरकारी खरीदारों तथा वित्त-प्रदायकों के लिए के लिए खुला है। ट्रेड्स के लेनदेन-संव्यवहार एमएसएमई के लिए "बगैर किसी दायित्व" के होंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि लेनदेन विफल होने पर वे ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ट्रेड्स एमएसएमई उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी अधिक आसानी से उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है।

  सिडबी ट्रेड्स प्लेटफार्मों में से एक अर्थात् रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) का प्रवर्तक है। आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, सिडबी ने फरवरी 2022 में आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म पर वित्त-प्रदाता के रूप में और दिसंबर 2022 में एम1एक्सचेंज पर ट्रेड्स के परिचालन आरंभ किए। इसके पश्चात् बैंक ने तीसरे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म यानी इन्वॉयसमार्ट को शामिल किया।

  वित्त वर्ष 2024 के दौरान, सिडबी ने ₹ 7,213 करोड़ के लिए 3,800 एमएसएमई के 3.15 लाख चालान की छूट दी। 8 सीपीएसयू और 1 राज्य पीएसयू सहित 62 खरीदारों के लिए ₹ 1,925 करोड़ की सीमा मंजूर की गई थी। सिडबी आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 5 वित्त-प्रदायकों में से एक प्रमुख वित्त प्रदाता के रूप में उभरा है।

छ. सूत्रधार की भूमिका

पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना

आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार 01 जून, 2020 से सरकार की एक प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित शहरी फुटपाथी विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है। योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी ने 02 जुलाई, 2020 को एक पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम स्वनिधि योजना को आरंभ में 31 मार्च, 2022 तक परिचालिक किया जाना था, जिसे अब 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है और योजना के अंतर्गत नए ऋण 31 दिसंबर, 2024 तक प्रदान किए जाते रहेंगे।

31 मार्च, 2024 तक योजना के अंतर्गत ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

ऋण का स्वरूप	ऋण मंजूरी (लाख)	संवितरित ऋण (लाख)	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
पहला ऋण	66.36	63.58	6,628.50	6,325.38
दूसरा ऋण	18.59	17.74	3,715.14	3,540.17
तीसरा ऋण	2.97	2.83	1,477.57	1,398.94
कुल	**87.92**	**84.15**	**11,821.21**	**11,264.49**

इस योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2024 तक स्ट्रीट वेंडर्स को कुल ₹ 147.82 करोड़ की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन के लिए ₹ 126.36 करोड़ के कैशबैक का भुगतान किया गया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

बैंक भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना सहित कतिपय योजनाओं के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्यरत है, जिसका प्रवर्तन 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही, कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं तक अभिगम का विस्तार करना है। छह माह के भीतर ही, 175 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों का तीन चरणों में सत्यापन किया जा रहा है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ:

भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक-इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। सिडबी फार्मास्यूटिकल्स तथा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंध एजेंसी है। दोनों पीएलआई योजनाएं शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से चलती हैं, जिसमें आवेदन प्रसंस्करण, परियोजना निगरानी और प्रोत्साहन के अनुमोदन शामिल हैं। कुल परिव्यय फार्मास्यूटिकल्स के लिए ₹ 15,000 करोड़ तथा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों ₹ 12,195 करोड़ रहा है।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित 42 कंपनियों (28 एमएसएमई और 14 गैर-एमएसएमई इकाइयां) ने योजना अवधि में ₹ 4,014 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता की गई है, जिससे योजना अवधि में ₹ 2.37 लाख करोड़ की अतिरिक्त बिक्री और 44,000 से भी अधिक रोजगार-सृजन की उम्मीद है। फार्मास्युटिकल्स योजना के लिए 20 एमएसएमई सहित 55 आवेदकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना - एसपीआई:

फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 जुलाई, 2022 को फार्मास्युटिकल क्लस्टर और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और संधारणीयता में सुधार करने में सहयोग प्रदान करने हेतु फार्मास्यूटिकल्स उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना (एसपीआई) का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का बजट ₹ 500 करोड़ है और इसमें तीन उप-योजनाएं शामिल हैं। इसमें आवेदनों हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल (https://spi.udyamimitra.in) भी शामिल है, जिसका प्रबंध सिडबी द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 में देश भर में फार्मा क्लस्टरों के छह सामान्य सुविधा केन्द्रों के लिए ₹ 118 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई थी, जिसमें 2024 में प्रदान की गई ₹ 23.75 करोड़ की राशि सहित, ₹ 44 करोड़ तक की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)

₹

डेयरी प्रसंस्करण और मांसाहार प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और पशु आहार संयंत्रों की स्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 15,000 करोड़ की एक निधि स्थापित की गई।

बैंक ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग, एमओएफएएचडी, भारत सरकार के साथ साझेदारी की है।

31 मार्च 2024 तक पोर्टल पर 5,500+ आवेदन प्राप्त हुए हैं और ₹ 6,100+ करोड़ की राशि के आवेदन मंजूर किए गए हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

भारत सरकार पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से पशु उत्पादकता और संबंधित विभिन्न उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनएलएम योजना का कार्यान्वयन कर रही है। योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने सिडबी को एक कार्यान्वयन भागीदार के रूप में नियुक्त किया है, ताकि पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन आवेदनों की निगरानी और उन्हें संसाधित किया जा सके। साथ ही, सब्सिडी का प्रबंध भी किया जा सके।

माननीय केंद्रीय मंत्री, एमओएफएएचडी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल (https://nlm.udyamimitra.in) का लोकार्पण किया गया।

31 मार्च, 2024 तक 763 आवेदन अनुमोदित किए गए और लाभार्थियों को कुल ₹ 165.44 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है।

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस)

विशिष्ट ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) मई 2017 में राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र (एनएसएसएच) के एक हिस्से के रूप में सृजित की गई थी, ताकि एससी-एसटी की स्वामित्व वाली एमएसई इकाइयों को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिए 25% अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करके उनकी तकनीक को उन्नत करने में मदद की जा सके। योजना के शुभारंभ के बाद से सिडबी के माध्यम से 1,320 इकाइयों को कुल ₹ 159.51 करोड़ के पूंजीगत सब्सिडी दावों के भुगतान किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 542 इकाइयों के लिए कुल ₹ 62.13 करोड़ के दावों का निपटान किया गया है।

स्टैंड अप मित्र और उद्यमीमित्र पोर्टल्स (समरूपी पोर्टल)

(www.udyamimitra.in . www.standupmitra.in)

सिडबी डीएफएस के सहयोग से स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2016 से स्टैंडअप इंडिया पोर्टल और उद्यमीमित्र पोर्टल का विकास और अनुरक्षण कर रहा है। 400 बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो इनकी 1.61 लाख से अधिक शाखाओं को जोड़ते हैं। कतिपय मंत्रालयों के अंतर्गत उदयमित्रा पोर्टल को विभिन्न क्रेडिट/एमएसएमई योजनाओं के सिडबी के डिजिटल कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नया रूप दिया गया था, जिसमें कई हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित कार्यप्रवाह समाहित थे। इस प्लग-एंड-प्ले मॉडल ने ऑनबोर्डिंग-समय को कम किया और कार्यक्रम-दक्षता को बढ़ाया।

सिडबी ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग पोर्टल भी विकसित किए हैं, जो आवश्यकता-आधारित ब्रांडिंग और उद्यमीमित्र के साथ सहज एकीकरण की अनुमति देते हैं, जिसके फलस्वरूप सिडबी के लिए यह एक मूल्यवान डिजिटल परिसंपत्ति बन गया है।

विभिन्न कार्यक्रमों के पोर्टल नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं :

कार्यक्रम का नाम	मंत्रालय का नाम	कार्यक्रम पोर्टल
स्टैंड अप इंडिया	वित्तीय सेवाएं विभाग - वित्त मंत्रालय	https://portal.standupmitra.in/
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	पशुपालन और डेयरी विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	https://nlm.udyamimitra.in/
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	पशुपालन और डेयरी विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	https://ahidf.udyamimitra.in/
फार्मा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://pli-pharma.udyamimitra.in/
दूरसंचार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	https://pli-telecom.udyamimitra.in/
पीएम स्वनिधि	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	www.pmsvanidhi.mohua.gov.in
पीएम विश्वकर्मा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	https://pmvishwakarma.gov.in/
फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://spi.udyamimitra.in/
सामान्य सुविधा चिकित्सा उपकरण समूह सहायता	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://amdcf.udyamimitra.in/
विक्रेता कनेक्ट पोर्टल	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	https://vendorconnect.udyamimitra.in/
स्वावलंबन चैलेंज फंड	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	https://scf.udyamimitra.in/
स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	https://sck.udyamimitra.in/

ज. विकास और प्रभाव के लिए कार्यक्रम

01

वित्तीय संस्थानों के विकास (डीएफआई) के अपने अधिदेश के अनुरूप, सिडबी एमएसएमई की विभिन्न गैर-वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई के संवर्द्धन और विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। आर्थिक परिदृश्य के विकासक्रम के संदर्भ में सिडबी ने विजन 2.0 के माध्यम से अपनी भूमिका को पुनः संरेखित किया है। नवोन्मेष, समावेशिता और प्रभाव सिडबी 2.0 के मार्गदर्शी स्तंभ हैं।

02

"विजन 2.0 - मिशन स्वावलंबन" को अपनाने के साथ ही, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, विशेषतया असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों /खंडों में आजीविका के सृजन पर बल देते हुए संवर्द्धन और विकासपरक गतिविधियों की दिशा का पुनर्सृजन किया। इसके मूल में उद्यमिता संस्कृति और उद्यम संवर्द्धन, विशेष रूप से पिरामिड के निचले स्तर पर अवस्थित क्षेत्र में, के प्रसार पर ध्यान संकेंद्रित किया गया।

03

वर्ष में **मिशन स्वावलंबन** के अंतर्गत पीडीआई वर्टिकल की विभिन्न गतिविधियों के परिणाम निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय कार्यक्रम:	अभिगम : 58500 +
	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं. 28300 +
	सृजित उद्यम/आजीविका: 15,100+
	ऋण कनेक्ट : 10,500 +
	बाजार कनेक्ट : 27,300 +
क्षेत्रीय कार्यक्रम:	अभिगम : 10700 +
	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.6700+
	सृजित उद्यम/आजीविका:3000+
	बाजार कनेक्ट : 1700 +

कतिपय पहलकदमियों के संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं:

01 **स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र (एससीके):** एससीके का उद्देश्य आकांक्षी उद्यमियों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में एमएसई को बढ़ावा देना है। एससीके जागरूकता कार्यशालाओं, कौशल अंतराल की पहचान, कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ने, ऋण पहुंच की सुविधा, हैंडहोल्डिंग सहायता और समान बाजार लिंकेज जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसे 2019 में प्रवर्तित किया गया और वर्तमान में यह 8 राज्यों के 167 जिलों में परिचालनरत है। एससीके पहले ही 60,000 से अधिक आकांक्षी उद्यमियों तक पहुंच चुके हैं, 8,200 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों (नए स्टार्ट-अप और मौजूदा व्यवसायों के उन्नयन सहित) को सक्षम बनाया है और लगभग 5,515 उद्यमों को ₹ 63 करोड़ से अधिक की ऋण की सुविधा प्रदान की है।

02 **स्वावलंबन कनेक्ट डेस्क:** 2022 में स्थापित, सिडबी के एससीडी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आकांक्षी उद्यमियों और मौजूदा व्यवसायों को सशक्त बनाना है। वे 35 जिलों में काम करते हैं, सरकारी योजनाओं, ऋण तक पहुंच और हैंडहोल्डिंग सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में एसडीसी ने 877 उद्यमों (559 नए और 318 मौजूदा) की सफलतापूर्वक सहायता की, जिससे ₹ 64.21 करोड़ की कुल ऋण मंजूरी की सुविधा प्राप्त हुई।

03 **शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा:** सिडबी ने 3 आईआईएम सहित 10 संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और वर्ष के दौरान आकांक्षी युवा उद्यमियों के लिए स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल (स्टेम) परियोजना आरंभ करने के लिए 5 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता मंजूर की। इस मिश्रित कार्यक्रम ने व्यावहारिक अनुभव यानी "लर्निंग बाय डूइंग" के साथ कक्षा-ज्ञानार्जन से जोड़ता है और प्रतिभागियों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश हेतु पूर्व संचालित मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। स्वावलंबन पीठ की स्थापना सिडबी असिस्टेंस फॉर हार्नेसिंग एस्पायरिंग स्वावलंबी (एसएएचएएस) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ की गई है, जिसमें एमएसएमई की वित्तीय साक्षरता, ऋण अभिगम और अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

04

स्वावलंबन चैलेंज फंड (एससीएफ): एससीएफ विकास संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव और परिणाम-आधारित समाधानों को क्राउड-सोर्स करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यवस्था है। यह जिम्मेदार और संधारणीय वित्त को बढ़ावा देने का एक प्रयास है और इसका उद्देश्य गैर-लाभकारी संगठनों / शैक्षणिक संस्थानों /सामाजिक स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनका महत्वपूर्ण सरोकार दीर्घकालिक जीविकोपार्जन, हरित पहल, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। 18 परियोजनाओं का समर्थन करने वाले स्वावलंबन चैलेंज फंड के 2 स्रोतों के सफल प्रवर्तन के बाद, इस वर्ष के दौरान फंड के तीसरे स्रोत की शुरुआत की गई। लगभग 500 संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए और जटिल मूल्यांकन के उपरांत, सिडबी ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10 संगठनों का चयन किया है, जिससे वे अपने प्रयासों के माध्यम से लगभग 7000 लाभार्थियों तक सीधे पहुँचेंगे।

05

ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए केंद्रीय राज्य स्तरीय भागीदारी: सिडबी ने गैर-कृषि क्षेत्र में आजीविका और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र की गतिविधियों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए बिहार और झारखंड के ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान की। बिहार में वित्त वर्ष 2024 के दौरान, एसएचजी सदस्यों के लिए 160 डिजिटल वित्तीय साक्षरता सत्र संचालित किए गए, 32 बीसी सखियों को उनके केंद्रों पर अल्प-ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया गया। झारखंड में 636 बैंक सखियों को आईआईबीएफ द्वारा प्रशिक्षित, उन्हें शामिल और प्रमाणित किया गया है और इन सखियों ने प्रति माह ₹ 12 लाख से अधिक के औसत डिजिटल लेनदेन संव्यवहारों को सुगम बनाया है।

06

आजीविका-समर्थन हेतु कम आय वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप: सिडबी ने कम आय वाले क्षेत्रों में कमज़ोर और वंचित आबादी की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय परियोजनाएँ लागू कीं। इनमें प्रमुख परियोजनाएँ हैं - जल स्पर्श - अपशिष्ट पदार्थ से संपदा तक, जिसका उद्देश्य पाँच राज्यों (यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, असम) में 100 जल पारितंत्र की प्रणालियों को बेहतर बनाना और 2000 महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित कर उन्हें सशक्त बनाना है। वित्त वर्ष 2024 में 100 जल निकायों को चिह्नित किया गया है, 2,000 महिलाओं को जलकुंभी निकालने का प्रशिक्षण दिया गया है और 1,000 महिलाओं को उत्पाद विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वावलंबन आत्मनिर्भर आदिवासी उद्यमिता हैंडहोल्डिंग पहल (साथी) के तहत, वित्त वर्ष 2024 में लगभग 230 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 200 को सहायता किट प्रदान की गई है और उन्होंने अपने उद्यम आरंभ कर दिए हैं। इसी प्रकार, बेरोजगार युवाओं के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में, 210 वंचित युवाओं ने फ्रिज, एसी और वाशिंग मशीन की मरम्मत/रखरखाव का प्रशिक्षण पूरा किया, जिनमें से 95 ने अपनी आजीविका शुरू करने के लिए ऑनलाइन सेवा प्लेटफार्मों पर काम करना शुरू कर दिया है।

07

एसएचजी2एमई मॉडल हेतु अल्पवित्त संघों के साथ साझेदारी: अल्पवित्त संघों के सहयोग से महिला उद्यमिता - आजीविका संवर्द्धन और विकास (वी-लीड) कार्यक्रम पांच राज्यों (ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल) में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाता है। यह कार्यक्रम 37,000 से अधिक महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, 18,000 से अधिक महिलाओं ने ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया, 10,000 एसएचजी/जेएलजी सदस्यों ने अपने उद्यम शुरू करने के लिए कौशल प्रशिक्षण और ऋण लिंकेज पूरा किया और 7,000 से अधिक उद्यम शुरू किए गए।

08

सोशल स्टॉक एक्सचेंज [एसएसई] के माध्यम से हस्तक्षेप: एसएसई सामाजिक उद्यमों को सूचीबद्ध करने के लिए फंड जुटाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। इससे उन्हें इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड की यूनिट के रूप में पूंजी जुटाने की सुविधा सुगम होती है। सिडबी ने एसएसई के माध्यम से 2 संगठनों को सहायता प्रदान की, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से महिलाओं/युवाओं द्वारा लगभग 3000 आजीविका उद्यम स्थापित करने में सुविधा हुई।

झ. नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम:

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ): इसका जुलाई 2022 में शुभारंभ किया गया। यह फाउंडेशन एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए सिडबी के जनादेश के अनुरूप, नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर), विकास एवं प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। एसएसएफ, उद्यमियों, एमएसएमई और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विकास में सहायक की भूमिका निभाता है। यह एमएसएमई श्रमिकों, महिलाओं, अजा/अजजा, आदिवासी समुदायों, अत्यंत गरीबों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर ध्यान देने के साथ निचले स्तर के समूहों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं के लिए सीएसआर अनुदान प्रदान करता है।

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ), वंचित युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करके, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देकर कौशल अंतराल को कम करने पर बल देता है। वित्त वर्ष 2024 में, एसएसएफ के कार्यक्रमों ने 10,000 से अधिक अकुशल व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन किया, जिनमें से 50% महिलाएँ थीं। विश्वसनीय संस्थाओं के साथ भागीदारी करते हुए पूरे भारत में विभिन्न सीएसआर पहलों के लिए कुल 1,200 लाख रुपये निर्धारित थे।

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) ने वित्तवर्ष 2024 के दौरान सिडबी के कार्यालयों (शाखा/क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों) से प्राप्त 17 प्रस्तावों को भी मंजूर करते हुए प्रभावपूर्ण सीएसआर क्रियाकलाप निष्पादित किए। एसएसएफ द्वारा की गई कुछ प्रभावशाली नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायकों, डीजल मैकेनिक, माहेश्वरी साड़ी बुनकरों, सांझी कला कलाकारों, ई-वाहन टैक्सी ड्राइवरों, आतिथ्य क्षेत्र के लिए स्वच्छता तकनीशियों, मोबाइल फोन हार्डवेयर मरम्मत तकनीशियनों, जराचिकित्सा देखभाल कार्मिकों, चिकित्सा नर्सिंग सहायकों आदि के रूप में प्रशिक्षण सहित, कई कौशल विकास / व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं में सहायता की गई।

2. भारत सरकार द्वारा आयोजित "आजादी का अमृत महोत्सव" पहल के तत्वावधान में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 76 वीं वर्षगाँठ पर ग्रामीण परिवारों में 76,000 खादी-सूती कपड़े के राष्ट्रीय झंडों की खरीद और वितरण किया गया।

3. एमएसएमई/औद्योगिक कामगारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए मोतियाबिंद प्रभावित लोगों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निशुल्क दृष्टि उपचार कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया गया।

4. अनाथ छात्रों, खानाबदोश आदिवासी बच्चों और स्कूली शिक्षा से बाहर रह गई बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में सहायता प्रदान की गई, ताकि इन छात्रों को अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखने और उन्हें औपचारिक शिक्षा छोड़ने से रोकने में सक्षम बनाया जा सके।

5. वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस मुफ्त प्रदान की गई।

6. दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और कियोस्क वितरित किए, ताकि वे अपनी शारीरिक गतिविधियों का कर सकें तथा अपनी आजीविका कमा सकें। ग्रामीण युवाओं के लिए सूक्ष्म उद्यम अध्ययन केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ, व्यक्तिगत उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिया गया।

7. दिल्ली-यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर सुविधा प्रदान की गई; नियंत्रण रेखा, कश्मीर में जवानों को राखी और मिठाई के डब्बे वितरित किए; अन्य गतिविधियों में वंचित युवाओं के लिए कंप्यूटर केंद्रों में पुराने लैपटॉप वितरित किए गए।

ञ. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

लेखापरीक्षा उद्-भाग, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी के मामलों की विशेष लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ, शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करता है। इसके अलावा, यह समवर्ती लेखापरीक्षा कार्य संभालता है, तथा शाखा कार्यालयों व प्रधान कार्यालय के उद्-भागों की मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करता है, जो कि बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 तक, 81 शाखा कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा तंत्र में सम्मिलित किया गया था, जो कि बैंक के सभी प्रत्यक्ष ऋण संचालनों को कवर करता है।

वित्तवर्ष 2024 के दौरान, शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय उद्-भागों के लिए जोखिम आधारित 129 आंतरिक लेखापरीक्षाएँ संपन्न की गईं।

ट. मानव पूँजी प्रबंध

बैंक एक सहभागी, पारदर्शी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, ज्ञान और क्षमता निर्माण के माध्यम से कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाते हुए उच्च प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है।

वित्तवर्ष 2024 के अंत तक बैंक में कुल 3 अंचल कार्यालय, 12 क्षेत्रीय कार्यालय, 96 शाखा कार्यालय (विस्तार शाखा कार्यालयों सहित) शामिल थे, जिसमें लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित प्रधान कार्यालय उद्-भागों द्वारा आंतरिक और नीतिगत सहयोग दिया गया।

मानव संसाधन शक्ति:

31 मार्च, 2024 तक, बैंक के पास 1,083 स्थायी कर्मचारी थे, जिनमें 990 अधिकारी, 70 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 23 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। बैंक आवश्यकता के आधार पर विशेषज्ञतापूर्ण प्रकार्यों के लिए संविदा-आधार पर भी मानव संसाधन नियुक्त कर रहा है।

इन कर्मचारियों में 179 कर्मचारी (कुल संख्या का 16.5%) अनुसूचित जाति श्रेणी के, 82 कर्मचारी (कुल कर्मचारियों की संख्या का 7.6%) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के, 254 कर्मचारी (कुल संख्या का 23.5%) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के, 31 व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांक (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के और 1 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का है।

बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 234 (कुल संख्या का 21.60%) है। बैंक हमेशा महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदाता रहा है और बैंक में करियर की प्रगति को सक्षम करने के लिए निष्पक्ष और स्वच्छ प्रक्रियाओं को लागू किया गया है।

वित्तवर्ष 2024 के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ:

बैंक ने वित्तवर्ष 2024 के दौरान भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और कर्मचारी जुड़ाव के क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख प्रयास निम्नवत् हैं :

वित्तवर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने 50 ग्रेड 'ए' अधिकारियों की भर्ती की, जो संभवत: वित्तवर्ष 2025 में कार्यग्रहण कर लेंगे।

अपने व्यवसाय परिचालनों का विस्तार करने के लिए, बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले क्षेत्रों में पूरे भारत में 13 नई शाखाएँ खोल कर अपने शाखा संजाल में वृद्धि की।

बैंक ने चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाकर और पात्रता सीमा बढ़ाकर कर्मचारी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। बैंक ने ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा भी शुरू की है और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओपीडी सेवाएँ प्रदान की हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के संदर्भ में, बैंक ने "दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" तैयार की है और यह नीति भर्ती, प्रशिक्षण, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और कर्मचारी लाभ और भत्ते सहित रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर लागू होगी।

बैंक अपने कर्मचारी कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) से विभिन्न गतिविधियाँ कर रहा है और कर्मचारियों को लाभ प्रदान कर रहा है, जैसे- अवकाश गृह, समूह अवधि जीवन बीमा (जीटीएलआई) और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस) के लिए प्रीमियम, जन्मदिन समारोह, खेल और स्वास्थ्य गतिविधियाँ और कर्मचारी कल्याण संघों के तहत विविध गतिविधियों के लिए आवंटन करना। बैंक ने वित्तवर्ष 2024 में स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत रु.11.11 करोड़ का अंशदान दिया।

सीखना और विकास:

- पिछले वर्ष सीखने और विकास की पहल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जिसका उद्देश्य विकसित होते बैंकिंग उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का कौशल-उन्नयन और पुन:कौशलन करना है।
- कर्मचारियों को उनके करियर स्तर, व्यावसायिक आवश्यकताओं और उनके संविभाग के अनुसार प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विविध बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं और आंतरित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया ।
- बैंक ने वित्तवर्ष 2024 के दौरान 116 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया, जिसमें 15 विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- बैंक ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल 1,516 नामांकन किए, जिसमें आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1009 नामांकन, प्रसिद्ध प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थानों में 482 नामांकन और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/विदेश में सम्मेलनों में भागीदारी के लिए 25 नामांकन शामिल थे, इनमें से 283 नामांकन महिला कर्मचारियों के थे।

अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) का प्रतिनिधित्व

- बैंक के कुल 1,083 स्थायी कर्मचारियों में से 179 कर्मचारी (कुल संख्या का 16.5%) अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं और 82 कर्मचारी (कुल संख्या का 7.6%) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं।
- सिडबी में आरक्षण रोस्टरों का रख-रखाव भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और इनकी मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) द्वारा वार्षिक आधार पर जाँच की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरक्षण रोस्टरों को अद्यतन किया जा चुका है तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) के साथ-साथ, बैंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है।
- वर्ष के दौरान 1,516 प्रशिक्षण नामांकनों में से 361 नामांकन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों के किए गए।
- बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। वित्तवर्ष 2024 के दौरान आयोजित पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण में, 42 कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी के और 18 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे।
- बैंक ने वित्तवर्ष 2024 के दौरान आयोजित भर्ती अभियान के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान किया। वित्तवर्ष 2024 के दौरान आयोजित भती-पूर्व प्रशिक्षण में, 403 प्रतिभागी अनुसूचित जाति श्रेणी और 120 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे।
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम- आंतरिक शिकायत समिति: बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, बैंक की महिला कर्मचारियों को तैनाती के स्थान, तैनाती, छुट्टी आदि के संबंध में बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। बैंक महिला कर्मचारियों को एमएसएमई क्षेत्र के विकास में योगदान जारी रखने और एक सक्षम वातावरण बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रोत्साहित करता है।

  कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उनसे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियाँ बनाई हैं। वर्ष के दौरान, आंतरिक समिति को यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी कार्यवाही अब पूरी हो चुकी है।

ठ. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक अपने परिचालनों के आद्योपांत डिजिटलीकरण में अग्रणी रहा है और कई नए प्लेटफॉर्म और पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम) परियोजनाओं को लागू करके एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मूल्यवर्द्धन किया है।

वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यक्षेत्र इस प्रकार रहे हैं:

सभी व्यावसायिक उत्पादों में महत्वपूर्ण संवर्द्धन - प्रत्यक्ष एमएसएमई ऋण को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से डिजीटल संचालन। हरित वित्त और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास।

सुरक्षा, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी क्षेत्र और बुनियादी ढाँचे में निरंतर सुधार।

एनबीएफसी और हरित ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत वित्त को बढ़ाना।

स्वचालन के साथ अनुप्रयोग इंटरफेस का आधुनिकीकरण।

प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र परियोजनाओं के लिए सहायता।

अनुपालन से संबंधित स्वचालन।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित हैं:

- आद्योपांत (एंड-टू-एंड) प्रत्यक्ष ऋण प्रक्रियाओं में वृद्धि की गई।
- वार्षिक समीक्षा और पुनः रेटिंग की प्रक्रिया को स्वचालित किया गया।
- त्वरित ऋण सेवा केंद्रों (ईएलएससी) में संबंध-प्रबंधकों (आरएम) को प्रस्तावों के स्वचालित आवंटनके लिए एक बुद्धिमान क्यू ट्रैकर प्रस्तुत किया गया।
- त्वरित ऋण, प्रत्यक्ष ऋण, प्रयास और अन्य राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के लिए एक्जीक्यूटिव लीडरशिप डैशबोर्ड बनाए गए।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) द्वारा की गई पहलकदमियाँ:

चूँकि बैंक के परिचालन डिजिटलीकृत हैं, अत: सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, सिडबी का एक अभिन्न अंग बन गई है। वित्तवर्ष 2024 के दौरान, सीआईएसओ द्वारा बैंक की साइबर जागरूकता और साइबर तन्यकता में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की गईं:

01

सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा पद्धतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सिडबी के ई-मेल डोमेन पर प्रयोक्ता जागरूकता चेतावनियाँ/ परामर्श भेजे गए।

02

सिडबी ईमेल डोमेन के बाहर से आने वाले ईसंदेशों को बाह्य ईमेल के रूप में टैग करना, ताकि प्रयोक्ताओं को ऐसे ईमेल की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करते समय, आवश्यक बचाव करने में मदद मिल सके।

03

घटना प्रतिक्रियाओं के प्रति बैंक की तैयारियों की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए टेबल-टॉप अभ्यास किया गया। भेद्यता और व्यावसायिक जोखिम की पहचान करने, बचाव की प्रभावशीलता का आकलन करने और हमलावर के उद्देश्यों और कार्यों को पहचान कर, उसकी जाँच करने के लिए रेड टीम अभ्यास कार्य किया गया।

04

सूचना सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम मई 2023 में आयोजित किया गया और आईएसएमएस लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में केपीएमजी के माध्यम से ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

05

आईडीआरबीटी की देखरेख में बैंक ने 02 दिवसीय सीआईएसओ फोरम की मेजबानी की, जिसमें 40 सीआईएसओ/ सुरक्षा व्यावसायिकों की सक्रिय भागीदारी हुई।

06

इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) द्वारा आयोजित साइबर अभ्यासों में बैंक भाग ले रहा है। सिडबी के समूहन को समूह 'ग' से सुधार कर समूह 'क' में लाया गया। नवीनतम अभ्यास (ड्रिल) में, बैंक ने 4/4 (100%) स्कोर किया, बैंक आईडीआरबीटी द्वारा प्रारंभ किए गए सभी 4 साइबर हमलों का पूरी तरह से पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने में सक्षम रहा।

07

नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) को सभी समापन बिंदुओं (एंडपॉइंट) पर फिर से लागू किया गया है। एनएसी अनधिकृत उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को कॉर्पोरेट या निजी नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त करने से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है।

08

साइबर सुरक्षा जागरूकता का आकलन करने और बैंक के साइबर लचीलेपन में सुधार करने के लिए त्रैमासिक फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास किया गया।

ड. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

- बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 92 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं, जिनकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
- वर्ष के दौरान, क्षेत्र 'क' में 99% पत्राचार हिन्दी में हुआ, जबकि 'ख' और 'ग' क्षेत्र में यह क्रमश: 95% और 80% रहा। उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में हिंदी टिप्पण का प्रतिशत क्रमश: लगभग 90%, 85% और 80% रहा।
- अब तक बैंक की हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के कुल 107 अंक जारी किए जा चुके हैं।
- वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 50 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- वर्ष के दौरान बैंक के 46 कार्यालयों और 17 उद्-भागों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किए गए।
- वर्ष के दौरान 19वीं अखिल भारतीय सिडबी हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 101 प्रविष्टियों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
- वर्ष के दौरान अखिल भारतीय सिडबी राजभाषा अधिकारी सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

ढ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कार्यान्वयन

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने आरटीआई प्रश्नों के सीपीआईओ द्वारा समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामित किया है।

वित्तवर्ष 2024 के दौरान, बैंक को विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए 265 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर निपटान किया गया।

वित्तवर्ष 2024 के दौरान, बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को 33 अपीलें भेजी गईं, जिनका सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर निपटान किया गया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 4 अपीलें की गई। इस संबंध में, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रस्तुत करने अथवा एफएए द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने में कोई विलंब नहीं हुआ। सभी तिमाही ऑनलाइन विवरणियाँ नियमित रूप से केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को समय पर प्रस्तुत की गई।

ण. सतर्कता

सिडबी में सतर्कता ढाँचे का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जिसे प्रधान कार्यालय में सतर्कता दल, संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी (एवीओ) और क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी (आरवीओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

बैंक निवारक और सक्रिय सतर्कता पहलुओं पर जोर देता है और दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कई पहल कर रहा है। निवारक सतर्कता उपायों की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर निवारक सतर्कता समितियाँ और केन्द्रीय स्तर पर 'प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति' गठित की गई है। एक "सतर्कता पर आंतरिक सलाहकार समिति" निरीक्षणों, ऑडिट रिपोर्ट, स्टाफ जवाबदेही रिपोर्ट आदि से उत्पन्न शिकायतों या मामलों की जाँच करती है और सीवीओ द्वारा जाँच किए गए मुद्दों में सतर्कता दृष्टिकोण के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

धोखाधड़ी-रोधी सुग्राहीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बैंक के धोखाधड़ी प्रबंध प्रकोष्ठ (एफएमसी) द्वारा समय-समय पर अंचल/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के साथ धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जाता है। सीवीओ, आरवीओ, एवीओ और सतर्कता टीम कर्मचारियों के साथ अपनी आवधिक बैठकों में, परिचालन अंतराल/अनुपालन मुद्दों की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया बनाने के लिए उन दिशानिर्देशों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाते हैं जो पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत है।

शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सीवीओ द्वारा समीक्षा की जाती है और अनुपालन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को तत्काल सुधार के लिए आगे बढ़ाया जाता है। उद्-भाग विभिन्न मंचों, जैसे वीसीएचओ (मुख्यालय में सतर्कता समिति), आईएसीवी (सतर्कता पर आंतरिक सलाहकार समिति), स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) के साथ बैठकों और सीएमडी-सीवीओ तिमाही बैठकों में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और मजबूत करने के उपायों का भी सुझाव देता है।

बैंक मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) प्रकार के निरीक्षण समय-समय पर, नमूना आधार पर करके मौजूदा सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार माल, कार्यों और अनुबंधों की खरीद में बैंक द्वारा अपनाई गई निविदा प्रक्रिया पर भी नजर रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद मानदंडों के अनुसार की जा रही है। इसके अलावा, खरीद और निविदा की जानकारी भी आईईएम के साथ साझा की जाती है।

सतर्कता कार्य की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सीवीओ के साथ अपनी ढाँचागत बैठक में प्रत्येक तिमाही में की जाती है और सभी महत्वपूर्ण/लंबित मुद्दों, यदि कोई हों, पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सतर्कता गतिविधियों पर त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट सीवीसी को प्रस्तुत की जाती है और उक्त गतिविधियों की अर्धवार्षिक समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

सुशासन के लिए अपने अभियान की दिशा में, बैंक अपने परिचालन प्रणाली को आधारित और ऑनलाइन बनाने के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में, सतर्कता स्वीकृतियां, आकस्मिक निरीक्षणों और निवारक सतर्कता समिति की बैठकों की रिपोर्टिंग, तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण, लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच, धोखाधड़ी जाँच रिपोर्ट और मुख्य तकनीकी परीक्षक प्रकार (सीटीई प्रकार) को प्रणाली आधारित बनाया गया है, जिससे कागज आधारित कार्यप्रवाह में कमी आई है। सीवीसी को प्रस्तुत की जा रही त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्टें भी अब ऑनलाइन हैं।

वर्ष के दौरान, निवारक सतर्कता, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा/ईमानदारी, पारदर्शिता आदि जैसे क्षेत्रों पर भारत भर के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में विभिन्न ऑनलाइन वार्ता, सुग्राहीकरण कार्यक्रम, पोस्टर मेकिंग, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की गईं।

इस प्रकार बैंक में सतर्कता कार्य धोखाधड़ियों, भ्रष्टाचार और कदाचारों की घटनाओं को समाप्त/कम करने के लिए परिचालन के सभी स्तरों पर निवारक और सहभागी सतर्कता पर जोर दे रहा है।

त. अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति के आधार पर, अनुपालन कार्य निम्नानुसार किए जाते हैं:

अनुपालन निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के माध्यम से विभिन्न विनियामक/सांविधिक विवरणियों को दाखिल करने की निगरानी और परिणाम/परिणामों की सूचना आवधिक रूप से शीर्ष प्रबंधन को दी जाती है। अनुपालन विवरणियों को प्रस्तुत करने में होने वाले किसी भी विलंब की सतत् आधार पर निगरानी की जाती है और संबंधित उद्-भाग को समय-सीमा का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, अनुपालन संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सभी उद्-भागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुपालन नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

विभिन्न अनुपालनों के संबंध में सारांश रिपोर्ट मासिक आधार पर मुख्य अनुपालन अधिकारी को और तिमाही आधार पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति [एसीबी] को प्रस्तुत की जाती है।

तिमाही आधार पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / व्यवसाय उद्-भागों से केवाईसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना और मासिक आधार पर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करना।

दिशानिर्देशों के समय पर अनुपालन के लिए संबंधित उद्-भाग को साप्ताहिक आधार पर महत्वपूर्ण आरबीआई परिपत्रों का सार परिचालित करना।

बैंक निगरानी करता है और बैंक के विभिन्न परिचालन उद्-भागों के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन पर शीर्ष प्रबंधन/बोर्ड को रिपोर्ट करता है।

बैंक में, सभी नए उत्पादों/योजनाओं को अनुपालन उद्-भाग द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। सहमिति प्रदान करते समय, नए उत्पादों/स्कीमों और प्रक्रियाओं में अनुपालन अंतराल और प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है और कमियों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए संबंधित उद्-भागों को सूचित किया जाता है।

अनुपालन परीक्षण ढाँचे के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का नमूना परीक्षण विनियामक/सांविधिक/कोर अनुपालन परिप्रेक्ष्य से किया जाता है और साथ ही उसी तर्ज पर मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों का विश्लेषण भी किया जाता है।

बैंक का लक्ष्य ग्राहकों को पूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना है। ग्राहक सम्यक सतर्कता में अनुपालन बढ़ाने के लिए, बैंक ने सिडबी केवाईसी आवेदन मॉड्यूल के साथ केवाईसी कार्यों को स्वचालित किया। यह मॉड्यूल सभी व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करता है, पैन सत्यापन के लिए एनएसडीएल के साथ एकीकृत, आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई और केवाईसी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करता है।

सम्यक अनुपालनों की बेहतर निगरानी करने के उद्देश्य से, स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली (सीएमएस मॉड्यूल) में और सुधार किया गया है, जिससे अनुपालन स्थिति की बेहतर निगरानी के लिए विवरणियों/विवरणों को प्रस्तुत करने में विलंब के मामले में चेतावनियाँ दी जाती हैं। इससे न केवल नियत तारीखों के भीतर विवरणी/विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने में मदद मिली है, बल्कि इससे बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट करने के लिए व्यापक आँकड़े/सूचनाएँ उपलब्ध कराने में भी मदद मिली है।

थ. सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ - राष्ट्रव्यापी प्रभाव सृजित करना:

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ('मुद्रा') - बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, मुद्रा की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा ने वित्तवर्ष 2023 के दौरान रु.12,248 करोड़ की तुलना में, वित्तवर्ष 2024 में रु.19,605 करोड़ की राशि स्वीकृत की। वित्तवर्ष 2024 में संवितरण वित्तवर्ष 2023 के रु.12,513 करोड़ की तुलना में रु.19,512 करोड़ रहा।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएम एमवाई)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की प्रगति की निगरानी के लिए, मुद्रा द्वारा भारत सरकार की ओर से एक पोर्टल विकसित और मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें साप्ताहिक आधार पर कुल डेटा एकत्र किया जाता है।

पीएमएमवाई के तहत निम्नलिखित 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है, जो सूक्ष्म उद्यमों के गैर-वित्तपोषित वर्ग पर केंद्रित है ताकि उन्हें देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया जा सके:

- रु.50,000 तक के ऋण (शिशु)
- रु.50,000/- से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण (किशोर)
- रु.5,00,000/- से अधिक और रु.10 लाख तक के ऋण (तरुण)

वित्तवर्ष 2024 में, बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआई (सदस्य ऋण संस्थानों) को रु.5.00 लाख करोड़ का लक्ष्य सौंपा गया था, जिसके प्रति 6.58 करोड़ खातों (नवीनीकरण और संवर्द्धन सहित) को रु.5.26 लाख करोड़ मंजूर किए गए हैं।

स्थापना के बाद से, संचयी रूप से, 31 मार्च, 2024 तक, पीएमएमवाई के तहत 47.74 करोड़ खातों (नवीनीकरण और संवर्द्धन सहित) में रु.28.83 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल): एसवीसीएल, सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना 1999 में उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के प्रबंध के लिए एक निवेश प्रबंध कंपनी के रूप में की गई थी। इन वर्षों में, एसवीसीएल भारत में एक अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंध कंपनी के रूप में विकसित हुई है, जो भारत में एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करती है। स्थापना के बाद से, एसवीसीएल ने विविध क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, विकास उन्मुख एमएसएमई को विकास पूँजी प्रदान करना जारी रखा है।

एसवीसीएल ने ग्यारह निधियों की स्थापना की है, अर्थात् सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) जो पूरी तरह से विनिवेश और बंद हो चुकी है, एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ), समृद्धि फंड (एसएफ), टेक्स फंड (टीईएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबीएफ), महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड (एमएसएफ) जो पूरी तरह से निवेशित हैं और विनिवेश चरण के तहत, उभरते सितारे फंड (यूएसएफ), असम स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (एएसवीसीएफ), त्रिपुरा स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (टीएसवीसीएफ) और आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप वेंचर फंड (एएसवीएफ) जो वर्तमान में निवेश चरण में हैं।

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल): एसटीसीएल सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसकी स्थापना 1999 में सामान्य रूप से और वीसीएफ/एआईएफ के लिए ट्रस्टीशिप कार्यों को करने के लिए की गई थी। एसटीसीएल, वर्तमान में, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ), समृद्धि फंड (एसएफ), टीईएक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबी फंड), महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड (एमएस फंड), उभरते सितारे फंड (यूएसएफ), असम स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (एएसवीसीएफ) के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है। आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप वेंचर फंड (एएसवीएफ) और त्रिपुरा स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (टीएसवीसीएफ)।

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) एक धारा 8 कंपनी है, जो और बैंक की सहायक कंपनी है। एसएसएफ, सिडबी के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ करता है।

सहयोगी कंपनियाँ

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ट्रस्ट)

वर्ष 2000 में एमएसई के लिए स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, एमएसई के लिए रु.2 करोड़ तक की क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) संचालित करता है (जिसे 01.04.2023 से बढ़ा कर रु.5 करोड़ कर दिया गया है) सदस्य ऋणदाता संस्थानों (बैंकों, एफआई, एनबीएफसी, एमएफआई, आदि) द्वारा विस्तारित किया जाता है, जो संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तीसरे पक्ष की गारंटी द्वारा समर्थित/आंशिक रूप से समर्थित नहीं हैं।

वित्तवर्ष 2024 के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ और विकास:

- वित्तवर्ष 2024 में स्वीकृत गारंटी ₹ 2,02,807 करोड़ थी.
- वित्तवर्ष 2024 में स्वीकृत गारंटी की संख्या - 17,244,073.
- सीजीटीएमएसई ने वित्तवर्ष 2024 के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं,
    - o गारंटी कवरेज की सीमा को ₹ 200 लाख से बढ़ाकर ₹ 500 लाख किया गया, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
    - o 1 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 0.37% वार्षिक के न्यूनतम स्तर तक कर दिया गया।
    - o दावा निपटान में आसानी के लिए, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा दावा लागू करते समय कानूनी कार्रवाई की छूट की सीमा ₹ 5 लाख से बढ़ा कर ₹ 10 लाख कर दी गई है।
    - o 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी एकल किस्त में दावा निपटान के लिए एमएलआई का विकल्प पेश किया गया।
    - o कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक प्रतिभूति से मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की।
    - o आरबीआई द्वारा ऋण की कमी वाले अभिज्ञात जिलों (आईसीडीडी) में स्थित एमएसई को विशेष लाभ प्रदान किए गए।
    - o ₹ 10 लाख तक के ऋण और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए लॉक-इन अवधि को घटाकर 9 महीने कर दिया गया।
    - o अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिये विशेष प्रावधान प्रारंभ किए गए।

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूट) (पूर्ववर्ती स्मेरा) (35.73% शेयरधारिता) - एक्यूट सेबी में पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

एक्यूट समूह में तीन कंपनियाँ शामिल हैं: एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च - सेबी पंजीकृत ऋण रेटिंग एजेंसी, स्मेरा - भारत की

पहली एमएसएमई-केंद्रित रेटिंग एजेंसी, जो एमएसएमई रेटिंग और एमएफआई ग्रेडिंग और ईएसजी जोखिम आकलन और अंतर्दृष्टि (ESGRisk.ai) में विशेषज्ञता रखती है - भारत की पहली ईएसजी रेटिंग कंपनी।

एक्यूट ने बॉण्ड और बैंक ऋण रेटिंग व्यवसाय आरंभ करने के समय से 12 वर्ष की अवधि में भारत में उद्योगों में फैली संस्थाओं की विभिन्न प्रतिभूतियों, ऋण उपकरणों और बैंक सुविधाओं के लिए 9800 से अधिक ऋण रेटिंग (31 मार्च, 2024 तक) सौंपी है।

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी)(15% शेयरधारिता) - आईएसएआरसी मुख्य रूप से बैंकों/संस्थानों के एमएसएमई ऋणों के लिए एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है।

मार्च 31, 2024 को आईएसएआरसी की प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) रु.282.01 करोड़ थी।

वर्ष के दौरान लगभग रु.71 करोड़ की प्रतिभूति रसीद (एसआर) (वित्तवर्ष 2023 के दौरान रु.16 करोड़) भुनाई गई।

रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (30% शेयरधारिता) - वर्ष 2016 में स्थापित, सिडबी-एनएसई का संयुक्त उद्यम है, जो बड़े निगमों को आपूर्ति के लिए एमएसएमई के बिलों में छूट के लिए एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म (टीआरईडीएस) का संचालन करता है और इस तरह एमएसएमई के विलंबित भुगतान/तरलता के मुद्दों पर कार्य करता है।

31 मार्च, 2024 तक, आरएक्सआईएल ने 25,000+ एमएसएमई कंपनियों को ऑनबोर्ड किया है और ₹95,000+ करोड़ के 49 लाख से अधिक इनवॉइस वित्तपोषित करने में सहायता की है। वित्तवर्ष 2024 में वित्तवर्ष 2023 के ₹24,085 करोड़ की तुलना में ₹46,541 करोड़ का कुल निष्पादन किया गया, जो 86% की वृद्धि दर्शाता है।

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (22.73% शेयरधारिता) - यह सिडबी के प्रौद्योगिकी सेवा उद्यम और एनएसआईसी के साथ एक पैनल निरीक्षण एजेंसी है। आईएसटीएसएल, एमएसएमई इकाइयों के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा सेवा और भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों को उनके भवनों में रूफटॉप सौर पीवी सिस्टम की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएँ भी प्रदान कर रहा है।

आईएसटीएसएल ने स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आवेदन किया था, जिसे एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया।

हालांकि, कंपनी के परिचालन को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन एनसीएलटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

आईएसटीएसएल, एमएसएमई की हरित और ऊर्जा दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और ऊर्जा लेखापरीक्षा आदि पर कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड (7.32% शेयरधारिता) - सिडबी के नेतृत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम के फिनटेक प्रयास, ओपीएल ने एमएसएमई के लाभ के लिए कई तकनीकी/डिजिटल समाधान लॉन्च किए हैं। यह एमएसएमई को रु.500 लाख तक की सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी डिजिटल रूप में प्रदान करता है।

02 नवंबर, 2018 को "पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स" पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, 5.60 लाख एमएसएमई को ऋणों की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिनमें से 3.84 लाख एमएसएमई को ऋण सुविधाओं की अंतिम मंजूरी दी गई थी। ओपीएल ने सरकारी योजनाओं (www.jansamarth.in) के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी विकसित किया है, जिसका माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया था। सिबिल के साथ ओपीएल ने फिट रैंक विकसित किया है, जो एमएसएमई को उनके जीएसटी रिटर्न, आयकर रिटर्न और बैंक विवरणी के आधार पर डिजिटल रूप से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

हालांकि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुपालन में, उक्त को छोड़ कर ऐसे संगठन, जहाँ सिडबी की 20% से अधिक शेयरधारिता है, निम्नानुसार हैं:

- बिहार राज्य वित्तीय निगम (48.43% शेयरधारिता)
- दिल्ली राज्य वित्तीय निगम (23.66% शेयरधारिता)
- गुजरात राज्य वित्तीय निगम (28.41% शेयरधारिता)
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (39.99% शेयरधारिता)
- पंजाब राज्य वित्तीय निगम (25.92% शेयरधारिता)
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (24.18% शेयरधारिता)
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (20% शेयरधारिता)
- किटको लिमिटेड (49.77% शेयरधारिता)
- बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (49.25% शेयरधारिता)
- राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी वेंचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- साइबराबाद ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (14.02% शेयरधारिता)
- असम वित्तीय निगम (13.71% शेयरधारिता)
- ओडिशा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (15.33% शेयरधारिता)
- राजस्थान वित्तीय निगम (19.90% शेयरधारिता)
- उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड। (10% शेयरधारिता)
- हार्डिकॉन लिमिटेड (12.5% शेयरधारिता)
- हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (14.78% शेयरधारिता)
- राजस्थान कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (12% शेयरधारिता)
- निटकॉन लिमिटेड (14.26% शेयरधारिता)
- गुजरात औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (12.5% शेयरधारिता)
- जेकेआईटीसीओ लिमिटेड (11.65% शेयरधारिता)

द. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट:

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन के संदर्भ में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित अनुपात 25% से अधिक बदल गए हैं:

वित्तीय अनुपात	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023
सकल अनर्जक आस्ति (ग्रॉस एनपीए) राशि	100	33
निवल अनर्जक आस्ति (नेट एनपीए) राशि	0	9
सकल अनर्जक आस्ति (ग्रॉस एनपीए) का %	0.02	0.01
निवल लाभ मार्जिन	12.61%	18.09%

- वित्त वर्ष 2024 में सकल एनपीए की राशि बढ़कर रु.100 करोड़ हो गई है और तदनुसार, सकल एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 0.02% हो गया है।
- बढ़े हुए खर्चों के कारण वित्त वर्ष 2024 में निवल लाभ मार्जिन घटकर 12.61% हो गया है।

ध. नैगम अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) :

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन संख्या 15 से 27 के अनुपालन में और बैंक नैगम अभिशासन रिपोर्ट पर लागू सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट नैगम अभिशासन मानदंडों की प्रकटीकरण आवश्यकताओं को इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी (एलओडीआर), 2015 से संबंधित अनुपालन के संबंध में, बैंक द्वारा किसी दंड का भुगतान नहीं किया गया है।

न. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:

बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंध, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता हो। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, आरबीआई या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है, जो बैंक द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन से संबंधित हैं। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्य के नोट सं.[16] में निर्धारित किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों का भाग है।

ऩ. लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

वित्तवर्ष 2024 के लिए बैंक के वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स (एफआरएन: 118769W), को नियुक्त किया गया। समीक्षाधीन अवधि के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता, आपत्तियाँ अथवा प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं हैं।

प. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के संदर्भ में, बोर्ड ने मैसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस 5652), कार्यरत कंपनी सचिव को वित्तवर्ष 2024 के लिए बैंक का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। सीएस दीप शुक्ला, कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई, मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तवर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, नैगम अभिशासन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई शर्त, दुराव-छुपाव या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

फ. उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल द्वारा एतद्द्वारा अभिकथन किया जाता है कि:

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में, प्रभावी लेखांकन मानकों का पालन, विचलन से संबंधित यथोचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;
- लागू लेखांकन नीतियों को सतत पालन किया गया है और किए गए सभी निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2024 को बैंक के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में, उचित और उपयुक्त सतर्कता रखी गई है;
- वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; तथा
- सभी प्रभावी विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

अभिस्वीकृति

निदेशकों द्वारा, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों से प्राप्त मूल्यवान समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग की अभिस्वीकृति व्यक्त की जाती है। निदेशक सभी मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकरों और वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक, एफसीडीओ, जेआईसीए, केएफडब्ल्यू, जीआईजेड, आईएफएडी, एएफडी, एडीबी को उनके संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशकों ने निवर्तमान निदेशकों श्री वी सत्य वेंकट राव, श्री के संपत कुमार और श्री मोनोमय मुखर्जी द्वारा किए गए योगदान के लिए अपनी प्रशंसा भी रिकॉर्ड में दर्ज की है। निदेशक बैंक के कर्मचारियों की समर्पित और प्रतिबद्ध टीम के लिए भी अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

बैंक के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नैगम अभिशासन रिपोर्ट:

1. नैगम अभिशासन संबंधी सिडबी का दर्शन:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना, सिडबी अधिनियम, 1989 के अंतर्गत हुई है तथा यह सिडबी अधिनियम, 1989, सिडबी विनियम, 2000, और बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन, के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के परिपत्र से अभिशासित होता है। उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध इकाई (रु.500 करोड़ से अधिक की गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध मूल्य) होने के नाते, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं, एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन संख्या 15 से 27 एवं समय-समय पर संशोधित एलओडीआर 2015 के अन्य प्रावधान भी इस पर लागू होते हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) मूल्यों, नैतिक आचरण, व्यवहार में पारदर्शिता, सामाजिक मुद्दों के प्रति योगदान और व्यापार के निष्पक्ष संचालन में, हितधारकों के हित को ध्यान में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सिडबी का मानना है कि सुशासन उसके कारोबार और विकास के लिए एक अभिन्न तत्व है। अभिशासन वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से परे है और इसका उद्देश्य शेयरधारकों के धन की सुरक्षा, रखरखाव और वृद्धि करना है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तवर्ष के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") की अनुसूची V में निर्दिष्ट मामले शामिल हैं, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है:

2. निदेशक मंडल:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम) संसद द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी') की स्थापना करने और संवर्धन में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय करने के लिए और लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग का वित्तपोषण या विकास करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था। बाद में, सिडबी को एमएसएमईडी अधिनियम के तहत परिभाषित एमएसएमई को सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। बोर्ड का गठन, जिसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति, उनके कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित प्रक्रिया शामिल है, अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए थे।

सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (ए) के प्रावधान के तहत बोर्ड का नेतृत्व भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों द्वारा किया जाता है। उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित दो पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा धारा 6 (1) (बी) के तहत नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) के तहत गैर-कार्यकारी निदेशकों की श्रेणी में नामित निदेशकों के रूप में दो सरकारी अधिकारियों को भी नामित करती है। सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (डी) के तहत तीन निदेशकों को विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य संस्थानों द्वारा निर्धारित तरीके से नामित किया जाता है।

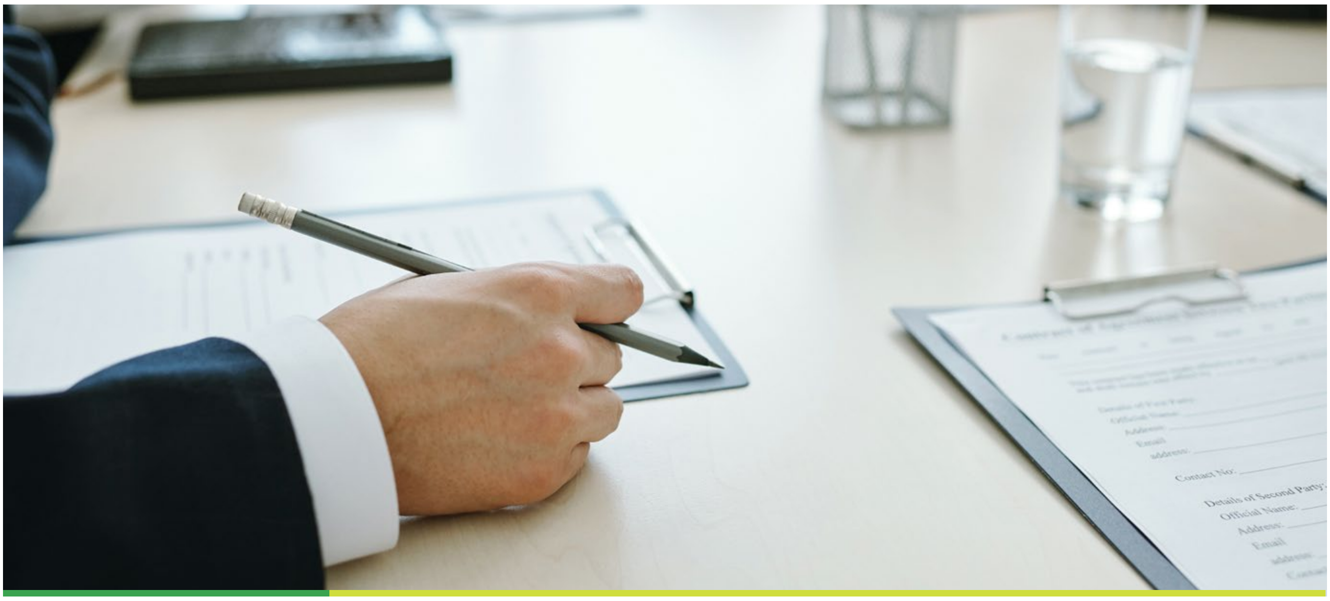

सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (ई) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित राज्य वित्तीय निगमों के अधिकारियों में से एक निदेशक सहित तीन निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, बैंकिंग, औद्योगिक सहकारी समितियों, कानून, औद्योगिक वित्त, निवेश, लेखा, विपणन या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान या पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से, का विशेष ज्ञान, या पेशेवर अनुभव, जो केंद्र सरकार की राय में, सिडबी के लिए उपयोगी होगा और सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (एफ) के तहत अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले शेयरधारिता के प्रतिशत के संदर्भ में अधिकतम चार निदेशक होंगे, बशर्ते कि बोर्ड चार से अधिक निदेशकों की संख्या को सहयोजित कर सकता है, यदि शेयरधारिता चार निदेशकों के ऐसे चुनाव की अनुमति नहीं देती है। सिडबी अधिनियम अपने निदेशकों के 'रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त' होने का प्रावधान नहीं करता है।

2.1 निदेशकों की संरचना और श्रेणी:

31 मार्च, 2024 तक, सिडबी बोर्ड में 3 कार्यपालक निदेशक और 9 गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल थे। सिडबी के बोर्ड की संरचना एलओडीआर के विनियम संख्या 17(1) के अनुरूप है। निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

निदेशक का नाम	श्रेणी (अध्यक्ष/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र/ एवं नामिती)	नियुक्ति की प्रारंभिक दिनांक	सेवा-समाप्ति की दिनांक
श्री सिवसुब्रमणियन रमण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष/कार्यपालक	19/04/2021	18/04/2024
श्री सुदत्ता मंडल उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	03/05/2021	02/05/2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
श्री प्रकाश कुमार उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	07/11/2023	06/11/2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
डॉ. रजनीश, सरकारी निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	22/02/2023	अगले आदेश तक
श्री भूषण कुमार सिन्हा, सरकारी निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	06/01/2023	अगले आदेश तक
श्री अनिन्द्य सुन्दर पॉल, भारतीय स्टेट बैंक के नामिती	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	03/08/2023	अगले आदेश तक
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल, भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	29/10/2021	अगले आदेश तक
श्री मणिकुमार एस, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नामिती	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	01/01/2024	अगले आदेश तक
श्री जी. गोपालकृष्ण, सहयोजित निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	11/08/2018	10/08/2024
श्रीमती नुपुर गर्ग, सहयोजित निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	04/02/2019	03/02/2025
श्री अमित टंडन, सहयोजित निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	08/08/2021	07/08/2024
श्री जितेन्द्र कालरा, सहयोजित निदेशक	ग़ैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामिति	13/02/2024	12/02/2027

नोट: विनियमन संख्या 16 (1) (बी) (स्वतंत्र निदेशक) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसरण में और उसके अनुसार यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिडबी एक 'उच्च' मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई है और सिडबी के बोर्ड की संरचना एसडीबीआई अधिनियम, 1989 की धारा 6 के संदर्भ में गठित करने के लिए अनिवार्य है। तदनुसार, सिडबी के बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशकों को सिडबी में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

2.2 31 मार्च 2024 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के पास कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं का विवरण इस प्रकार था:

31 मार्च, 2024 तक सिडबी का निदेशक मंडल, विविधतापूर्ण है और इसमें विविध अनुभवों, योग्यताओं, लिंग, कौशल सेट और विशेषज्ञताओं का मिश्रण है। नीचे दी गई तालिका में निदेशक मंडल के कौशल सेट और विशेषताओं को संक्षेप में दर्शाया गया है:

नाम	योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	बीए (अर्थशास्त्र), एमबीए, एमएससी विनियम में, एलएलबी, प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक, और प्रतिभूति कानून में डिप्लोमा	शासन और नेतृत्व, प्रबंध और प्रशासन, लेखा, लेखापरीक्षा, कानून, कूटनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और संबंध, वित्त, उद्योग और बैंकिंग।
श्री सुदत्ता मंडल	बी-टेक. (इलेक्ट्रिकल) और पीजीडीएम (वित्त)	आस्ति और जोखिम प्रबंध, अनुपालन, रणनीति, लेखा, वित्त, बैंकिंग, व्यापार और निवेश वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई उधार, क्लस्टर विकास, प्रबंध और प्रशासन, शासन और नेतृत्व।
श्री प्रकाश कुमार	केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, वित्तीय प्रबंध में मास्टर	रणनीति, वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई वित्तपोषण, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस वित्तपोषण, जोखिम प्रबंध, संसाधन प्रबंध, एनपीए प्रबंध, व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग, एमएसएमई वित्तपोषण और विकास, प्रबंध और प्रशासन, शासन और नेतृत्व।
डॉ. रजनीश	अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय विधि में परास्नातक और पीएचडी	वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और नगर नियोजन, शिक्षा और आईटी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अर्थशास्त्र, प्रशासन, शासन और नेतृत्व, प्रबंध।
श्री भूषण कुमार सिंह	बीए, एलएलबी, एमबीए और पीएचडी	शासन और नेतृत्व, पूँजी बाजार, विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन (एफआई), कृषि / ग्रामीण क्षेत्र को ऋण, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यशील,
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	एमएससी	रणनीति, वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई वित्तपोषण, जोखिम प्रबंध, संसाधन प्रबंध, एनपीए प्रबंध, एमएसएमई वित्तपोषण और विकास, खुदरा बैंकिंग, प्रबंध और प्रशासन, शासन और नेतृत्व।
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल	बीए	शासन और नेतृत्व, प्रबंध, कार्मिक और औद्योगिक संबंध, बीमा क्षेत्र, कॉर्पोरेट संचार।
श्री मणिकुमार एस	बीकॉम, सीएआईआईबी, एफसीएमए, एपीजीडीसीए, एमबीए (वित्त), एमएस (बैंकिंग)	ऋण योजना, वित्तीय प्रबंध, ग्रामीण नवाचार, माइक्रोफाइनेंस और वित्तीय समावेशन, एकीकृत जोखिम प्रबंध, मानव संसाधन परिवर्तन, बैंकिंग प्रौद्योगिकियाँ, स्टार्ट-अप निवेश और नए वित्तीय उत्पादों की संरचना, रणनीतिक योजना और उत्पाद नवाचार।
श्री जी. गोपालकृष्ण	बीए, एलएलबी और सीएआईआईबी	शासन और नेतृत्व, वित्तीय अनुसंधान एवं अधिगम, बैंकिंग, वित्त, सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंध और साइबर धोखाधड़ी।
सुश्री नूपुर गर्ग	एमबीए और सीए	शासन और नेतृत्व, निवेश सलाहकार, उद्यमिता विकास, मेंटरशिप, सामाजिक सेवाएं, निजी इक्विटी और उद्यम पूँजी निधि प्रबंध।
श्री अमित टंडन	बीए (ऑनर्स), एमबीए और एम.फिल	शासन और नेतृत्व, मर्चेंट बैंकिंग, परियोजना वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंध, कॉर्पोरेट कानून मामला।
श्री जितेन्द्र कालरा	बीएससी (इंजीनियरिंग) और एमबीए	उद्यम और आजीविका संवर्धन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, ग्रामीण परिवर्तन और पुनर्योजी कृषि, क्लस्टर विकास, नीति निर्धारण, संगठनात्मक परिवर्तन, प्रबंध और प्रशासन, शासन और नेतृत्व।

2.3 नीचे दी गई तालिका में सिडबी अधिनियम 1989 के अनुरूप प्रमुख विशेषताओं और कौशल मैट्रिक्स को संक्षेप में दर्शाया गया है, जिसे व्यापक पैरामीटर अर्थात औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान, अपेक्षित अनुभव और शासन और नेतृत्व में मैप किया गया है।

निदेशक का नाम	औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान	अनुभव	अभिशासन और नेतृत्व
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	√	√	√
श्री सुदत्ता मंडल	√	√	√
श्री प्रकाश कुमार	√	√	√
डॉ रजनीश	√	√	√
श्री भूषण कुमार सिंह	√	√	√
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	√	√	√
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल	√	√	√
श्री मणिकुमार एस	√	√	√
श्री जी. गोपालकृष्ण	√	√	√
सुश्री नूपुर गर्ग	√	√	√
श्री अमित टंडन	√	√	√
श्री जितेन्द्र कालरा	√	√	√

2.4 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण :

निदेशक का नाम	सिडबी के अलावा अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम, जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई में बोर्ड/समिति का नाम, जहाँ निदेशक अध्यक्ष/सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक की श्रेणी
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुदत्ता मंडल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री प्रकाश कुमार	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ रजनीश	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम	सिडबी के अलावा अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम, जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई में बोर्ड/समिति का नाम, जहाँ निदेशक अध्यक्ष/सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक की श्रेणी
श्री भूषण कुमार सिंह	• बैंक ऑफ इंडिया	• लेखापरीक्षा समिति • नामांकन और पारिश्रमिक समिति	• गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र निदेशक)
	• इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति • हितधारक संबंध समिति • नामांकन और पारिश्रमिक समिति	• गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र निदेशक)
	• राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक	• नामांकन और पारिश्रमिक समिति	• गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र निदेशक)
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मणिकुमार एस	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जी. गोपालकृष्ण	• आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	• जोखिम प्रबंध समिति • नामांकन और पारिश्रमिक समिति	स्वतंत्र निदेशक
	• क्रेज़ीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती नुपुर गर्ग	एडलवाइस रियल एसेट्स मैनेजर्स लिमिटेड	जोखिम प्रबंध समिति	स्वतंत्र निदेशक
श्री अमित टंडन	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जितेन्द्र कालरा	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

1. बोर्ड में शामिल निदेशकों में से कोई भी 7 से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं का निदेशक/स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
2. तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
3. बोर्ड का कोई भी निदेशक, उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है।
4. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
5. यथा 31 मार्च 2024, किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास तक सिडबी के शेयर और परिवर्तनीय सिक्योरिटीज़ की धारिता नहीं है।

2.5 वित्तवर्ष 2024 के दौरान निदेशक का परिवर्तन:

वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

नाम	नियुक्ति दिनांक	समाप्ति दिनांक (त्यागपत्र के मामले में)	टिप्पणियाँ (अर्थात् परिवर्तन के कारण आदि)
श्री प्रकाश कुमार	07/11/2023	-	नियुक्ति: भारत सरकार ने 06 नवंबर, 2023 की अपनी अधिसूचना के तहत श्री प्रकाश कुमार को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	03/08/2023	-	नामांकित: भारतीय स्टेट बैंक ने 03 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से श्री के. संपत कुमार के स्थान पर श्री अनिंद्य सुंदर पॉल को सिडबी के बोर्ड में अपने नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
श्री मणिकुमार एस	01/01/2024	-	नामांकित: नाबार्ड ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से श्री मणिकुमार एस को श्री मोनोमॉय मुखर्जी के स्थान पर सिडबी के बोर्ड में अपने नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
श्री जितेन्द्र कालरा	13/02/2024	-	सहयोजित: बोर्ड ने 12 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 221वीं बैठक में श्री जितेंद्र कालरा को 13 फरवरी, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में सहयोजित किया।
श्री वी. सत्य वेंकट राव	-	04/06/2023	समाप्ति: 28 मई, 2020 को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार डीएमडी का कार्यकाल पूरा हो गया है।
श्री के. संपत कुमार	-	02/08/2023	समाप्ति: एसबीआई द्वारा श्री संपत कुमार के स्थान पर बोर्ड में श्री अनिंद्य सुंदर पॉल को नामित करने के परिणामस्वरूप, वह बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।
श्री मनोमॉय मुखर्जी	-	31/12/2023	समाप्ति: नाबार्ड द्वारा श्री मुखर्जी के स्थान पर श्री मणिकुमार एस को बोर्ड में नामित करने के परिणामस्वरूप, वे बोर्ड के सदस्य नहीं रहे.

2.6. निदेशक मंडल की बैठकें:

सेबी के विनियम के अनुसार, बोर्ड की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार आयोजित की जाएगी, जिसमें किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल एक सौ बीस दिन होगा।

वित्तवर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: 04 (चार)

बैठकों की तिथि: 12/05/2023, 31/07/2023, 03/11/2023 और 12/02/2024

निदेशकों का नाम	नियुक्ति/नामांकन/ सह-विकल्प के बाद भाग लेने के लिए हकदार बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें सहभागिता की गई	26/06/2023 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थिति
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	4	4	हाँ
श्री सुदत्ता मंडल	4	4	हाँ
श्री प्रकाश कुमार	1	1	-
डॉ रजनीश	4	2	-

निदेशकों का नाम	नियुक्ति/नामांकन/ सह-विकल्प के बाद भाग लेने के लिए हकदार बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें सहभागिता की गई	26/06/2023 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थिति
श्री भूषण कुमार सिंह	4	4	-
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	2	1	-
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल	4	4	-
श्री मणिकुमार एस	1	1	-
श्री जी. गोपालकृष्ण	4	4	-
सुश्री नूपुर गर्ग	4	4	-
श्री अमित टंडन	4	4	-
श्री जितेन्द्र कालरा	0	0	-
निदेशक का नाम जो वित्तवर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य थे और बाद में सिडबी बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।			
श्री वी. सत्य वेंकट राव	1	1	-
श्री के. संपत कुमार	1	1	-
श्री मनोमॉय मुखर्जी	2	2	-

3. बोर्ड स्तरीय समितियाँ:

सिडबी अधिनियम, 1989, सिडबी सामान्य विनियम, 2000, सेबी (एलओडीआर), सरकारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और व्यावसायिक आवश्यकता के प्रावधानों के अनुसार सिडबी के बोर्ड ने ग्यारह समितियाँ गठित की हैं, नामत: लेखापरीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबंध समिति (आरआईएमसी), नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनएंडआरसी), हितधारक संबंध समिति (एसआरसी), कार्यकारी समिति (ईसी), बड़ी मूल्य धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ), सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी), ग्राहक सेवा समिति (सीएससी), वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी), इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूसी और एनसीबी) और सतत विकास लक्ष्यों संबंधी समिति (सीएसडीजी).

सिडबी के निदेशक मंडल ने समिति की संरचना, कार्यों, बैठक की आवृत्ति, गणपूर्ति (कोरम) आदि सहित समितियों के चार्टर को मंजूरी दे दी है और इसे सिडबी की वेबसाइट, अर्थात् www.sidbi.in में इसके नैगम अभिशासन वर्ग में रखा गया है।

I. लेखापरीक्षा समिति: बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के संदर्भ में किया गया था और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन करता है और चार्टर में दो विनियमों का सख्त प्रावधान किया गया था।

क. यथा 31 मार्च, 2024, इस समिति में 5 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों और 2 पूर्णकालिक निदेशकों सहित 7 सदस्य शामिल थे:

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
सुश्री नूपुर गर्ग	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
श्री सुदत्ता मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक
डॉ. रजनीश	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री अनिंद्य पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री कृष्णा सिंह नागनयाल	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. सिडबी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन, लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तनों, यदि कोई हो, की समीक्षा करना और इसके कारणों की समीक्षा करना है; सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र का कामकाज; आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन आदि की समीक्षा करें। समिति प्रबंध के साथ प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों के विवरण सहित मुद्दे के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग विवरण की भी समीक्षा करती है और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करती है, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जहाँ कोई भौतिक प्रकृति की संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या बोर्ड को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता होती है।

ग. वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान, समिति ने चार बैठकें कीं। वित्तवर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: 04 (चार)

घ. बैठकों की दिनांक: 10/05/2023, 31/07/2023, 03/11/2023 और 12/02/2024.

ङ. लेखापरीक्षा समिति की बैठक और उपस्थिति:

निदेशकों का नाम और पदनाम (अध्यक्ष)	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
सुश्री नूपुर गर्ग, अध्यक्ष	4	4
श्री वी. सत्य वेंकट राव	1	1
श्री सुदत्ता मंडल	4	4
श्री भूषण कुमार सिन्हा	4	4
श्री के. संपत कुमार	2	2
डॉ. रजनीश	2	1
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	2	1
श्री प्रकाश कुमार	1	1

II. नामांकन और पारिश्रमिक समिति: नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित है और यह सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार है, जहां तक कि वे सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रतिकूल नहीं है।

क. 31 मार्च 2024 को समिति में 4 सदस्य थे और वे सभी गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
श्री भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्रीमती नुपुर गर्ग	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री जी. गोपालकृष्ण	गैर-कार्यपालक निदेशक

b. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका निदेशक मंडल को सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के पहले परंतुक के अनुसार चार से अनधिक निदेशकों को सहयोजित करने की संस्तुति करना, सहयोजित निदेशकों की ऐसी नियुक्ति की अवधि के विस्तार/निरंतरता के संबंध में ऐसे निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक मंडल को संस्तुति करना और निदेशकों के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना है।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

घ. बैठकों की तिथि: 03/11/2023, श्री भूषण कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में और 12/02/2024 सुश्री नूपुर गर्ग की अध्यक्षता में।

ङ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें और उपस्थिति

निदेशकों के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	जिन बैठकों में भाग लिया, उनकी संख्या
श्री भूषण कुमार सिन्हा	2	2
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	2	2
श्री जी. गोपालकृष्ण	2	2
श्रीमती नुपुर गर्ग	2	2

III. हितधारक संबंध सिमिति: सिमित का गठन सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

क. 31 मार्च 2024 को समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें 3 गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक और 2 पूर्णकालिक निदेशक थे। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
श्री जी. गोपालकृष्ण	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
श्री सुदत्ता मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. हितधारक समिति की भूमिका शेयरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की परिवेदनाओं की निगरानी करना, शेयरधारकों के प्रभावी मताधिकार प्रयोग हेतु किए गए उपायों की समीक्षा करना, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना, दावा न किए गए लाभांश की मात्रा घटाने के लिए और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और प्रयासों की समीक्षा करना है।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।
घ. बैठक की तिथि: 03/05/2023
ङ. हितधारक संबंध समिति की 03 मई, 2023 को आयोजित बैठक और उपस्थिति।

निदेशकों का नाम	**कार्यकाल के दौरान 03 मई 2023 को आयोजित बैठकों की संख्या**	**जिन बैठकों में भाग लिया, उनकी संख्या**
श्री जी. गोपालकृष्ण	1	1
श्री वी. सत्य वेंकट राव	1	0
श्री सुदत्ता मंडल	1	1
श्री के. संपत कुमार	1	1
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	1	1

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्री पंकज कुमार साहु (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान निवेशक शिकायत की स्थिति:

प्रतिभूति	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**प्रतिभूतिधारक की संतुष्टि के अनुरूप हल न की गई शिकायतों की संख्या**	**लंबित शिकायतों की संख्या**
शेयरधारक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर-परिवर्तनीय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के धारक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. **जोखिम प्रबंध समिति:** बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (RiMC) का गठन आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया गया था और यह सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन करती है।

क. 31 मार्च 2024 को समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें 3 गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक और 2 पूर्णकालिक निदेशक थे। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

समिति के सदस्यों के नाम	**पदनाम**
श्री अमित टंडन	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
श्री सुदत्ता मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री मणिकुमार एस	गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. जोखिम प्रबंध समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित/संशोधित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति के अनुसार हैं। वर्तमान ईआरएम नीति के अनुसार, जोखिम प्रबंध समिति की भूमिका ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंध नीतियां तैयार करना और आस्ति देयता प्रबंध, निवेश, आईसीएएपी हेतु नीतियाँ और ऐसी अन्य नीतियों तैयार करना है, जिनका जोखिमों पर असर पड़ता है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट रूप से सिडबी के समक्ष आ रहे आंतरिक और बाहरी जोखिमों, खासकर वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्रगत, संधारणीयता, साइबर सुरक्षा जोखिमों या अन्य जोखिमों की पहचान के लिए ढांचा तैयार करना शामिल है। जोखिम प्रबंध समिति जोखिम नीतियों और जोखिम ढाँचे की आवधिक समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सिडबी के कारोबार से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधि, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद रहें। जोखिम प्रबंध समिति जोखिम प्रबंध प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने और अन्य जोखिम प्रबंध समितियों अर्थात उद्यम जोखिम प्रबंध समिति (ईआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलको) आदि की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित/संशोधित करने सहित जोखिम प्रबंध नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख भी करती है।

ग. **वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं।

घ. **बैठकों की तिथि:** 02/05/2023, 27/07/2023, 26/10/2023 और 31/01/2024

ङ. **जोखिम प्रबंध समिति की बैठकें, और उपस्थिति:**

निदेशकों के नाम और पदनाम (अध्यक्ष)	नामांकन के बाद भाग लेने हेतु पात्र बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री अमित टंडन, अध्यक्ष	4	4
श्री वी. सत्य वेंकट राव	1	1
श्री सुदत्ता मंडल	4	4
श्री मनोमॉय मुखर्जी	3	3
श्री के. संपत कुमार	2	1
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	2	0
श्री प्रकाश कुमार	1	1
श्री मणिकुमार एस.	1	1

V. **कार्यपालक समिति:** बोर्ड की कार्यपालक समिति सिडबी अधिनियम, 1989 में दिए गए प्रावधान के अनुसार गठित की जाती है। समिति की भूमिका ऋण जोखिम मानदंडों/प्रत्यायोजन के अनुसार ऋण और निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करना, बैंकों/लघु वित्त बैंकों के लिए योजना के तहत मानदंडों में निर्धारित छूट योग्य सीमा से अधिक रियायत वाले पुनर्वित्त सहायता प्रस्तावों को मंजूर करना, संस्थागत वित्त के तहत बैंकों और लघु वित्त बैंकों को एकबारगी निपटान, पुनःसंरचना आदि मंजूर करना, संस्थागत वित्त के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में जोखिम और विशिष्ट पोर्टफोलियो के प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन के अनुमोदन/मंजूरी प्रस्तावों पर विचार करना, शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार मंजूरी के लिए बेंचमार्क मानदंडों, पात्रता मानदंडों और अन्य मानदंडों में किसी रियायत वाले प्रस्तावों और संबद्ध उधार प्रावधानों वाले प्रस्तावों पर विचार करना और ऐसे कार्यों का निर्वहन करना जो निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विहित या प्रत्यायोजित किए जाएं।

कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष के दौरान 14 बार अग्रलिखित तारीखों को हुई - 27/05/2023, 20/06/2023, 26/06/2023, 15/07/2023, 11/08/2023, 30/08/2023, 21/09/2023, 22/09/2023, 31/10/2023, 26/12/2023, 29/01/2024, 29/02/2024, 16/03/2024 और 29/03/2024

कार्यपालक समिति का संघटन, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशको के नाम और पदनाम (अध्यक्ष)	नामांकन के बाद भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	14	14
श्री वी. सत्य वेंकट राव	1	1
श्री सुदत्ता मंडल	14	12
श्री के. संपत कुमार	4	2
श्री जी. गोपालकृष्ण	14	14
श्री अनिंद्य सुंदर पॉल	10	3
श्री प्रकाश कुमार	5	5

VI. वसूली समीक्षा समिति: वसूली समीक्षा समिति का कार्य ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक की बकाया राशियों वाले एनपीए मामलों और विशेष उल्लेख खातों, पुनःसंरचित खातो की समीक्षा करना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं।

VII. इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति: इस समिति का कार्य इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान हेतु गठित समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करना है, ताकि मामलों को इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में चिह्नित किया जा सके। समिति इरादतन चूक और असहयोगी उधारकर्ताओं के मामलों और उनको इस वर्गीकरण से हटाने, यदि कोई हो, की छमाही आधार पर समीक्षा भी करती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

VIII. बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति: इस समिति का कार्य ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा करना तथा वसूली स्थिति की प्रगति की निगरानी करना, सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण सुनिश्चित करना और धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई, जैसे आंतरिक नियंत्रणों के सुदृढ़ीकरण की प्रभावकारिता की समीक्षा करना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त समिति की 4 बैठकें हुईं।

IX. ग्राहक सेवा समिति : इस समिति का कार्य बैंक में ग्राहक सेवा की स्थिति की समीक्षा करना और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना है। समिति ग्राहकों की शिकायतों और उनके समय पर समाधान की निगरानी भी करती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 3 बैठकें हुईं।

X. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति : इस समिति का कार्य बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी दृष्टि, कार्यनीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेजों को अनुमोदित करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवसाय और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संरेखण में हैं, आईटी संगठनात्मक संरचना, व्यवसाय मॉडल और इसकी दिशा की पूरक है। समिति सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष समिति के रूप में भी कार्य करती है, जो सूचना सुरक्षा के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए सूचना सुरक्षा योजना पर कार्यनीतिक और वित्तीय निर्णय लेती है। समिति की वर्ष के दौरान 4 बैठकें हुईं।

XI. "सतत विकास लक्ष्यों" पर समिति: यह समिति एमएसएमई / हितधारकों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने हेतु बैंक की रणनीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित बैंक की प्रयासों की निगरानी और समीक्षा करता है और सतत विकास लक्ष्य एजेंडा, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता, संधारणीयता आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक पर्यावरणिक, सामाजिक और अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के विकास का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करती है और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करती है। समिति की वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक बैठक हुई।

4. वित्त वर्ष 2024 हेतु निदेशकों का पारिश्रमिक :

निदेशक का नाम	आयकर अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार वेतन (राशि ₹ में)	अन्य लाभ (राशि ₹ में)	सकल वेतन (राशि ₹ में)
1	2	3	4=2+3
श्री सिवसुब्रमणियन रमण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	40,93,180	5,06,101	45,99,281
श्री वी सत्य वेंकट राव (उप प्रबंध निदेशक	8,02,121	14,55,724	22,57,845
श्री सुदत्ता मंडल (उप प्रबंध निदेशक)	35,88,522	9,56,689	45,45,211
श्री प्रकाश कुमार (उप प्रबंध निदेशक)	14,57,712	3,16,688	17,74,400

अन्य लाभ में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आवास की सज्जा, उपयोगिता बिल, समाचार पत्र व आवधिक पत्रिकाएं आदि शामिल हैं

4.1. गैर-कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक और बैठक शुल्क:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिडबी द्वारा निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। देय शुल्क निम्नानुसार है:

बैठक	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क
निदेशक मंडल	₹ 40,000 (निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹ 10,000 अतिरिक्त)
समिति	₹ 20,000 रुपये (समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु ₹ 5,000 अतिरिक्त)

नोट: सिडबी के निदेशक मंडल में नियुक्त कार्यपालक निदेशक या सरकारी अधिकारी किसी भी बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल बैठक शुल्क :

निदेशकों का नाम	भुगतान की गई निवल राशि (स्रोत पर कर की कटौती के बाद) (राशि ₹ में)
भारतीय स्टेट बैंक (नामिती निदेशक श्री के. संपत कुमार और श्री अनिंद्य सुंदर पॉल के लिए)	2,88,000
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	2,70,000
नाबार्ड (नामिती निदेशक श्री मनोमय मुखर्जी और श्री मणिकुमार एस के लिए)	1,80,000
श्री जी. गोपालकृष्ण	6,52,500
श्रीमती नुपुर गर्ग	3,46,500
श्री अमित टंडन	2,92,500

5. साधारण सभा बैठकें:

वित्त वर्ष	दिनांक	बैठक का स्थान	समय (भारतीय मानक समय)	पारित किए गए विशेष प्रस्ताव
2022-23	जून, 26, 2023	लखनऊ	अपराह्न	शून्य
2021-22	जून, 25, 2022	लखनऊ	पूर्वाह्न 10.30 बजे	शून्य
2020-21	जुलाई, 15, 2021	लखनऊ, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	पूर्वाह्न 11.00 बजे	शून्य

डाक मतपत्र: सिडबी द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से गत वर्ष कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया । आगामी वार्षिक साधारण सभा बैठक के प्रस्तावित कामकाज में से किसी के लिए भी डाक मतपत्र के माध्यम से संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है।

6. सामान्य जानकारी/अभिपुष्टिकरण और प्रकटीकरण

6.1 संचार के साधन: तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम सामान्यत: 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' और 'जनसत्ता' में प्रकाशित किए जाते हैं तथा सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर भी अपलोड किए जाते हैं।

6.2 सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया है।

6.3 सामान्य शेयरधारक जानकारी:

- वित्त वर्ष 2024 हेतु सिडबी की 26वीं वार्षिक साधारण बैठक 25 सितंबर, 2024 को सिडबी बोर्ड कक्ष, 7वां तल, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001 में आयोजित की जाएगी।
- लाभांश भुगतान तिथि: 25 सितंबर, 2024 को या उसके बाद (वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर)
- रिकॉर्ड तिथि: वार्षिक साधारण बैठक की तारीख

6.4 सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं। सिडबी एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था है और सिडबी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं, साथ ही, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि एनएसई को वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹ 18,88,000/- के सूचीबद्धता शुल्क (जैसे लागू है) का भुगतान किया गया था।

6.5 सिडबी पुष्टि करता है कि सिडबी की प्रतिभूतियों को वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

6.6 शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारक का नाम	% धारिता
भारत सरकार	20.85
भारतीय स्टेट बैंक	15.65
भारतीय जीवन बीमा निगम	13.33
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	9.36
पंजाब नेशनल बैंक	5.96
अन्य	34.85
कुल	100.00

6.7 हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक संबद्धता सुविधा रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई थी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में श्रेणी - I के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में पंजीकृत है और जिसकी पंजीकरण सं.: INR000004058 तथा पता: सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083; दूरभाष: 022-49186000; फैक्स: 022-49186060; वेबसाइट: www.linkintime.co.in है।

6.8 शेयर अंतरण प्रणाली: सिडबी एक इक्विटी सूचीबद्ध संस्था नहीं है। सिडबी के शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए गए थे। सिडबी सामान्य विनियम, 2000 का विनियम 27 सिडबी के शेयरों के अंतरण से संबंधित है और सिडबी ने लिंक इनटाइम को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, सिडबी प्रतिभूतियों (एनसीएस) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था और केवल डीमैट रूप में जारी किया गया था।

6.9 सिडबी के शेयर अमूर्त रूप में हैं और किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं। अत सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग-योग्य नहीं हैं।

6.10 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और रेटिंग: केयर रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, इक्रा लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा जारी विभिन्न लिखतों के श्रेणी निर्धारण के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियों ने श्रेणी निर्धारणों की पुष्टि की है और सिडबी के श्रेणी निर्धारण में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

केयर रेटिंग्स लिमिटेड	श्रेणी निर्धारण	लिमिटेड
दीर्घावधि बैंक सुविधाएँ	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
एमएसई/आरआईडीएफ जमा	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
अल्पावधि बैंक सुविधाएं	केयर A1+	पुनः पुष्टि
अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
दीर्घावधि / अल्पावधि लिखत - सीडी / सीपी प्रोग्राम	केयर एएए; स्थिर / केयर ए1+	पुनः पुष्टि
सावधि जमा	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	क्रिसिल एएए/स्थिर	पुनः पुष्टि
इक्रा लिमिटेड	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	इक्रा एएए स्थिर	पुनः पुष्टि
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
वाणिज्यिक पत्र	इंड ए1+	पुनः पुष्टि

6.11 संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन, असंबद्ध रूप से और व्यवसाय के सामान्य संचलन के अंतर्गत किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकारों के साथ हुए लेनदेन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन

क्र.सं.	नाम	पैन	सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक संस्था के साथ प्रतिपक्षकार का संबंध	संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकार	समीक्षाधीन अवधि में लेन-देन का अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट	AAATC2613D	समान निदेशक	सावधि जमा	6,125
2	बैंक ऑफ इंडिया	AAACB0472C	समान निदेशक	उधार	4,12,357.59

संबद्ध पक्षकार लेनदेन की महत्वपूर्णता और संबद्ध पक्षकार लेनदेन व्यवहार विषयक नीति के अनुसार, [एकल आधार पर या किसी वित्तीय वर्ष के पिछले लेनदेनों को मिलाकर किये गए लेनदेन, एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध संस्था के गत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक होने पर) और (ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संदर्भ में किसी संबद्ध पक्ष को किए गए भुगतान वाला लेनदेन, एकल आधार पर या गत वित्तीय वर्ष के पिछले लेनदेन को मिलाकर, सूचीबद्ध संस्था के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक होने पर) महत्वपूर्ण लेनदेन माना जाएगा।]

वित्त वर्ष 2024 के लिए सिडबी का 10% समेकित कारोबार ₹ 1,000 करोड़ से अधिक होने के फलस्वरूप, महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन की सीमा को ₹ 1,000 करोड़ माना गया है। साथ ही ब्रांड उपयोग/रॉयल्टी के संबंध में कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

6.12 समीक्षाधीन वर्ष के अधिनियम/विनियम के किसी उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया था।

6.13 सिडबी के निदेशक मंडल ने 06 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 217वीं बैठक में सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति को मंजूरी दी है। यह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 22 और सेबी (पीआईटी) (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम संख्या 9 ए (6) की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है, जिनमें व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य गोपनीयता बनाए रख कर और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण देकर व्हिसिल ब्लोअर में विश्वास पैदा करना है, ताकि प्रभावी नैगम अभिशासन सुनिश्चित हो सके। शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जांचकर्ताओं को भी उत्पीड़न से संरक्षण मिलना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जांच के बाद यदि शिकायत झूठी या तुच्छ पाई गई, तो सिडबी को व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। उक्त नीति सिडबी की वेबसाइट यानी www.sidbi.in पर उपलब्ध करा दी गई है। व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार, किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया।

6.14 संबंधित पक्षकार लेनदेन की सारभूतता पर नीति और 'सारभूत' सहायक संस्था निर्धारित करने की नीत सिडबी की वेबसाइट पर www.sidbi.in पर अग्रलिखित लिंक के तहत उपलब्ध हैं: https://www.sidbi.in/en/corporate-governance#section1

6.15 बैंक ब्याज दर और आस्तियों एवं देयताओं के बेमेल से उत्पन्न विनिमय जोखिम की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए डेरिवेटिवों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा लिए गए सभी डेरिवेटिव हेजिंग के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा उधार के रूप में रहते हैं, जो एमटीएम नहीं होते हैं, लेकिन केवल रूपांतरित होते हैं। बैंक डेरिवेटिव का व्यापार नहीं करता है। आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश और लेखा नीतियां निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। बैंक ने डेरीवेटिव सौदों से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एक व्यवस्था लागू की है। बैंक डेरीवेटिव सौदों के फलस्वरूप होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए उपचय पद्धति अपनाता है।

16. यथा 31 मार्च, 2024 को अंचल / क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

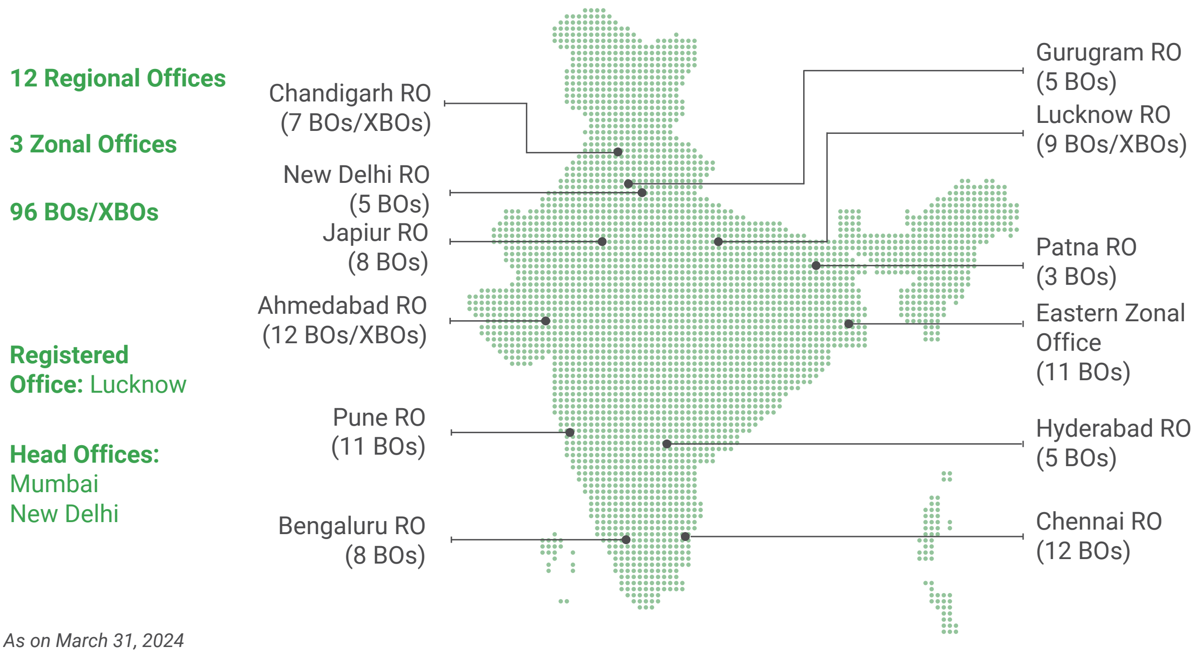

6.17 वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों (मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स) को भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹ 32,98,907.18 था। सिडबी के सांविधिक लेखा परीक्षक इसकी किसी सहायक संस्था के लेखा परीक्षक नहीं है। सहायक संस्थाओं द्वारा अपने अपने सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया कुल शुल्क नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	सहायक संस्थाओं के नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम	प्रदत्त कुल शुल्क
1	मुद्रा	डी. कोठारी एंड कंपनी	₹6,35,000/- (कर-रहित)
2	एसवीसीएल	मेसर्स हिनेश आर. दोषी एंड कं. एलएलपी	₹1,50,000/- (कर-रहित)
3	एसटीसीएल	मेसर्स भूषण खोट एंड कं.	₹71,000/- (कर-रहित)
4	सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन	कुमार चंदन एंड एसोसिएट्स	₹1,00,000/- (कर-रहित)

6.18 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

- वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या — 01
- वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या — 01
- वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या — 00

6.19 सिडबी की सारभूत सहायक संस्थाओं का विवरण; ऐसी सहायक संस्थाओं की स्थापना की तारीख और स्थान और उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तारीख सहित

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024		वित्तीय वर्ष 2023		
	कुल आय	निवल मालियत	कुल आय	निवल मालियत	
सिडबी (समेकित)	34,232	31,188	20,001	27,071	
कुल आय/निवल मालियत का 10%	3,423.20	3,118.80	2,000.10	2,707.10	
सारभूत लिस्टेड सहायक संस्था - कोई लिस्टेड सहायक संस्था नहीं					
सारभूत गैर-लिस्टेड सहायक संस्था					
सहायक संस्थाओं के नाम	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हां/नहीं	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हाँ / नहीं	सारभूत सहायक संस्था हाँ/ नहीं
मुद्रा	2317.59/ 4052.71	हाँ	1,541.66/ 3271.53	हाँ	हाँ
एसवीसीएल	13.33/ 52.23	नहीं	11.56/ 47.64	नहीं	नहीं
एसटीसीएल	0.94/ 9.55	नहीं	0.77/ 8.88	नहीं	नहीं

मुद्रा सिडबी की सारभूत सहायक संस्था है, जिसे सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संसथा के रूप में 18 मार्च, 2015 को मुंबई में स्थापित किया गया था। मुद्रा के सांविधिक लेखा परीक्षक डी. कोठारी एंड कंपनी हैं।

6.20 सिडबी ने विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में विनिर्दिष्ट नैगम अभिशासन अपेक्षाओं का वहाँ तक अनुपालन किया है, जहाँ तक कि वे सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं। इसके अलावा, सिडबी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

21. सिडबी के निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जो कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। सिडबी का नैगम अभिशासन दृष्टिकोण समावेशी प्रकृति का है और निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बाह्य विशेषज्ञों की राय को विधिवत मान्यता दी जाती है और उनका समावेश निदेशक मंडल के निर्णयों में किया जाता है।

7. पत्राचार के लिए पता:

पंजीकृत कार्यालय: सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश

कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051, महाराष्ट्र

8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024 हेतु निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

____

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सिडबी के कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

since demitted on April 18, 2024

श्री सिवसुब्रमणियन रमण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक): श्री सिवसुब्रमणियन रमण भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के 1991 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। सिडबी में आने से पहले, वे दिसंबर 2016 से नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। एनईएसएल से पहले, श्री रमण 2015-2016 के दौरान झारखंड, रांची में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) थे। उन्होंने सेबी में मुख्य महाप्रबंधक और बाद में 2007 और 2013 के बीच कार्यपालक निदेशक के रूप में काम किया।

उन्होंने विभिन्न राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यपालक सचिव भी रहे। उन्होंने यूरोप में विभिन्न भारतीय दूतावासों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए भारतीय उच्चायोग, लंदन में प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। वे सेंट स्टीफंस कॉलेज से बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रेगुलेशंस में एमएससी और आईआईए, फ्लोरिडा से सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर किया है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की और उन्हें सिक्योरिटीज लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी प्राप्त है।

श्री सुदत्ता मंडल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुदत्ता मंडल (उप प्रबंध निदेशक): श्री सुदत्ता मंडल ने 3 मई 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। सिडबी में आने से पूर्व वे भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। उनके पास एक्ज़िम बैंक के विभिन्न उद्भागों (आस्तियों, देयताओं, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं रणनीति) में कार्य करने का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश वित्त, परियोजना वित्त, क्लस्टर वित्त सहित लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण, व्यापार वित्त तथा सीमापार विकास वित्त में 20 वर्ष का परिचालन अनुभव शामिल है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक हैं और उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वित्त में विशेषज्ञता के साथ, प्राप्त किया है।

श्री प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश कुमार (उप प्रबंध निदेशक): श्री प्रकाश कुमार ने 07 नवंबर, 2023 को सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले, वे सिडबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण उद्भागों का नेतृत्व किया, जैसे, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अल्प वित्त उद्भाग, प्रत्यक्ष ऋण उद्भाग, जोखिम प्रबंध उद्भाग, राजकोष और संसाधन प्रबंध उद्भाग आदि। उन्होंने डीएफआईडी, यूके के सहयोग से सिडबी द्वारा कार्यान्वित निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि (पीएसआईजी) नामक प्रतिष्ठित परियोजना का भी नेतृत्व किया है। उन्हें सिडबी में लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण, अल्प वित्त, जोखम प्रबंध, राजकोष, गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 28 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें भारत और विदेश, दोनों में एमएसएमई वित्तपोषण और विकास से जुड़े क्षेत्रों से संबंधित कई सम्मेलनों / सेमिनारों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एनएमआईएमएस, मुंबई से वित्तीय प्रबंधन में परास्नातक हैं।

डॉ. रजनीश

डॉ. रजनीश: डॉ. रजनीश भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री, बर्न विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। डॉ. रजनीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ करोलिना, यूएसए से ह्यूबर्ट हम्फरी फैलोशिप प्रोग्राम भी किया है। वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय में अपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में, डॉ रजनीश भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक नीति से संबद्ध हैं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्हें वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और नगर नियोजन, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में काम करने का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति (2012-2017) और भारत के वित्त मंत्री (2011-12) के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है।

श्री भूषण कुमार सिन्हा

Since demitted on August 05, 2024

श्री भूषण कुमार सिन्हा: डॉ. भूषण कुमार सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर (एमबीए) डिग्री हासिल की है। उनके पास विधि की डिग्री है और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वित्तीय अध्ययन विभाग से फाइनेंशियल इकॉनॉमीज़ में पीएचडी भी की है। डॉ सिन्हा ने मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में काम किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पूँजी बाजार, विनिवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन, बैंकिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में भी काम किया है। जून 2018 में वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप कार्यग्रहण करने के बाद, डॉ सिन्हा ने वित्तीय समावेशन (एफआई), कृषि / ग्रामीण क्षेत्र ऋण, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का कामकाज सँभाला है। वर्तमान में, वे विकास वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कामकाज देख रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आदि शामिल हैं। वे मूलभूत ढाँचा वित्तपोषण संबंधी सभी मामलों के साथ-साथ क्षेत्रगत ऋण नीतिओं / मुद्दों संबंधी कामकाज भी संभाल रहे हैं। इससे पहले, डॉ सिन्हा निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग में आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के कार्यालय में निदेशक थे। डॉ. सिन्हा बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के निदेशक मंडलों में सरकार के नामिती निदेशक भी हैं। इससे पहले, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आईएफसीआई और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड के निदेशक मंडलों में भी सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल: श्री अनिंद्य सुंदर पॉल एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विभिन्न पदों पर 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। श्री पॉल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करने सहित बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय और नेटवर्क प्रभाग का भी नेतृत्व किया। श्री पॉल ने भारतीय स्टेट बैंक की हांगकांग शाखा में भी कार्य किया । वह वर्तमान में एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक (एसएमई तथा एसएफसी) के पद पर हैं, और बैंक के लगभग ₹ 3.34 ट्रिलियन के लघु एवं मध्यम उद्यम संविभाग को संभाल रहे हैं।

श्री कृष्ण सिंह नगन्याल

श्री कृष्ण सिंह नगन्याल: श्री कृष्ण सिंह नगन्याल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक हैं। वे एक अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए और उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम में व्यापक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न अंचलों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे - वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक । उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में निगम की सेवा की है और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। वे पूर्वी अंचल में क्षेत्रीय प्रबंधक, विपणन, उत्तर अंचल में क्षेत्रीय प्रबंधक (ओएस) और क्षेत्रीय प्रबंधक, कार्मिक और औद्योगिक संबंध रहे। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभारी के रूप में मध्य अंचल, भोपाल और पूर्वी अंचल, कोलकाता का नेतृत्व किया है। इसके बाद, उन्हें केंद्रीय कार्यालय में कार्यपालक निदेशक, कॉर्पोरेट संचार के रूप में तैनात किया गया। खेलों में उनकी विशेष रुचि है और उनका झुकाव समाज सेवा की ओर है।

श्री मणिकुमार एस:

श्री मणिकुमार एस: श्री मणिकुमार एस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य (एफसीएमए) हैं और वित्त में एमबीए, एमएस (बैंकिंग) और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस्ड पीजी डिप्लोमा धारक हैं। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत ऋण आयोजना, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण नवोन्मेष, अल्प वित्त और वित्तीय समावेशन, एकीकृत जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन रूपांतरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप निवेश और नए वित्तीय उत्पाद तैयार करने विषयक क्षेत्रों में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। श्री मणिकुमार एस. वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्रधान कार्यालय, मुंबई में में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। वे नबसमृद्धि फाइनेंस लि. के निदेशक मंडल में भी हैं, जो नाबार्ड की एनबीएफसी-सहायक संस्था है।

श्री जी. गोपालकृष्ण

श्री जी. गोपालकृष्ण: श्री जी. गोपालकृष्ण 21 अप्रैल, 2014 से 20 अप्रैल, 2017 तक सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) के निदेशक थे। सीएएफआरएएल की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग और वित्त में अनुसंधान और ज्ञानार्जन के एक विश्व स्तरीय वैश्विक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी।

सीएएफआरएएल में जाने से पहले, वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यपालक निदेशक थे। श्री गोपालकृष्ण 33 वर्ष से अधिक समय तक एक करियर केंद्रीय बैंकर थे और उन्होंने मुख्य रूप से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में काम किया।

वे भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा गठित अनेक कार्य समूहों के अध्यक्ष और सदस्य रहे। वर्ष 2011 के दौरान उन्होंने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी संबंधी कार्य समूह की अध्यक्षता की, जिसकी सिफारिशें अप्रैल 2011 में लागू की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश सूचना सुरक्षा, सूचना लेखा परीक्षा, आईटी अभिशासन और साइबर धोखाधड़ी में उद्योग के लिए बेंचमार्क मानक बन गए हैं। बड़े मूल्य के ऋणों की रिपोर्टिंग के लिए 2014 में आरबीआई द्वारा बनाई गई केंद्रीय क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 2014 में श्री गोपालकृष्ण ने बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण से संबंधित एफएसएलआरसी की सिफारिशों के परीक्षण हेतु गठित समिति की अध्यक्षता की। रिपोर्ट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है।

सुश्री नूपुर गर्ग

सुश्री नूपुर गर्ग: सुश्री नूपुर गर्ग निजी इक्विटी और उद्यम पूँजी में एक अग्रणी निवेशक हैं और बड़े संस्थागत निवेशकों की विशेषज्ञ सलाहकार हैं। वे विनपे (https://winpeforum.com) की संस्थापक हैं, जो निवेश पारितंत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए एक गैर-लाभकारी पहल है। सुश्री नूपुर किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड के बोर्ड की अध्यक्ष और एडलवीस रीयल एसेट्स मैनेजर्स लि., केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अर्ध संप्रभु संपदा फंड - नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स की निवेश समिति की एक स्वतंत्र सदस्य हैं और डच गुड ग्रोथ फंड (DGGF) की निवेश समिति की सलाहकार और सदस्य हैं। यह फंड 75 देशों के फ्रंटियर बाजारों में एसएमई में निवेश के लिए डच सरकार का एक निवेश फंड है। उन्होंने भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र में निवेश के लिए ₹ 10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्ट अप्स की निवेश समिति में एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। सुश्री नूपुर संस्थायीकरण, सर्वोत्तम पद्धतियों और अभिशासन से संबंधित मामलों पर चुनिंदा फंड प्रबंधकों को सलाह देती हैं। वे विभिन्न प्लेटफार्मों पर महिला उद्यमियों का पथप्रदर्शन भी करती हैं। सुश्री नूपुर को बीडब्ल्यू-वीसी वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन 2022, फोर्ब्स W-पावर लिस्ट ऑफ़ सेल्फ मेड वीमेन 2020, वित्त क्षेत्र में भारत की टॉप 100 वुमन लीडर्स (AIWMI 2019) में सूचीबद्ध किया गया, और उन्हें वुमन एम्पॉवरमेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2019-20 और बिजनेस एक्सीलेंस एंड इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेज - एकेडेमिया अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अपनी अंतिम पूर्णकालिक भूमिका में, सुश्री नूपुर ने IFC के लिए इस क्षेत्र में निजी इक्विटी और उद्यम पूँजी निधि व्यवसाय का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र के एक सबसे सम्मानित संस्थागत निवेशक के रूप में आईएफसी के ब्रांड और विश्वसनीयता को स्थापित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। सुश्री नूपुर सीए हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक्जक्यूटिव एजूकेशन सहित एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए हैं।

श्री अमित टंडन

श्री अमित टंडन: श्री अमित टंडन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (आईआईएएस) के संस्थापक और जुलाई 2011 से इसके प्रबंध निदेशक हैं। आईआईएएस से पहले, श्री अमित टंडन अक्टूबर 2001 से जून 2011 तक फिच रेटिंग्स: इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उन्होंने फिच रेटिंग्स लंका का भी पर्यवेक्षण किया। फिच में आने से पहले, वह 17 वर्ष (मई 1984 से सितंबर 2001 तक) आईसीआईसीआई समूह में थे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं और व्यवसायों में बारी-बारी से काम किया, जिसमें परियोजना वित्त, लीज़िंग और मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शामिल हैं। आईसीआईसीआई समूह के साथ उनकी अंतिम भूमिका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में निवेश बैंकिंग के प्रमुख के रूप में थी। वे मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य, कंपनी अधिनियम पर प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूहों में से एक के सदस्य, और सेबी द्वारा गठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोटक समिति के सदस्य रहे हैं। श्री अमित टंडन ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली से एमबीए किया है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है।

श्री जितेंद्र कालरा

श्री जितेंद्र कालरा: श्री जितेंद्र कालरा को एमएसएमई क्लस्टर विकास की गहरी समझ और अनुभव है। 1991 में सिविल सेवक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री कालरा ने यूनिडो में और भारत के दो सबसे बड़े सीएसआर फाउंडेशनों - डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन में वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने उद्यम और आजीविका संवर्द्धन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, ग्रामीण रूपांतरण और पुनर्योजी कृषि के क्षेत्रों में व्यापक रूप से काम किया है। यूनिडो में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कार्यान्वयन और नीति स्तरों पर भारत में 'एमएसएमई क्लस्टर विकास' दृष्टिकोण को चलाने में मदद की। वर्तमान में, श्री कालरा "नैब फाउंडेशन" के निदेशक हैं, जो नाबार्ड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है और जिसे अभिसरण के माध्यम से अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। वह संस्कृति निर्माण और संगठनात्मक रूपांतरण पर वरिष्ठ नेतृत्व टीमों को प्रशिक्षण और कोचिंग देने में सक्रिय है। श्री जितेंद्र कालरा के पास बीएससी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और एमबीए की डिग्री है।

Annexure - II

Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES

A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the financial year ended March 31, 2024
[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI,Swavalamban Bhavan,
C-11, G-Block,Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisionsand the adherence to good corporate practices by **Small Industries Development Bank of India** (*hereinafter called theSIDBI*).

Based on my said verification of the SIDBI's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the SIDBI and also the information provided by the SIDBIduring the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the SIDBI hascomplied with the statutory provisions listed hereunder for the financial year ended on 31st March, 2024and also that the SIDBI has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent,in the manner:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the SIDBI for the financial year ended on 31st March 2024according to the provisions of:

(i) The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (SIDBI Act, 1989)

(ii) Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000;

(iii) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as amended;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(iv) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder as amended; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(v) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder as amended; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(vi) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;*(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(vii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): —

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; *(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*
(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;
(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;*(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*
(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; *(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*
(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;and
(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*
(b) The Listing Agreements entered into by the SIDBI with the Stock Exchange *viz* NSE Ltd along with Reg. 15 to 27 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as applicable for respective periods.

During the period under review, SIDBI has complied with the provisions of theAct, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

I further report that:

- The Board of Directors of the SIDBI is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and/or Independent Directors.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

- All the resolutions were passed with consent of majority Directors/Unannimously.

I further report that:

- there are adequate systems and processes in the SIDBI commensurate with the size and operations of the SIDBI to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES * COMPANY SECRETARIES * FCS No. 5652 C.P. No.: 5364

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

I further report that during the audit period there were no specific events/actions having a major bearing on the SIDBI's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, guidelines and standards.

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES FCS No. 5652 C.P. No. 5364 COMPANY SECRETARIES

Place: Mumbai
Date: 25/04/2024

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN: F005652F000236003

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

Annexure to Secretarial Report and forming part of the report

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI,Swavalamban Bhavan,
C-11, G-Block,Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I further state that my said report of the even date has to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial/ Statutory Records is the responsibility of the Management of the SIDBI. My responsibility is to express an opinion on these records based on the audit.

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the SIDBI.

4. Wherever required I have obtained *orally,*the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happenings of events etc.

5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standard is the responsibility of management. My examination is limited to the verification of procedures on test basis and shall not stand responsible for any non -compliance.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the SIDBI nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the SIDBI.

Disclaimer:*The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Further, based on clarification received from concerned officials, SIDBI established andis governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000. SIDBI is in compliance withthe regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulations, 2000.*

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

Place: Mumbai
Date: 25/04/2024

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN: F005652F000236003

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES * COMPANY SECRETARIES * FCS No. 5652 C.P. No.: 5364

Annexure - III

Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES

A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

[As per Part E of schedule V of SEBI (LODR)]

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI, Swavalamban Bhavan,
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have examined the compliance with the conditions of Corporate Governance by Small Industries Development Bank of India ('the SIDBI') for the year ended March 31, 2024, as stipulated in the Reg. 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations), to the extent as applicable.

Thecompliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to a review of procedures and implementation thereof, adopted by the SIDBI for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the SIDBI.

SIDBI is established and governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulation, 2000. Thus, Corporate Governance Structure and compliances are in accordance with applicability of the regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulations, 2000.

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

Place: Mumbai
Date: 25/04/2024

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN: F005652F000236124

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

Annexure -IV

Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES

A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

Annual Secretarial Compliance Report of "Small Industries Development Bank of India(SIDBI)"for the year ended March 31, 2024

We, Deep Shukla & Associates have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **SIDBI** ("the high value Debt Listed Entity"),
(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchange(s),
(c) website of the listed entity
(d) other relevant document(s)/ filing, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended March 31, 2024 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

(a) The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (SIDBI Act, 1989);
(b) Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000;
(c) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder;
(d) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); ***[Not applicable during the review period];***
(e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, are:-

(f) Regulations to the extent as applicable as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;*duly updated;*
(g) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; ***[Not applicable during the review period]***

1

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES FCS No. 5652 C.P. ...364 COMPANY SECRETARIES

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

(h) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;***[Not applicable during the review period]***

(i) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; ***[Not applicable during the review period]***

(g) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; ***[Not applicable during the review period***

(h) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended;*(to the extent as applicable)*

(i) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible andRedeemable Preference Shares) Regulations, 2013; ***[Not applicable during the review period]***

(j) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(k) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, as amended;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 2022;

(m) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008; ***[Not applicable during the review period]***

(n) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participant) Regulations, 2018; and circulars/guidelines issued thereunder;

and circulars / guidelines issued thereunder;

We hereby report that, during the review period the compliance status of the listed entity is appended below:

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/ No/ NA)	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
1.	Secretarial Standards: The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries India (ICSI)	NA	*SIDBI is established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000.*

2

DEEP SHUKLA & ASSOCIATES FCS No. 5652 C.P. No. 5364 COMPANY SECRETARIES

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

2.	<u>Adoption and timely updation of the Policies:</u> • All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities • All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed & timely updated as per the regulations/circulars/ guidelines issued by SEBI	Yes	-
3.	<u>Maintenance and disclosures on Website:</u> • The Listed entity is maintaining a functional website • Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website • Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website	Yes	-
4.	<u>Disqualification of Director:</u> None of the Director of the Company are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013	NA	*SIDBI is established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000. SIDBI complied with fit and proper criteria prescribed by the Reserve Bank of India*

3

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

			for the purpose of the appointment of Co-Opted Directors.Others directors appointed by central government and nominated by the Shareholders.
5.	<u>To examine details related to Subsidiaries of listed entities:</u> (a) Identification of material subsidiary companies (b) Requirements with respect to disclosure of material as well as other subsidiaries	Yes	-
6.	<u>Preservation of Documents:</u> The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.	Yes	-
7.	<u>Performance Evaluation:</u> The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year as prescribed in SEBI Regulations	No	Process of Board Evaluation has been initiated.
8.	<u>Related Party Transactions:</u> (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions	Yes	The SIDBI has ratified all the related party transactions.

4

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No. 5364
COMPANY SECRETARIES

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

	(b) In case no prior approval obtained, the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ ratified/rejected by the Audit committee		
9.	<u>Disclosure of events or information:</u> The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed thereunder.	NA	Reg. 30 of SEBI LODR is not applicable to SIDBI
10.	<u>Prohibition of Insider Trading:</u> The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015	Yes	-
11.	<u>Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any:</u> No Actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder	NA	-
12.	<u>Additional Non-compliances, if any:</u> No any additional non-compliance observed for all SEBI regulation / circular / guidance note etc.	No	No any additional non-compliance observed for all SEBI regulation / circular / guidance note etc.

5

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

- The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder: –

Sr. No	Comp-lianceRe qui-rement (Regul-ations/ circulars /guid-elines including specific clause)	Regula-tion/ Circular No.	Deviat- ions	Acti-on Tak-en by	Type of Action Advisory/ Clarifi-cation /Fine/ Show Cause Notice/ Warning, etc.	Detai-is of Viola-tion	Fine Amo-unt	Observ-ations/ Remarks of the Prac-ticing Company Secretary	Manag-ement Respo-nse	Rema-rks
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

- The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

Sr. No	Comp-lianceRequi-rement (Regul-ations/ circulars /guid-elines including specific clause)	Regula-tion/ Circular No.	Deviat- ions	Acti-on Tak-en by	Type of Action Advisory/ Clarifi-cation /Fine/ Show Cause Notice / Warning, etc.	Detai-is of Viola-tion	Fine Amo-unt	Observ-ations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Manag-ement Respo-nse	Rema-rks

6

M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

1.	Appointment of Company Secretary as a Compliance officer	6(1)	Non-appoint-ed during the F.Y. 2022-23	NSE	Fine	Non-appoint-ment of Compli-ance officer	4,87,340	SIDBI has submitted the waiver application to NSE.	SIDBI has received the waiver letter from NSE on 29th May, 2023	NA

<u>Disclaimer:</u>*The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Further, based on clarification received from concerned officials, SIDBI established and is governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulation, 2000. SIDBI is in compliance withthe regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General regulations, 2000.*

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

Place: Mumbai
Date: 25/04/2024

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN: F005652F000235851

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES ★ COMPANY SECRETARIES FCS No. 5652 C.P. No.: 5364

7

Annexure -V

CS Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES

A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

Compliance Certificate of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in terms of Regulation 61(4) read with Regulation 40(9) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015

For the year ended March 31, 2024

We have examined all records, register, files and other documents relating to Small Industries Development Bank of India (*hereinafter referred to as the "SIDBI"*) maintained by **Link Intime India Private Limited** *(hereinafter referred to as the "Registrar and Share Transfer Agents / RTA")* pertaining to transfer of Securities*(including Non-Convertible Debt (NCD) and Bonds)*of SIDBI for the year, commencing from April 01, 2023 to March 31, 2024 *(hereinafter referred to as the "year")* for the purpose of issuing a Certificate as per regulation no. 61 (4) read with regulation no. 40 (9) of SEBI (listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 and based on the information provided by SIDBI and the Registrar and Share Transfer Agent, We do and hereby certify that during the year under review:

- all listed Debt securities issued by SIDBI as on March 31, 2024 were in Dematerialized form and hence no physical debenture certificate were required to be delivered during the year under review in respect of regulation no. 61 (4) read with regulation no. 40 (9) of Listing Regulations;
- No application for transfer / sub-division/ consolidation / renewal / exchange in respect of physical debt securities is being received by SIDBI during the year under review;
- There are no cases of requests for exchange of Duplicate and Split certificates.

Yours faithfully,
For: M/s. Deep Shukla & Associates
Company Secretaries
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

Deep Shukla
Practicing Company Secretaries
FCS : 5652; CP : 5364
UDIN: F005652F000236146
Date: 25/04/2024
Place: Mumbai

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES ★ COMPANY SECRETARIES ★ FCS No. 5652 C.P. No.: 5364

टिप्पणी

टिप्पणी

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

Concept & Design (info@wyatt.co.in)